सहकार भारती

।। बिना संस्कार, नहीं सहकार बिना सहकार, नहीं उद्धार ।।

8 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

६, ७, ८ दिसंबर २०२४

अमृतसर (पंजाब)

सहकार सुगंध

स्मारिका

हरियाणा सरकार

"आज हमारी हर नीति, हर रणनीति- जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की है। जन अभियान से राष्ट्र निर्माण की है।"
- नरेन्द्र मोदी

म्हारा हरियाणा
नॉन-स्टॉप हरियाणा

संकल्प से सफलता की ओर
लगातार बढ़ता हरियाणा

पढ़ी-लिखी पंचायतों वाला देश का एकमात्र राज्य महिलाओं को पंचायतों में **50 प्रतिशत भागीदारी**	**न खर्ची, न पर्ची** योग्यता के आधार पर 1 लाख 75 हजार सरकारी नौकरियां	**सी.एम. विंडो** 12.21 लाख जन-शिकायतों का पारदर्शिता से समाधान
प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ₹3,25,759, बड़े राज्यों में सर्वाधिक	**मनरेगा** दैनिक मजदूरी ₹374, देश में सर्वाधिक	एम.एस.पी. पर **24 फसलों** की खरीद करने वाला पहला राज्य
हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों तथा **आपातकालीन पीड़ितों** व विधवाओं को सम्मान व मासिक पेंशन	**पी.एम. कुसुम योजना** देश में सर्वाधिक 1,29,655 सोलर पंप स्थापित	**डायल 112** 35.38 लाख आपातकालीन कॉल्स पर औसतन 6 मिनट 55 सैकंड में सहायता
हर जिले में **महिला पुलिस थाना** तथा **साइबर अपराध थाना** स्थापित	**ऑटो अपील सिस्टम** राइट टू सर्विस एक्ट को सही मायने में लागू किया, 14.27 लाख शिकायतों का ऑटोमेटिक समाधान	**अंत्योदय सरल पोर्टल** 59 विभागों की 762 योजनाएं ऑनलाइन, 10 करोड़ सेवाएं प्रदान की
निरोगी हरियाणा - 81.54 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लगभग 4.48 करोड़ मुफ्त टेस्ट	**हर जिले में मेडिकल कॉलेज** मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 15 MBBS सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2185	**विवाह शगुन योजना** पात्र परिवारों की बेटियों की शादी पर ₹71,000 तक का शगुन

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ... बेमिसाल
NCR क्षेत्र में बिछा **मेट्रो का जाल**, ₹5618 करोड़ की लागत से **हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर**
₹70 हजार करोड़ की लागत से **क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (नमो भारत ट्रेन)** पर काम शुरू

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा

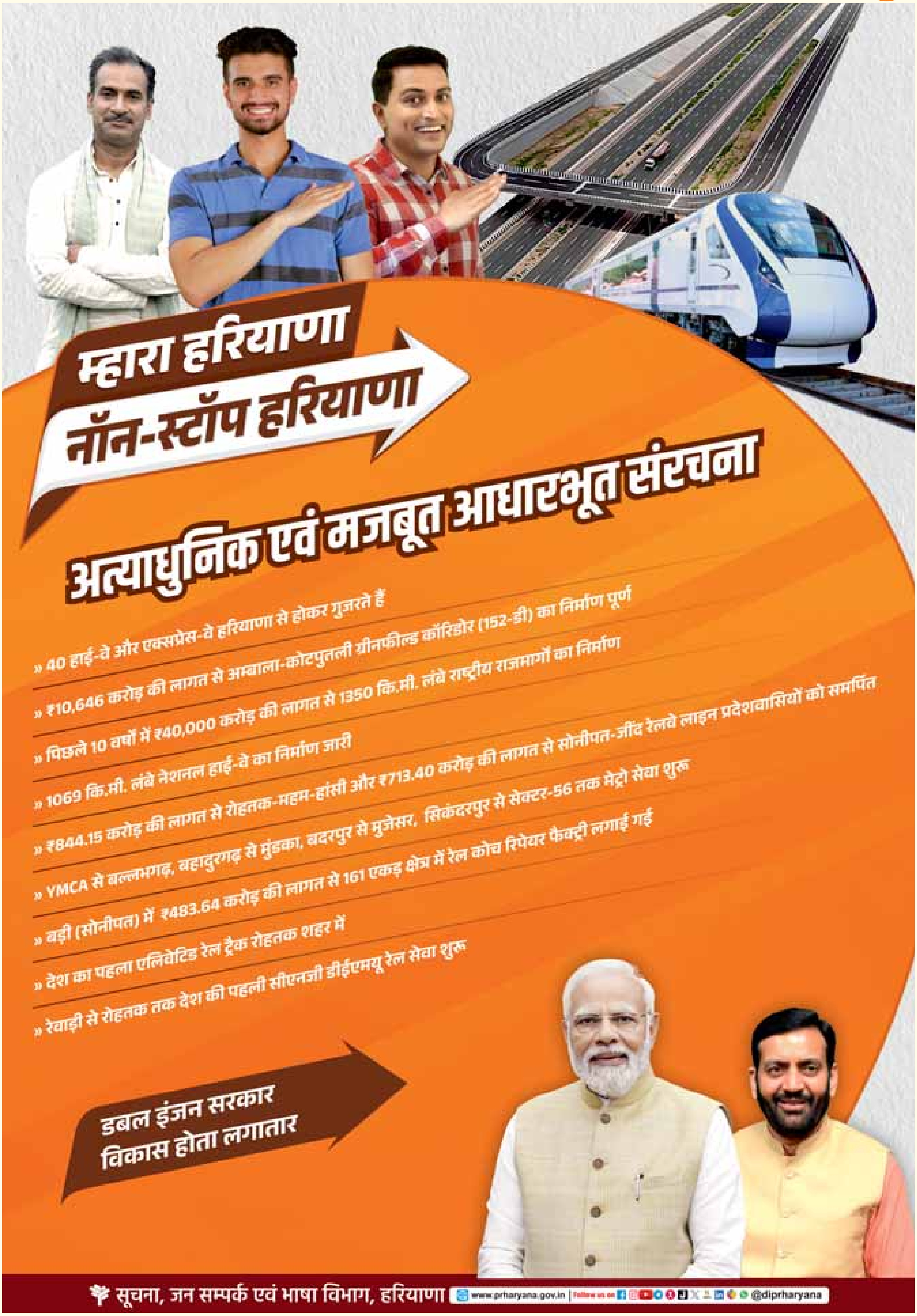
म्हारा हरियाणा
नॉन-स्टॉप हरियाणा
अत्याधुनिक एवं मजबूत आधारभूत संरचना
» 40 हाई-वे और एक्सप्रेस-वे हरियाणा से होकर गुजरते हैं
» ₹10,646 करोड़ की लागत से अम्बाला-कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (152-डी) का निर्माण पूर्ण
» पिछले 10 वर्षों में ₹40,000 करोड़ की लागत से 1350 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण
» 1069 कि.मी. लंबे नेशनल हाई-वे का निर्माण जारी
» ₹844.15 करोड़ की लागत से रोहतक-महम-हांसी और ₹713.40 करोड़ की लागत से सोनीपत-जींद रेलवे लाइन प्रदेशवासियों को समर्पित
» YMCA से बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ से मुंडका, बदरपुर से मुजेसर, सिकंदरपुर से सेक्टर-56 तक मेट्रो सेवा शुरू
» बड़ी (सोनीपत) में ₹483.64 करोड़ की लागत से 161 एकड़ क्षेत्र में रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री लगाई गई
» देश का पहला एलिवेटिड रेल ट्रैक रोहतक शहर में
» रेवाड़ी से रोहतक तक देश की पहली सीएनजी डीईएमयू रेल सेवा शुरू
डबल इंजन सरकार
विकास होता लगातार
सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा
www.prharyana.gov.in | Follow us on
@diprharyana

ghH$ma JrV

ghH$ma ¶h gñH$ma h - OZ OZ H$m AmYma h&
ghH$m[aVm H$m ‘ Ì namVZ, AmO nZ… AnZm¶ h‘&
{‘bObH$a H$m‘ H$a| g~, dJ-Om{V H$m H$a| I Ë‘&
ghH$ma ¶h gñH$ma h - OZ OZ H$m AmYma h&
ghH$ma ¶h gñH$ma h - OZ OZ H$m AmYma h &&Y&&
OJh OJh ghH$ma Mb ahm, Oam Ü¶mZ g X I | Vm&
HfH, Obmhm, ~ZH$a H$Vm, nhZ h‘ h H$nS>m Om&
amO^r ^r Om h‘| {‘b ahr @ @
H$BAm| H$m h Bg ‘| I ‘ &&1&&
ghH$ma ¶h gñH$ma h - OZ OZ H$m AmYma h&
ghH$ma ¶h gñH$ma h - OZ OZ H$m AmYma h &&Y&&
bmH$V Ì H$s {e j m Bg ‘|, ñZh ^md H$m AnZm¶&
JaO g^r H$s nar hmJr, gK ^md H$m ’$bm¶|&
Am{WH$ gdm g ‘mO H$s h @ @
amOJma H$m H$a| gOZ &&2&&
ghH$ma ¶h gñH$ma h - OZ OZ H$m AmYma h&
ghH$ma ¶h gñH$ma h - OZ OZ H$m AmYma h &&Y&&
ñdmdbå~r ghH$ma hm H$maU, Zht H$m‘ ¶ gaH$mar&
gm‘mÝ¶ OZm| H$m {hñgm Bg ‘|, nOrdmX na h ^mar&
ghH$ma {~Zm CÕma Zht h @ @
AmAm Bg ~T>m¶| h‘ &&3&&
ghH$ma ¶h gñH$ma h - OZ OZ H$m AmYma h&
ghH$ma ¶h gñH$ma h - OZ OZ H$m AmYma h &&Y&&

।। बिना सहकार, नहीं संस्कार, बिना सहकार, नहीं उद्धार ।।

ghH$ma ^maVr

AmR>dm amîQ´r¶ A{YdeZ (A‘Vga-nOm~)

‘ nYma hE g^r A{V{W, à{V{Z{Y VWm H$m¶H$VmAm H$m

hm{XH$ ñdmJV&

दिनानाथ ठाकूर
राष्ट्रीय अध्यक्ष

डा. उदय जोशी
राष्ट्रीय महामंत्री

बलराम दास बावा
प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब

ॲड. रविंदर ठाकूर
प्रदेश महामंत्री, पंजाब

ghH$ma gJY ñ ‘m[aH$m

gnmXH$ ‘S>b

lr ^mbMÐ HbHUu, gnmXH$ - ghH$ma gJY
lr eH$a XÎm {Vdmar, CÎma j Ìr¶ à‘ l - ghH$ma ^maVr
g lr nZ‘ ^maÛmO, gXñ¶

AmYm ñV^ - ghH$ma ^maVr

àaUm néf lÕ¶ bú‘Uamd BZm‘Xma

am{ï´r¶ AÜ¶j

~gVand XdnOmar
(2000-2003)

Sm. A{dZme AmMm¶
(2003-2006)

Á¶mqVÐ^mB ‘hVm
(2006-2009)
(2015-2018)

gVre ‘amR
(2009-2015)

a‘e dÚ
(2018-2021)

XrZmZmW RmH$a
(2021-2024)

Sm. CX¶ Omer
(2024 g...)

am{ï´r¶ ‘hm‘Ìr

gVre ‘amR
(2000-2003)

HHmSr nÙZm^
(2003-2006)

{dîU ~m~S
(2006-2009)

g^mfMÐ ‘mSJ
(2009-2013)

{OV^mB i¶mg
(2013-2015)

Sm. CX¶ Omer
(2015-2024)

am{ï´r¶ gJRZ ‘Ìr

AÀ¶V ‘mYd Cnm»¶
VmE¶m BZm‘Xma
(1990-1999)

g¶H$mV H$bH$a
(1999-2009)

{dO¶ XdmJZ
(2009-2018)

gO¶ nmMnma
(2018 g ....)

The IFFCO Ecosystem

Over the last 54 years, IFFCO has evolved into an ecosystem comprising of products, services and support system that ensure fairness, transparency and sustainable practices.

Best wishes from

IFFCO

पूर्णतः सहकारी स्वामित्व

Wholly owned by Cooperatives

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

संदेश

सहकार भारती के 8वें तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के अमृतसर में आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। इस अवसर पर विशेष स्मारिका 'सहकार सुगंध' का विमोचन सराहनीय है।

भारत में सहकारिता का गौरवशाली इतिहास रहा है। अनंत संभावनाओं को समेटे सहकारिता राष्ट्र की उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन है। विकास के नये आयाम स्थापित कर रहे देश की सहकारी समितियों को एक जन-आधारित आंदोलन के रूप में जमीनी स्तर तक पहुँचाने और सहकार आधारित आर्थिक मॉडल विकसित करने के लिए हमने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है जो देशवासियों को 'सहकार से समृद्धि' की राह पर आगे बढ़ने में मदद कर रहा है।

यह सहकारिता का सामर्थ्य है जो गांव, गरीब, किसान और विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुए 'नारी नेतृत्व में विकास' के मंत्र को बल दे रहा है। इस दिशा में सहकार भारती सहित देश की विभिन्न समितियां व संस्थाएं उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं।

अमृत काल में हम एक भव्य व विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर हैं। इस कर्तव्य काल में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में सहकार की निर्णायक भूमिका होगी।

मुझे विश्वास है कि इस अधिवेशन में सहकारिता को लोकप्रिय और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फलदायी चर्चा होगी। अधिवेशन में श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जी व कै. हरि उपाख्य आण्णासाहब गोडबोले जी की स्मृति में विशेष पुरस्कारों का वितरण प्रशंसनीय है जो लोगों को सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को प्रेरित करेगा।

अधिवेशन में हिस्सा ले रहे सभी लोगों को भविष्य के प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली
अग्रहायण 14, शक संवत् 1946
05 दिसम्बर, 2024

अमित शाह

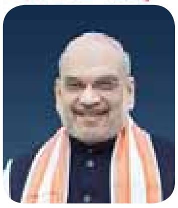

सत्यमेव जयते

गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि **सहकार भारती** के 8वें **अधिवेशन** का आयोजन अमृतसर, पंजाब में किया जा रहा है तथा इस अवसर पर **'सहकार सुगंध'** नामक स्मारिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

सहकारिता समाज में सहयोग, समर्पण और सेवा की भावना को सशक्त बनाती है। सहकार भारती ने सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और सहकारिता के माध्यम से एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में अभूतपूर्व योगदान भी दे रहा है। मुझे विश्वास है कि यह अधिवेशन सहकारिता क्षेत्र में नए विचारों और प्रेरणा का संचार करेगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका को उल्लेखनीय बनाने के लिए स्वायत्त सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। सहकारिता मंत्रालय ने अपनी अब तक की यात्रा में 60 से अधिक निर्णयों के माध्यम से सम्पूर्ण सहकारी तंत्र को नया जीवन दिया है। कालांतर में, सहकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में देश की सहकारी समितियों और व्यवस्थाओं को और भी व्यवस्थित, तकनीक केंद्रित और व्यापक बनाने के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं।

मैं, सहकार भारती के सभी कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों और सहयोगियों को उनके समर्पण और प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ देते हुए स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

(अमित शाह)

श्री दीनानाथ ठाकुर,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहकार भारती

कार्यालय : गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23092462, 23094686, फैक्स : 23094221
ई-मेल : hm@nic.in

मुरलीधर मोहोळ
सहकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

MURLIDHAR MOHOL
Minister of State For Cooperation
Government of India

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि सहकार भारती के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर **"सहकार सुगंध"** के नाम से विशेष स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां हम सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और आने वाले समय के लिए रणनीति बनाते हैं।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने हाल के दिनों में सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। ऐसे सभी निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता के क्षेत्र में आपका समर्पण और कड़ी मेहनत लाखों किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

मैं, सहकारिता मंत्रालय की ओर से सहकारिता के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और इसे मजबूत बनाने के लिए आप सभी से मिलकर काम करने की अपेक्षा करता हूँ। मैं आशा करता हूं कि यह अधिवेशन सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करेगा। मैं, एक बार फिर से आयोजक मण्डल को 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन के आयोजन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ तथा **"सहकार सुगंध"** की सफलता की कामना करता हूँ।

(मुरलीधर मोहोल)

8वां तल, अटल अक्षय उर्जा भवन
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

8th Floor, Atal Akshay Urja Bhawan,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

(भारतीय सहकारी आंदोलन की शीर्षस्थ संस्था)

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

(APEX ORGANISATION OF THE INDIAN COOPERATIVE MOVEMENT)

दिलीप संघाणी
(पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री गुजरात सरकार)
अध्यक्ष

Dileep Sanghani
(Ex. MP & Ex. Minister, Govt. of Gujarat)
President

fnukd % 02-12-2024

lans'k

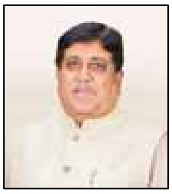

;g vR;r g'k dk fo'k; g fd ^lgdkj Hkkjrh* }kjk verlj ¼itkc½ e fnukd 6] 7 ,o 8 fnlEcj 2024 dk 8o jk'Vh; vf/ko"ku dk vk;ktu fd;k tk jgk g A bl vf/ko"ku e lgdkjh Hkkjrh }kjk ^lgdkj lx/k* ¼lgdkj Hkkjrh dk e[ki=½ uke l fo"k'k Lekfjdk dk idk"ku ,o foekpu Hkh fd;k tk jgk g A e bl lvolj ij lgdkj Hkkjrh dk jk'Vh; vf/ko"ku ,o Lekfjdk d çdk'ku gr Hkkjrh; jk'Vh; lgdkjh l?k dh vkj l gkfnd cèkkÃ ,o 'kHkdkeuk, nrk g A

vkt fo"o e [kyh vFk0;oLFkk dk nkj g ftle mnkjhdj.k] futhdj.k ,o fo"o0;kih nf'Vdk.k dk egRo fn;k tk jgk gA blls fo"o d lkFk& lkFk gekj n"k ,o in"k d vkfFkd ifjn"; e Hkh cnyko d ldr feyuk ikjHk gk x, gA n"k e cgjk'Vh; difu;k d vkxeu l lgdkfjrkvk dk vud {k=k e mul ifrLi/kk djuh iM jgh gA blds fy, t:jh g fd ge viuh dfe;k dk ijk dju d lkFk&lkFk detkfj;k dk nj dj viu ijk ij [kM gkA bl Øe e n"k e gfjr] "or rFkk uhyh Økfr;k d lQyrkiod lpkyu] lekos"kh ixfr d btu d :i e dke djuk rFkk yk[kk y?k ,o lhekr fdlkuk] Hkfeghu etnjk] lekt d detkj oxk d lnL;k] n"k Hkj dh xkeh.k efgykvk d thou e lkekftd rFkk vkfFkd cgrjh ykus e lgdkjh lLFkkvk u mYy[kuh; Hkfedk vnk dh gA

tlk fd fofnr g fd ekuuh; i/kkue=h Jh ujUnz eknh th u vFk0;oLFkk ,o tuki;kxh ;ktukvk e lgdkfjrk dh Hkkxhnkjh lfuf"pr dju ,o lgdkfjrk d egRo dk nf'Vxr j[kr g, 6 tykb 2021 dk lgdkfjrk e=ky; dh LFkkiuk ftl Jh vfer "kkg th d d"ky urRo e lpkfyr fd;k tk jgk g A vkt lgdkjh vkanksyu] e=ky; dh fofHkUu igyk d ek/;e l vFk0;LFkk dk lns dju e rhu xfr l vkx c< jgk g A lgdkjh lfefr;k dk iDl l viDl rd l"kDr dju e Hkkjr ljdkj }kjk fo"k'k dne mBk, tk jg g ,o lnL;k dk f"kf{kr dju e igy dh tk jgh g A lkFk gh dEl;Vjhdj.k Hkh ikFkfedrk e g ftll lgdkjh lfefr;k dk lpkyu vkj cgrj gkxk rFkk ikjnf"krk Hkh vk,xh A

lgdkj&Hkkjrh dh LFkkiuk lgdkfjrk vknksyu dk tudY;k.kdkjh Lo:i ndj vkj vfèkd etcrh çnku dju d mí'; gÃA tulkekU; dh lok }kjk lekt d vkfFkd mRFkku dk i;Ru] lgdkjh dk;drkvk dk çf'kf{kr ,o lLdkfjr djuk] lgdkfjrk dk tulèkkj.k e çpkj o çlkj djuk] ifjlokn] ifjppk] lEeyu] bR;kfn dk;Øek }kjk tu tkxj.k djuk] rFkk lgdkfjrk dk lektki;kxh cuku e lgdkj Hkkjrh dk;jr g A lgdkjh Hkkjrh }kjk 8o jk'Vh; vf/ko"ku l lekt d xjhc] nfyr] "kf'kr] ofpr ,o vlxfBr oxk d mRFkku gr ppk gkxh ,o cy feyxk rFkk lgdkjh lfefr;k d le{k vk jgh fofHkUu pukfr;k dk lek/kku <<u e lgk;rk feyxh ftll lgdkjh Hkkjrh d mnn";k dk fn"kk feyxh A bl volj ij lEi.k Hkkjr l 2500 l vf/kd ifrfuf/kx.k dk ,df=r gkuk] lgdkfjrk vknksyu dh ,drk dk n"kk,xk A

e viuh ,o Hkkjrh; jk'Vh; lgdkjh l?k dh vkj l lgdkjh Hkkjrh; }kjk vk;kftr 8o jk'Vh; vf/ko"ku d lQy vk;ktu ,o ^lgdkj lx/k* Lekfjdk d fo"k'kkd d idk"ku dh gkfnd "kHkdkeuk, if'kr djrk gA

(हस्ताक्षर)
¼fnyhi l?kk.kh½

Mk- mn; tk"kh
jk'Vh; egke=h
lgdkj Hkkjrh

3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ ख़ास, नई दिल्ली-110016
3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016
दूरभाष/ Phone : 011 - 40616370, 49846339 फैक्स/Fax : 011 - 41811153
ई-मेल/E-mail: ncuipresident@gmail.com, वेबसाइट/Website: www.ncui.coop

धर्मेन्द्र प्रधान
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
Dharmendra Pradhan

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

शिक्षा मंत्री
भारत सरकार
Minister of Education
Government of India

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि भारतीय सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठन **सहकार भारती** का "8वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन" अमृतसर, पंजाब में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में "सहकार सुगंध" नाम से एक विशेष स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है और संस्था के प्रेरणा पुरुष श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदारजी तथा प्रथम कार्याध्यक्ष कै. महादेव हरि उपाख्य अण्णासाहब गोडबोले जी की स्मृति में पुरस्कारों का वितरण भी किया जा रहा है।

'सहकार भारती' संस्था अपने स्थापना काल से ही सहकारिता-आंदोलन को जनकल्याणकारी स्वरूप देकर और अधिक मजबूती प्रदान करने तथा समाज का आर्थिक उत्थान करने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही संस्था के द्वारा सहकारिता क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन करने, सहकारिता-कार्यकर्ताओं को सम्मानित व संगठित करने तथा सहकारिता को समाजोपयोगी बनाने के लिए भी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। समाज में दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित वर्गों का स्थायी आर्थिक विकास करने का एक प्रमुख संसाधन सहकारिता है।

मैं "सहकार सुगंध" नामक विशेष स्मारिका के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन की कामना करता हूँ।

धर्मेन्द्र

(धर्मेन्द्र प्रधान)

सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा

MOE - Room No. 301, 'C' Wing, 3rd Floor, Shastri Bhavan, New Delhi-110 001, Phone : 91-11-23782387, Fax : 91-11-23382365

८ वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

६, ७, ८ दिसंबर २०२४,
अमृतसर (पंजाब)

श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार स्मृति पाँचवा पुरस्कार

पुरस्कारार्थी :
मा. श्री. शंकरभाई लगधीरभाई चौधरी
गुजरात विधानसभा अध्यक्ष
चेयरमैन, बनासकांठा जिला सहकारी
दुग्ध उत्पादक संघ लि., पालनपूर

श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार का जन्म 21 सितंबर, 1917 को ऋषिपंचमी के दिन हुआ था। उनके सात भाई थे, जिनमें से वे तीसरे नंबर के थे और दो बहनें थीं। वे महाराष्ट्र के सतारा जिले से थे और पेशे से वकील थे। उन्होंने देश के तेज़, टिकाऊ और न्यायसंगत विकास के लिए मूल्य आधारित और नैतिक सहकारी आंदोलन की कल्पना की थी। 1978 में सहकार भारती के गठन में वे मुख्य प्रेरक शक्ति थे।लक्ष्मणराव इनामदार, जिन्हें वकील साहब के नाम से जाना जाता है, गुजरात में आरएसएस के शुरुआती प्रचारकों में से एक थे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस में बाल स्वयंसेवक के रूप में शामिल करने का श्रेय दिया जाता है। वकील साहब को नरेंद्र मोदी के करियर को आकार देने का श्रेय दिया जाता है और वे एक खास बंधन साझा करते थे। उनका निधन 67 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। अपने जीवन के अंतिम 5 वर्षों के दौरान उन्होंने पूरे देश में यात्रा की ताकि वे अलग-अलग हिस्सों में सहकारी आंदोलन से खुद को परिचित कर सकें और सहकार भारती के बीज बोए जो अब एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में विकसित हो चुका है।

ॲड. अन्नासाहब गोडबोले स्मृति प्रथम पुरस्कार

पुरस्कारार्थी :
Mulkanoor Co-op. Rural Credit & Marketing Society Ltd.
Mulkanoor, Warangal (Telangana)

स्वर्गीय महादेव हरि उपाख्य अन्नासाहब गोडबोले (बीए, एलएलबी) का जन्म 27 मार्च 1905 को इस्लामपुर, जिला सांगली में एक साधारण लेकिन सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। बचपन में उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और सभी बाधाओं से लड़ते हुए शिक्षा पूरी की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें तत्कालीन जनसंघ और अब भाजपा के टिकट पर पहले विधायक के रूप में चुने जाने का गौरव प्राप्त है। सहकारी आंदोलन के विकास में उनका योगदान, विशेष रूप से शहरी सहकारी क्षेत्र में, जमीनी स्तर से सराहनीय था। 1935 में ब्रिटिश राज के दौरान, आम भारतीय, स्थानीय लोगों की सेवा के लिए उन्होंने सांगली में सांगली अर्बन बैंक की स्थापना की और अपनी अंतिम सांस तक इस बैंक के विकास के लिए काम किया। अण्णासाहेब की स्मृति को बनाए रखने के लिए उनकी बेटियों श्रीमती प्रभा गोखले और परिवार के सदस्यों, श्री लक्ष्मी भागवत और परिवार, श्रीमती विजया रानडे और परिवार, श्रीमती वसंती लागो-पराडकर और परिवार ने इस पुरस्कार को शुरू करने के लिए योगदान दिया है।

hm{XH$ A{^ZXZ

I r eH$a^mB MmYar

शंकर चौधरी (जन्म 3 दिसंबर 1970) गुजरात राज्य के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे दिसंबर 2022 से गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वे 1998 से 2017 तक और फिर 2022 से विधानसभा के सदस्य रहे। वे गुजरात में राधनपुर (1998 से 2017) से विधायक थे। वे 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में थराद निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे।वह महासचिव युवा भाजपा हैं। उनका जन्म ग्राम अर्बुदानगर, राधनपुर, जिला पाटन, गुजरात में हुआ था। शंकर चौधरी बनास डेयरी, गुजरात के अध्यक्ष हैं। वह पूर्व था. गुजरात सरकार में मंत्री. कामराज भाई चौधरी बनास डेयरी, गुजरात के एम.डी. हैं।वह अध्यक्ष, बनासकांठा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पालनपुर (2006-2015), अध्यक्ष, बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, पालनपुर (27 दिसंबर, 2015 से सक्रिय) और उपाध्यक्ष, गुजरात राज्य सहकारी बैंक, अहमदाबाद (2009-2023)

_bH$Za ghH$mar Jm_rU F$U Ed {dnUZ gmgm¶Qr {b{_QS>

मुलकनूर सहकारी बैंक को प्रमोटर स्वर्गीय श्री ए.के. विश्वनाथ रेड्डी ने वर्ष 1956 में हैदराबाद सहकारी समिति अधिनियम 1952 के तहत पंजीकृत कराया था। सहकारी समिति अधिनियम 1964 के अधिनियमित होने के बाद यह समिति इसके तहत पंजीकृत मानी गई। बाद में पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम 1995 के अधिनियमित होने के बाद इसे एमएसीएस अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया। समिति का कार्यक्षेत्र: 14 राजस्व गांव/18 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसके कार्यक्षेत्र में भूमि ऊंची-ऊंची पहाड़ियों से ढकी है। छोटे टैंकों और पोखरों को छोड़कर सिंचाई का कोई बड़ा स्रोत नहीं है। अधिकांश कृषि गतिविधियाँ पूरी तरह से खुले कुओं और बोरवेल पर निर्भर हैं। भूमिगत जल का पूरी तरह से दोहन हो चुका है सहकारी संस्था ने संस्थापक अध्यक्ष के निवास से किसानों की सेवा करना शुरू किया और वर्ष 1970 में अपना स्वयं का कार्यालय परिसर बनाया। वर्तमान में समिति के 7629 सदस्य हैं, जिनकी शेयर पूंजी 13.96 करोड़ रुपये और बचत जमा राशि 24.61 करोड़ रुपये है। वर्ष 2015-16 के लिए समिति का कारोबार 270.18 करोड़ रुपये है। समिति का लेखा-जोखा ''ए'' श्रेणी का है।

अलीगिरेड्डी प्रवीण रेड्डी, अध्यक्ष, एमसीआरएस एंड एमएस लिमिटेड।

एमसीआरसी और एमएस लिमिटेड की अध्यक्षता में, कई गतिविधियों की शुरुआत की गई, किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य संबद्ध गतिविधियों में विविधता लाई गई, जिसमें कृषि का विकास भी शामिल है और सोसायटी के किसान सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं। सोसायटी के अध्यक्ष श्री ए प्रवीण रेड्डी 24-02-2020 को नई दिल्ली में आयोजित ''आउटलुक एक्सप्रेस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव और स्वराज अवार्ड्स 2020'' के समारोह के दौरान ''सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक कृषक सहकारी समिति'' के साथ रहे। ग्रामीण विकास सोसायटी के अध्यक्ष, इससे पहले वे और अन्य सोसायटियों के निदेशक थे।

I Õ¶ bú‘UamdOr BZm‘Xma ñ‘Vr nañH$ma

1

18th Jan. 2013, Bengluru

श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार प्रथम स्मृती पुरस्कार गुवाहाटी के श्री दीपक कुमार ठाकुर को प्रदान किया गया। १८-१९ जनवरी, २०१३ को बेंगलुरु में आयोजित सहकार भारती के चौथे राष्ट्रीय अधिवेशन में आरएसएस सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत के हाथों सम्मानित किया गया। एदुभाषियाचित्र में अन्य लोग (बाएं से दाएं) अनंत कुमार, केंद्रीय मंत्री और जगदीश शेट्टार, कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री।

श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार द्वितीय स्मृती पुरस्कार जीसीएमएमएफ (एएमयूएल) के अध्यक्ष श्री जेठाभाई पटेल जी को दिया गया। श्री जेठाभाई जीसीएमएमएफ (एएमयूएल) के अध्यक्ष हैं। वे साबरकांठा मिल्क यूनियन (साबर डेयरी) के अध्यक्ष भी हैं, जिस पद पर वे २०१० से हैं। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड (जीसीएमएमएफ), भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पाद विपणन संगठन है।

2

20th Nov. 2015, Ahmedabad

3

22th Dec. 2018, Pushkar

श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार तृतीय स्मृती पुरस्कार से डॉ. यू. एस. अवस्थीजीं को सन्मानित किया गया। वे फरवरी १९९३ से भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के एमडी के रूप में कार्यरत हैं। वे दूरदर्शी और जनता के सच्चे दूत हैं, वे न केवल भारतीय उर्वरक उद्योग में नेतृत्व करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड १००० कंपनियों की सूची में इफको ८वें स्थान पर है। वे सबसे बड़े सहकारी नेता और ग्रामीण अर्थशास्त्री हैं।

केन्द्रीय सुपारी एवं कोको विपणन एवं सहकारी समिति, जिसे कैम्पको के नाम से जाना जाता है, ११ जुलाई १९७३ को पंजीकृत हुई। कैम्पको देश की कुछ प्रमुख सहकारी संस्थाओं में से एक है। यह बहु-राज्यीय समिति है, जिसके लगभग १.५० लाख किसान सदस्य हैं। इसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक और केरल है। इसका मुख्य उद्देश्य सुपारी, कोको, रबड़ और काली मिर्च आदि उत्पादों की खरीद और बिक्री करना है।

4

18th Dec. 2021, Lucknow

TRDP MARIO
जहां दिल ये MARIO
अपना समझ के
रख लिया
#RusksJoDilJitLe
MARIO
Rusk
Oven fresh

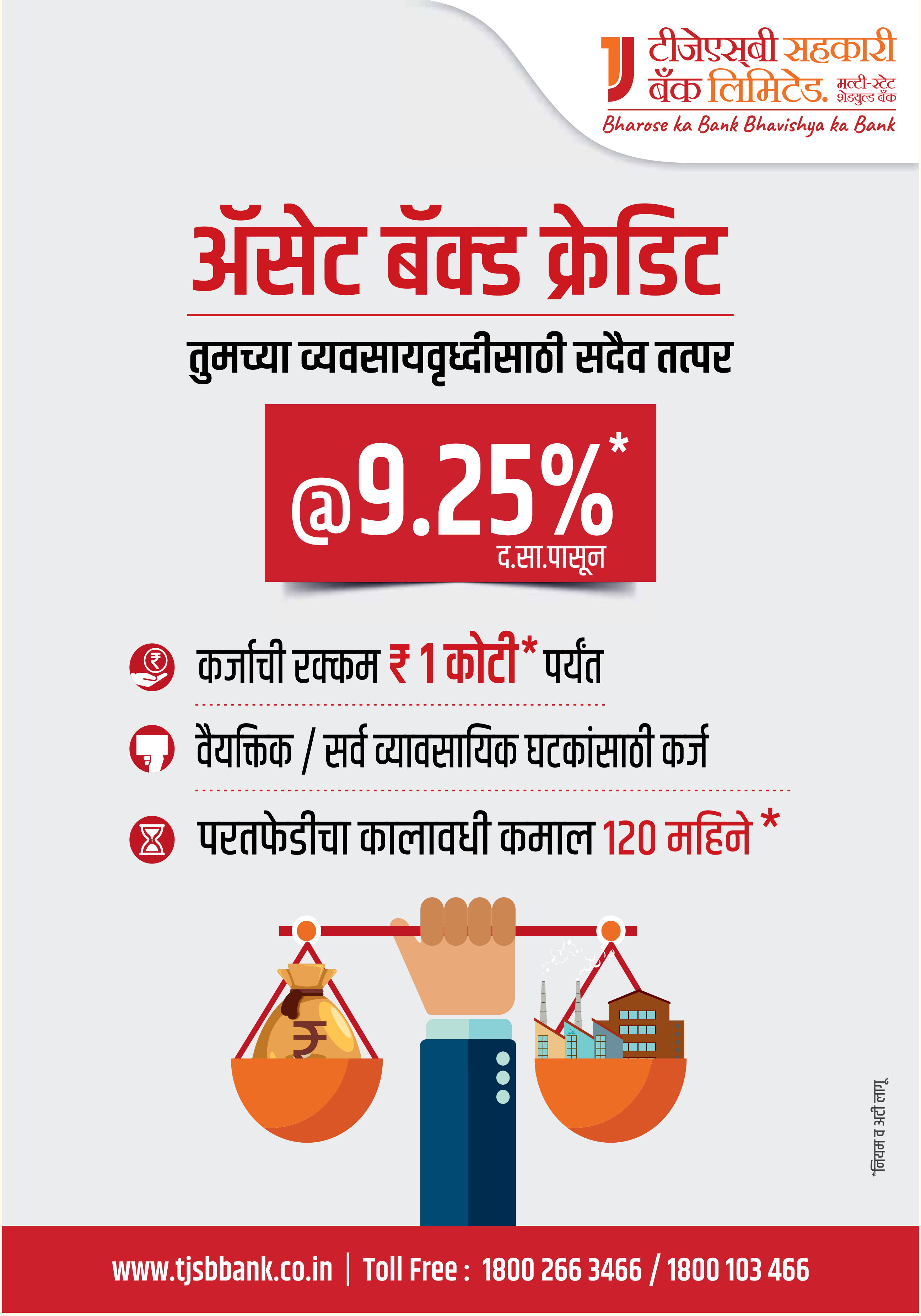
टीजेएस्‌बी सहकारी बँक लिमिटेड.
मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक
Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank
अ‍ॅसेट बॅक्ड क्रेडिट
तुमच्या व्यवसायवृध्दीसाठी सदैव तत्पर
@9.25%*
द.सा.पासून
कर्जाची रक्कम ₹ 1 कोटी* पर्यंत
वैयक्तिक / सर्व व्यावसायिक घटकांसाठी कर्ज
परतफेडीचा कालावधी कमाल 120 महिने *
*नियम व अटी लागू
www.tjsbbank.co.in | Toll Free : 1800 266 3466 / 1800 103 466

Azadi Ka Amrit Mahotsav
SINCE 1968
HAFED
The Haryana State Cooperative Supply & Marketing Federation Ltd.
MAKE IN INDIA
बूँद-बूँद में शुद्धता, दाने-दाने में स्वाद
Newly LAUNCHED
FOR ALL KINDS OF BULK AND INSTITUTIONAL QUERIES CALL 0172-2590520-26 EXT. 204
AMBALA: 1) Hafed Bazaar: Nicholsons Rd. Ambala Cantt, 2) Hafed Retail Store: Jain College Road, Ambala city; BHIWANI: 3) Hafed Bazaar: Luxmi Tower, Dinod Gate, Bhiwani, 4) Hafed Sale Point, Hansi Road Bhiwani; PALWAL : 5) Hafed Bazaar: Agra Chowk, Main Delhi Mathura Road, Palwal, BALLABHGARH 6) Hafed Retail store: New Anaj Mandi, Ballabhgarh; CHANDIGARH: 7) Hafed Retail Store: Sector-7 C, SCO-18, Madhya Marg, Chandigarh, 8) Hafed Retail Store, Haryana Civil Secretariat (Reception Area), Sector-1 Chandigarh; DELHI: 9) Hafed Warehouse Complex, Near Wazirpur DTC Depot, New Delhi; YAMUNA NAGAR: 10) Hafed Bazaar: Jagadhari Road, Near SBI Bank, Yamuna Nagar 11) Hafed Retail Store: Panchayat Bhawan, Jagadhri ; SONEPAT: 12) Hafed Retail Store: Indl. Area, Bypass Rohtak Road, Sonepat; SIRSA: 13) Hafed Bazaar: PNB Street, Rori Bazaar, Sirsa, 14) Hafed Bazaar: Shop No 42, Huda Complex, Complex, Opposite Town Park, Sirsa; REWARI: 15) Hafed Bazaar: Shop No. 26, 27, 28, Bawal Rd. Opp. Brass Market, Rewari, 16) Hafed Retail Store: Hafed Complex, Konsiwas Road, Rewari ; PANIPAT: 17) Hafed Retail Store: Distt. Office Complex, Near Khadi Ashram, GT Road Panipat; PANCHKULA: 18) Hafed Corporate Office, Sec-5, Panchkula; NARNAUL: 19) Hafed Complex: Nizampur Road, Narnaul; KURUKSHETRA: 20) Hafed Bazaar: SCO 31, Sec-13, Kurukshetra, 21) Hafed Retail Store: Haryana Tourism Parakeet Complex, Pipli; KAITHAL: 22) Hafed Retail Store: Jind Road, Kaithal; JIND: 23) Hafed Bazaar: Near Surya Resort and Police Thana, Jind, 24) Hafed Retail Store: Hafed Sale Point DRDA, Jind; HISAR: 25) Hafed Bazaar: Behind Jain Children Hospital, Red Square Market Hisar, 26) Hafed Retail Store: Hafed District Office, Near Madhuban Park, Hisar; FATEHABAD: 27) Hafed Bazaar: Near Thara Ram Sweets, Jawahar Chowk, Fatehabad, 28) Hafed Retail Store: Near Power House, Bhattu Road, Fatehabad; KARNAL: 29) Hafed Bazaar: Vishal Complex, Azad Nagar, Karnal, 30) Hafed Retail Store: SCO-19-20, Sector-12, Urban Estate Karnal, 31) Hafed Retail Store: Shop No. 6 & 7, Minar Road, Karnal, 32) Hafed Sugar Mill, Phaprana Assandh, 33) Hafed Retail Store at Hafed Rice Mill, G.T Road, Haryana; ROHTAK: 34) Hafed Retail Store at Hafed Cattle Feed Plant, Near Sukhpura Chowk, Rohtak; GURGAON: 35) Hafed Retail Store: Shop No 10, Vikas Sadan, Near Mini Secretariat , Gurgaon
hafed@hry.nic.in http://hafed.gov.in Like & Follow us on @HAFED Haryana @hafedharyana @hafed_haryana

सहकार नेपाल

दि. ७ से ११ सितंबर २०२३ - नेपाल

'सहकार नेपाल' द्वारा आयोजित प्रवास में सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. दीनानाथ जी ठाकुर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री. संजय पाचपोर जी का काठमांडू, बिरगंज, जनकपुर तीन स्थान पर कार्यक्रम व बैठक संपन्न हुआ। सहकार भारती द्वारा 'सहकार नेपाल' को हर तरह का सहयोग जैसे कि Skill Development, नेपाल में सहकारिता संबंधित संभावनायें, सहकारिता का काम आम जनमानस तक पहुंचाना, तकनिकी लाभ एवं समय पर प्रशिक्षण व हर प्रकार का सहयोग करने का निर्णय लिया गया। तीन कार्यक्रम में कूल २६२ संख्या उपस्थित रही।

रा. स्व. संघ के माननीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी नागपुर, महाराष्ट्र में सहकार भारती के प्रोजेक्ट **'सिंपली देसी'** के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन करते हुये -

अरुणाचल प्रदेश कार्यकारिणी गठन

राष्ट्रीय महिला अधिवेशन

सहकार भारती तृतीय महिला अधिवेशन दि. १५ एवं १६ दिसंबर २०२३ को कान्हा शांतिवन, चेगुर, भाग्यनगर (हैदराबाद-तेलंगना) में संपन्न हुआ। २४ राज्यों के लगभग ४०० जिलों से २७६० महिला प्रतिनिधियों की इस अधिवेशन में उपस्थिती रहीं। इस अधिवेशन में महिला सशक्तीकरण तथा महिलाओं की सहकारिता क्षेत्र में बढ़ती सहभागिता इन विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ।

मुंबई विश्वविद्यालय और सहकार भारती द्वारा आयोजित **माननीय लक्ष्मणराव इनामदार स्मृति व्याख्यान** २३ सितम्बर २०२३ को मुंबई विश्वविद्यालय कॅम्पस में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मंचस्थ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री. अमित शाह, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री. रमेश बैस, मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, उच्च शिक्षा मंत्री श्री. चंद्रकांत पाटील, कौशल मंत्री श्री मंगलप्रभात लोढा एवं सहकारिता मंत्री श्री दिलीप वलसे पाटील, मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति श्री. रविंद्र कुलकर्णी, सहकार भारती के अध्यक्ष श्री. दीनानाथ ठाकुर एवं महामंत्री डॉ. उदय जोशी की गरिमामय उपस्थिती में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

सहकारी बैंक, क्रेडिट, हाऊसिंग, डेअरी, फिशरीज, चिनी मिल प्रतिनिधी सहभागिता के साथ कार्यक्रम में ७०० से अधिक उपस्थिती रही।

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACS) का राष्ट्रीय अधिवेशन

सहकार भारती द्वारा दि. ९ एवं १० फरवरी २०२४ को हुबली (कर्नाटक) में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन श्री. जी टी देवगौड़ा विधायक एवं कर्नाटक कोआपरेटिव फेडरेशन के द्वारा किया गया। अधिवेशन में देश के १६ राज्यों से ९४० प्रतिनिधी एवं समापन सत्र के लिये कर्नाटक से (११५० सोसायटीयों से) ४ हजार अध्यक्ष, संचालक, सचिवों एवं प्रतिनिधीयों ने भाग लिया।

_hm_§Ìr à{VdXZ

ये मेरा परम सौभाग्य है कि, लगातार तीसरी बार महामंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर मुझे प्रात हुआ है। संपूर्ण भारतवर्ष के सभी

कार्यकर्ताओंका, आपार विश्वास मुझे प्रात हुवा है, ये मेरे लिए अतीव गर्व तथा अभिमान का विषय है। अतः सभी कार्यकर्ताओंका मै आभार प्रकट करता हूं। 19 दिसंबर 2021 लखनौ के 7 वे अधिवेशन मे घोषित वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल, इस 8 वे राष्ट्रीय अधिवेशन मे समात होने जा रहा है। विगत तीन सालों के मेरे कार्यकाल का महामंत्री प्रतिवेदन, आज मैं इस राष्ट्रीय अधिवेशन के

प्रारंभ मे, संपूर्ण भारतवर्ष से उपस्थित, चिन्हीत तथा दायीत्ववान कार्यकर्ताओं की उपस्थिती मै प्रस्तुत कर रहा हुं।

❊ श्रध्दा सुमन –

सहकार भारती के केंद्रीय कार्यालय प्रमुख अॅड गोविंद तांबोलीजी की रेल दुर्घटना मे मृत्यू हो गयी। पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री. सुभाष मांडगे तथा नांदेड (महाराष्ट्र) से श्री. अशोक शिंदेजी की मृत्यू हो गयी। पं. बंगाल के पूर्वकालीक कार्यकर्ता श्री. संदीप जाना की भी मृत्यू हो गयी। रा. स्व. संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री. जयंतराव सहस्रबुध्देजी की भी मृत्यू हो गयी है। जानेमाने अर्थशास्त्री डॉ. विवेक देबराय, देश के आर्थिक विकासमे बहुमुल्य योगदान करनेवाले उद्योगपति श्री. रतन टाटा, स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकरजी कीभी दुर्भाग्य से मृत्यू हो गयी। इस के आलावा वायनाड के प्राकृतिक आपदा से 150 से अधिक नागरिके ंकी मृत्यू हो गयी है। सहकार भारती इन सभी को श्रध्दासुमन अर्पित करती है।

डा. उदय जोशी
राष्ट्रीय महामंत्री

❊ कार्यालय निर्माण –

हमारे इस कार्यकाल में सन 2023 में निम्नांकित चार स्थानोपर, सहकार भारती के स्वामीत्व मे कार्यालय निर्माण की प्रक्रिया संपूर्ण हो गयी।

1) दि. 21 जनवरी 2023 को कर्णावती (गुजरात) में प्रदेश कार्यालय का उद्धाटन बनासकांठा सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष तथा गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष श्रीमान शंकर भाई चौधरी तथा गुजरात प्रदेश सहकारिता मंत्री श्रीमान जगदिशभाई विश्वकर्माजी के कर कमलो द्वारा संपन्न हुवा। गुजरात स्टेट अॅपेक्स बँक के चेअरमन श्री. अजयभाई पटेल, आरबीआय के निदेशक श्री. सतिश मराठे, नॅपवॅब के अध्यक्ष श्रीमान ज्योतिंद्रभाई मेहता, राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री. संजय पाचपोर, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्री. कांतीभाई पटेल, प्रदेश म हामंत्री श्री. विनोद बरोचिया, संगठन मंत्री श्री. जीवनभाई गोले तथा गुजरात प्रदेश के सर्व प्रमुख कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे!
2) दि. 5 फरवरी 2023 को अमृतसर (पंजाब) में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दिनानाथ ठाकूरजी के कर कमलोसे कार्यालय स्थापीत हुवा। इस अवसरपर राष्ट्रीय संगठनमंत्री श्री. संजय पाचपोर, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष श्री. बलरामदास बावा, महामंत्री अॅड रविंदर ठाकूर, क्षेत्रप्रमुख श्री. शंकरदत्त तिवारी तथा पंजाब प्रदेश के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं कि उपस्थिती रही। इस अवसर पर 45 विकलांग नागरिकांको टायसिकल्स का वितरण किया गया।
3) दि. 4 एप्रिल 2023 को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश कार्यालय का उद्धाटन रा. स्व. संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख तथा सहकार भारती के संपर्व अधिकारी श्रीमान मंगेश भेंडेजी के करकमलो द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसरपर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. दिनानाथ ठाकुर, महामंत्री डॉ. उदय जोशी, संगठन मंत्री श्री. संजय पाचपोर, आरबीआय निदेशक श्री. सतिश म राठे, प्रदेश अध्यक्ष श्री. नारायणसिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री श्री. योगेंद्रसिंह सिसोदिया सहीत प्रदेश के सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
4) दि. 23 ऑगस्ट 2023 को असम प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी में, कार्यालय तथा प्रशिक्षण केंद्र का उद्धाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. दिनानाथ ठाकूर तथा संगठनमंत्री श्री. संजय पाचपोर के उपस्थिती मे संपन्न हुवा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री. प्रशांत बझरबरुवा, असम प्रदेश अध्यक्ष श्री. भावेनसिंग, संगठन मंत्री श्री. भरतजी, सह-संगठनमंत्री श्री. नवीनकुमार सहीत सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे।
5) दिल्ली, भाग्यनगर (तेलंगणा), पुणे (महाराष्ट्र) में कार्यालय निर्माण हेतू लिखीत समझौता पत्र (अग्रीमेंट) तैयार हुए है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि, शिघ्रही तीनों स्थानोपर कार्यालय निर्माण की प्रक्रिया संपूर्ण होगी।

❊ विशेष कार्यक्रम –

विगत तीन सालों में विशेष कार्यक्रमोंकी संख्या तथा गुणवत्ता आज तक सबसे अधिक रही है। सहकार भारती के कार्यविस्तार का यह एक म हत्वपूर्ण प्रमाण है।

1) दि. 3 **मार्च** 2022 **को सहकार भारती के प्रेरणा से स्थापीत,** सिंफली देसी मेगा स्टोर का उद्धाटन रा. स्व. संघ के सरसंघचालक परमपूज्य श्री. मोहन भागवत जी के कर कमलोद्वारा संपन्न हुवा। इस अवसर पर सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. दिनानाथ ठाकूर, महामंत्री डॉ. उदय जोशी, संगठन मंत्री श्री. संजय पाचपोर, महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री श्री. विवेक जुगादे सहीत प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
2) **यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव** – यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन मंगलवार, 16 अगस्त 2022 को जीरो पुश्ता (वाटर स्पोर्टस् क्लब) सोनियाविहार, दिल्ली में हुआ। सहकार भारती ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रुप से भाग लिया और मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहकार भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दिनानाथ ठाकूर तथा केंद्रीय जलमंत्री श्रीमान गजेंद्रसिंग शेखावतजीने इस पर हस्ताक्षर कर दिए।
3) **नमामि गंगे कार्यक्रम** – नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अर्थ गंगा पहल के तहत नदी के दोनो तटो के विस्तार क्षेत्र में 5 कि.मी.

की सीमा तक प्राकृतिक कृषि, आजीविका विकास, जलज, घाट पे हाँट, स्लज से खाद, पर्यटन एवं कृषि व हस्तशिल्प कला के उत्पादों को बाजार से सम्ब किये जाने से सम्बन्धित समस्त विषयों की जानकारी गंगा बेसिन के 5 राज्यों के उपस्थिति सहकार भारती के राज्य एवं जिला संयोजकों को प्रदान कराने तथा ग्रामो के कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 11.10.2022 को दो सत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर कार्यक्रम मे उपस्थित मान्यवर श्री. मिथिलेश कुमार मिश्रा, यूनिट हेड नॉलेज एंड प्लानिंग एस.एम. सी.जी. (उ.प्र.) सुश्री प्रियंका झाँ, पर्यावरण विशेतज्ञ,नामामि गंगे, सुश्री स्मृति सिंह, सीनियर एडवाइजर, एन.एम.सी.जी., प्रो. एन. के. दुबे, बॉटनी विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, डॉ. तुषार कान्त बेहरा, निदेशक, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, श्री. दीनानाथ ठाकुर - राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहकार भारती, डॉ. उदय जोशी - राष्ट्रीय महामंत्री, सहकार भारती, श्री. दीपक चौरसिया - राष्ट्रीय मंत्री, सहकार भारती, श्री. नरेन्द्र उपाध्याय - प्रदेश अध्यक्ष सहकार भारती उ. प्र.

4) **ग्रामीण कृषी सांख संस्था संमेलन, शिरपूर** – दि. 30 अक्टुबर 2022 को ग्रामीण कृषी सांख संस्था का संमेलन शिरपूर (म हाराष्ट्र) में संपन्न हुआ, जिस में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राज्यस्थान, पंजाब सहीत 17 राज्यो से 1750 प्रतिनिधी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय संगठनमंत्री श्री. संजय पाचपोरजीने मार्गदर्शन किया।

5) प. बंगाल में प्रदेश का महिला अधिवेशन संपन्न हुआ। जिसमें 19 जिल्हो से 350 प्रतिनिधी उपस्थित रहे।

6) प. बंगाल में ही 22 जिलो में जिल्हा अधिवेशनों का सफल आयोजन किया गया जिसमें वुल 2851 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके साथ साथ MSME, ICAR, NCCT के सहयोग से कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुए।

7) सहकार भारती के इतिहास मे सर्वप्रथम 11 जिले में 30 नये FPO का पंजीयन प. बंगाल मे पूर्ण हुआ।

8) **मध्यप्रदेश में सहकार भारती का धरना आंदोलन** – 2 जनवरी 2023 को सहकार भारती मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल में आंबेडकर जयंती पार्व में मध्यप्रदेश शासन की सहकारी नीतियों के विरोध में धरना दिया गया। जिसमें प्रमुख तथ्य सहकारिता के चुनाव वर्षों से लंबित, सहकारिता आंदोलन को दबाया जा रहा है, सहकारिता को उपेक्षित किया जा रहा है और हाल ही में शासन द्वारा एक सहकारिता बिल पास किया गया है, जोकि पूर्ण रुप से असंवैधानिक है आदि सम्मिलित है। यदि शीघ्र ही सहकारी संस्थाओं के चुनाव नही कराए गए तो सहकार भारती आगामी योजना में प्रत्येक जिला वेंद्र पर विशाल धरना आंदोलन आयोजित करेगी, इस संकल्प के साथ सभा का समापन हुआ। सभा को प्रदेश महामंत्री श्री. योगेंद्र सिंह ने संचालित किया, सभा को प्रदेश संगठन प्रमुख राकेश चौहान, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य श्री. प्रकाश रतन पारखी, शिवनारायण पाटीदार, भूपेंद्र नायक, वंचन सिंह आदि सहकारी नेताओं नें संबोधित किया।

9) **गुजरात सहकार संमेलन** – दि. 4-5 मार्च 2023 को श्री. जगदीशभाई विश्वकर्मा सहकारिता मंत्री द्वारा, श्री. सतीश मराठे जी के उपस्थिति में गुजरात राज्य सहकारिता सम्मेलन - 2023 का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत का वित्तीय क्षेत्र, कॉप वित्तीय संस्थानों से सर्वश्रेष्ठ शासन पतियों का पालन करने, भारत के डिजिटल होने के साथ सबसे नई तकनीक को अपनाने, सहकारिता से स्वावलंबी भारत, सहकारिता की गुजरात सरकार की निति व प्रश्नोत्तरी के पश्चात श्री. कांतिभाई पटेल ने समापन किया। लगभग 90 युसीबी और 250 क्रेडिट कॉप सोसायटी का प्रतिनिधित्व करने वाले 1200 से अधिक प्रतिनिधि 2 दिवसीय सम्मेलन में उपस्थित थे जिसमे यूसीबी के नॉर्थ गुजरात एसोसिएशन, क्रेडिट कॉप सोसायटी के नॉर्थ गुजरात एसोसिएशन और सहकार भारती द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किया गया था।

10) **नागपूर (महाराष्ट्र) स्वयं सहाय्यता समुह सेमिनार** – दि. 14 मई 2023 को नागपूर मे स्वयं सहायता ग्रुप (एसएचजी), वुटीर उद्योग एवं अन्य ग्राम्य सहकारी संस्थाओं से जुडी महिलाओं में बाजार तक पहूच बनाने को लेकर जागरुकता बढाने के लिए 14 मई 2023 रविवार को नागपूर में सहकार भारती पुरस्कृत सिम्पलीदेसी और पलपकार्ट के Orientation कार्यक्रम व बाजार पहुंच संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया।

11) **चिंतन बैठक** – दि. 6,7,8 जून 2023 को सहकार भारती के प्रमुख कार्यकर्ता ओं कि राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन बैठक सिमला (हिमाचल) में संपन्न हो गयी। रा. स्व. संघ के अखिल भारतीय प्रमुख तथा सहकार भारती के संपर्क अधिकारी श्रीमान मंगेशजी भेंडे का सानिध्य तथा मार्गदर्शन प्रात हुवा। राष्ट्रीय स्तर के 45 प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिती मे, सहकार भारती की संगठनात्मक रचना, निती रीती कार्यक्रम , कार्य विस्तार आदी विषयोंपर गंभीरतासे चिंतन, मनन संपन्न हुआ।

12) **दुग्ध उत्पादकों का सेमिनार** – 11 जून 2023 को ब्लॉक नुरपूर बेदी, जिला (रोपड) पंजाब में सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकूर जी कि अध्यक्षता में दुग्ध उत्पादकों का सेमिनार आयोजित किया गया। जिस में शंकर दत्त तिवारी जी उत्तर क्षेत्र संगठन प्रमुख, बलराम दास बावा जी अध्यक्ष पंजाब, युशवीर चन्द जी प्रधान रोपड, प्रेम भारद्वाज जी महामंत्री रोपड और डेरी कोआपरेटिव सोसायइटियों के सदस्यों के अलावा अलग-अलग सहकारिता क्षेत्र सदस्यों, पंजाब सहकार भारती कई जिलों के प्रधान, महामंत्री ने भाग लिया।

13) **एर्नावुलम केरल में FPO मार्केटिंग मीट आयोजित** – केरल सहकार भारती की सहायक वंपनी भारत एग्रो प्रोसेसिंग एंड मार्के टिंग को ऑपरेटिव ने 10 और 11 जून 2023 एर्नावुलम में एक एपपीओ मार्केटिंग मीट का आयोजन किया। केरल और तामि लनाडु राज्यों के 70 एपपीओ से लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बैठक में केंद्रीय त्स्य पालन पशुपालन और डेयरी विकाय विभाग के मंत्री श्री. पुरुषोत्तम रुपालाजी ने भाग लिया। क्वायर बोर्ड के अध्यक्ष डी. वुपू रामू, सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी, संगठन सचिव श्री. संजय पाचपोर आदि उपस्थित थे। विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया। इस तरह एपपीओ का मीट देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। बँक के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, मार्केटिंग, पूड प्रोसैसिंग इत्यादि क्षेत्र के जानेमाने व्यक्तियो ने मार्गदर्शन किया।

14) **सहकारिता के माध्यम से समृद्धि विषय पर एक सेमिनार –** गोध्रा गुजरात दि. 5 जुलै 2023 कों अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आनंद विभाग सहकार भारती ने गोधरा में सहकारिता के माध्यम से समृद्धी विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजयजी पाचपोर, गोधरा विधायक सीके राउलजी, प्रांत संयोजक धर्म जागरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धर्मेश मेहता, पंचमहल दाहोद जिला अर्बन बैंक फेडरेशन चेयरमेन के टी पारिख, जिला पंचायत पंचमहल अध्यक्ष कामिनीबेन सोलंकी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष कांतिभाई पटेल, नितिनभाई सोनी और विभाग के500 से अधिक सहकारी कार्यकर्ताओं की उपस्थिती में संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम के बाद गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष, पंचमहल जिला बँक के विधायक, पंचमहल डेयरी के अध्यक्ष श्री. जेठाभाई भरवाड ने पंचमहल जिला बँक की 600 से अधिक सेवा समितियों और 1000 से अधिक पंचमहल दूध संघ की सोसायटियों को सहकार भारती का सदस्य बनाया गया और अनका चेक जेठाभाई भरवाड द्वारा कांतिभाई को सौंपा गया। इस अवसर हरेशभाई बोरिसागर, जीवनभाई गोले उपस्थित थे।

15) **महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों के निदेशकों का एक दिवसीय सम्मेलन –** महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों के निदेशकों का एक दिवसीय सम्मेलन कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक पांडुरंग सहकारी चीनी पैक्टी, श्रीपुर उप-जिला मालशिरस, जिला में उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. दीनानाथजी ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदयजी जोशी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री. संजयजी पाचपोर, कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक, पांडुरंग सहकारी चीनी कारखाना के अध्यक्ष विधायक श्री. प्रशांतजी परिचारक, राष्ट्रीय सहकारी चीनी के कार्यकारी निदेशक फेडरेशन, नई दिल्ली श्री. प्रकाश नाइकनवरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी पैक्टी फेडरेशन के कार्यकारी निदेशक श्री. संजय खटाल, सहकार भारती के म हाराष्ट्र राज्य महासचिव श्री. विवेक जुगादे, कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक, पांडुरंग सहकारी चीनी पैक्टी के कार्यकारी निदेशक श्री. डॉ यशवंत कुलकर्णी, सहकार भारती महाराष्ट्र क्षेत्र के वेंद्रीय मंत्री श्री. संजय परमाने मुख्य रुप से उपस्थित थे।

16) **सहकार नेपाल –** दि. 7 से 11 सितंबर 2023 नेपाल : सहकार नेपाल द्वारा आयोजित प्रवास में सहकार भारती में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. दीनानाथ जी ठाकूर, राष्ट्रीय संघठन मंत्री श्री. संजय पाचपोर जी का काठमांडू, बिरगंज, जनकपुर तीन स्थान पर कार्यक्रम व बैठक संपन्न हुआ। प्रवास में राष्ट्रीय प्रचारक व सहप्रचारक, राष्ट्रीय प्रचार प्रसार प्रमुख प्रागिग विद्याथी परिषद संगठन मंत्री, बिरगंज महानगर पालिका के मेयर श्रीमान राजेशमान जी तथा जनकपुर नगर पालिका के मेयर श्रीमान मनोज साहजी, नेपाल राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य विद्या कुमारी सिन्हा एवं गायत्री परिवार के सावित्री कापले जी, श्रीमान नागेंद्र सिंह जी, महंत श्रीमान 1008 तपेश्वर दास जी एवं कई गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा संवाद किया। तीन कार्यक्रम में कूल 262 संख्या उपस्थित रही। सहकार भारती द्वारा सहकार नेपाल को हर तरह का सहयोग जैसे कि स्किल डेव्हलपमेंट, नेपाल में सहकारिता संबंधित संभावनाएं, सहकारिता का काम आम जनमानस तक पहूंचाना, तकनीकी लाभ एवं समय समय पर प्रशिक्षण व हर प्रकार हा सहयोग करने का निर्णय लिया गया। प्रवास में अमरननाथ जी, दीपु जी, विजयकुमार तिवारी, इंद्रपाल जी एवं राजेशजी उपस्थित रहे।

17) **माननीय लक्ष्मणराव इनामदार स्मृति व्याख्यान –** मुंबई विश्वविद्यालय और सहकार भारती द्वारा आयोजित माननीय लक्ष्मणराव इनामदार स्मृति व्याख्यान 23 सप्टेंबर 2023 को मुंबई विश्वविद्यालय कॅम्पस में सम्पन्न हुवा। कार्यक्रम में मंचस्थ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री. अमित शाह, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री. रमेश बैस, मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, उच्च शिक्षा मंत्री श्री. चंद्रकांत पाटील, कौशल मंत्री श्री. मंगल प्रभात लोढा एवं सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, मुंबई विश्वविद्यालय के वुलपति श्री. रविंद्र कुलकर्णी, सहकार भारती के अध्यक्ष श्री. दिनानाथ ठाकुर एवं महामंत्री डॉ. उदय जोशी की गरिमामय उपस्थिती में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ । सहकारी बैंक, क्रेडिट, हाउसिंग, डेरी, फिशरीज, चीनी मिल प्रतिनिधी सहभागिता के साथ कार्यक्रम में 700 से अधिक उपस्थिति रही। दीप प्रज्वलन के बाद मुंबई विश्वविद्यालय गीत एवं सहकार गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वुलपति ने मुंबई विश्वविद्यालय में स्थित माननीय लक्ष्मणराव इनामदार पीठ की जानकारी दी। डॉ. उदय जी ने सहकार भारती कि सैद्धांतिक भूमिका में मा. लक्ष्मणराव इनामदार जी का योगदान प्रकट किया। मुख्यमंत्री जी ने मा. लक्ष्मणराव इनामदार जी के महाराष्ट्र एवं गुजरात के कार्य को उजागर किया । गृह एवं सहकारिता जी का अमूल्य योगदान को याद किया। बिना संस्कार, नही सहकार का नारा देकर वकील साहब ने सहकारिता के आदर्शो में संवेदनशीलता को जोडने का काम किया। उनके बताए मार्ग पर चलकर सहकारिता के माध्यम से गरीबों को उनका हक देकर उनके लिए समृद्धी की नई राह, सहकारिता एकमात्र विकल्प है इस पर जोर दिया। महामहिम राज्यपाल जी ने वकील साहब की सादगी भरे सैद्धांतिक जीवन पर मनोगत व्यक्त किया। राष्ट्गीत के बाद कार्यक्रम की समाति हुई।

18) **सहकारी खेल महोत्सव –** कर्नाटक सहकार भारती स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रुप में, सहकारी खेल महोत्सव 21 जनवरी को रामकृष्ण शैक्षणिक संस्थानों, बंट्स हॉस्टल मैंगलोर के खेल के मैदान में आयोजित किया गया था। विभिन्न सहकारी संगठनों के लगभग 500 से अधिक स्टाफ और निदेशकों ने भाग लिया। केएमएफ के अध्यक्ष श्री. सुचरिता शेट्टी ने सहकार भारती के कार्यों की सराहना की। अतिथि श्रीमती श्वेता मदपादी ने कहा कि कला और खेल हमारे मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, इसलिए इसमें शामिल होना स्वस्थ रह सकता हैं। अतिथि के रुप में मौजूद आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यवाह श्री. प्रकाश जी ने कहा कि खेल से मन में खुशी और पवित्रता आती हैं। सहकार भारती के श्री. मोहन कुंबलेकर ने श्री राम प्रतिष्ठापना के बारे में बताया।

19) **गुजरात प्रदेश की ए–पत्रिका –** सहकारिता सताह के निमित्तसे गुजरात प्रदेश ने हर महिने ए-पत्रिका - सहकार सुगंध नामसे प्रकाशित कर दी । इस अवसर पर गुजरात स्टेट ॲपेक्स बँक

के चेअरमन श्री. अजयभाई पटेल, सहकार भारती को राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी, संगठन प्रमुख श्री. संजय पाचपोरजी, प्रदेश संगठन मंत्री श्री. जीवनभाई गोले उपस्थित रहे।

20) **सहकारिता पे आधारित मिठाई प्रकल्प राजस्थान –** समूचे राजस्थान में सहकार भारती की प्रेरणा से जिला केंद्रों पर दीपावली, होली, तीज आदि त्योहारो पर शुध्द और स्वादिष्ट मिठाइयो (जिनमें काजू कतली, मक्खन बडा, बेसन चक्की, गोंद पाक, पंचमेवा चक्की, डाई फ्रूट चक्की, दाल बदाम चक्की, चुटिया चक्की, गुलाब जामुन तथा नमकीन प्रमुख होती है) का निर्माण कार्यकार्ताओं की देखरेख में करवा कर उचित मूल्य (बाजार भाव से लगभग 30 से 40टक्का कम) पर समाज को उपलब्ध करवाई जाती है। इस मिठाई प्रकल्प का उद्देश्य केवल इतना ही नही है कि समाज को शुध्द और स्वादिष्ट मिठाई उचित मूल्य पर उपलब्ध हो वरना बाजार में विक्रय होने वाली मिठाइयो का मूल्य नियंत्रण करना भी है। इस वर्ष सहकार भारती राजस्थान द्वारा 17 केंद्रो पर दीपावली पर्व पर सहकार मिठाई प्रकल्प के माध्यम से कुल 1.25 लाख किलोग्राम से अधिक मिठाई का निर्माण कर लागत मूल्य पर समाज को उपलब्ध करवाई गई। लगभग 1,15,000 परिवारों को प्रकल्प से लाभ हुवा।

21) **विदर्भ में सहकारी बैंकों का सम्मेलन –** अकोला : विदर्भ में सभी शहरी सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति पर विचारविमर्श करने और उनकी भविष्य की सुदृढता का अवलोकन करने के लिए, सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेश, महाराष्ट्र शहरी सहकारी बँक फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई, अकोला शहरी सहकारी बँक लिमिटेड, और अकोला जनता वाणिज्यिक सहकारी बँक लिमिटेड के तत्त्वाधान में सहकारी बँक परिषद विदर्भ 2024 का आयोजन किया गया। सहकारी परिषद में विदर्भ के सभी बैंको की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बँक और महाराष्ट्र राज्य सहकारी विभाग द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं पर चर्चा और विचार-मंथन किया गया। सहकार भारती के महाराष्ट्र राज्य के महासचिव श्री. विवेक जुगादे जी ने सहकारी परिषद का परिचय दिया और मनोगत अकोला जनता वाणिज्यिक सहकारी बँक के अध्यक्ष श्री. ज्ञानचंद गर्ग ने स्वागत भाषण दिया। धन्यवाद ज्ञापन श्री. शान्तनु जोशी ने किया। सम्मेलन में विदर्भ के सभी सहकारी बैंकों के कर्मचारी बडी संख्या में उपस्थित थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशेषज्ञ निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी/महाप्रबंधक उपस्थित थे।

22) **राष्ट्रीय बैंबू मिशन का शुभारंभ –** 5 जानेवारी 2024 राष्ट्रीय बैंबू मिशन का शुभारंभ सहकार भारती नें सई नदी के किनारे किया प्लांटेशन समारोह प्रतापगढ (उ.प्र) सहकार भारती की जिला इकाई नें राष्ट्रीय बैंबू मिशन की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में सई नदी के किनारे किसानों की बेकार पडी जमीन पर उन्हे लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्लांटेशन समारोह आयोजित किया। समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री सहकार भारती डॉ. उदय जोशी नें सहकार भारती के उद्देश्यों पर लोगों का ध्यानाकर्षित करते हुए बताया कि आम जनमानस को समृद्धिशाली बनाने के अवसर उत्पन्न कराने के लिए, सभी की सहभागिता को अनिवार्य बताया। उन्होंने बताया सहकारिता की भावना को जागृत करना, हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि सहकार से समाज का हित है। सहकारिता के क्षेत्र में सभावनाएं ही सभांवनाएं है। श्री. संजय पाचपोर द्वारा समापन भाषण देते हुए, सहकारिता के माध्यम से व्यक्तित्व विकास तथा आर्थिक विकास का स्वरुप दर्शाया गया। समृध्दि और सफलता का महत्व समझाया । कार्यक्रम की प्रायोजक सोलार एनर्जी डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. एवं पूँजी जैविक ऊर्जा डेवलपमेंट प्रोड्यूसर कम्पनी लि. को सफलता के 11 वर्ष बीतने के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए, उन्होंने कहा कि सहकार भारती के सहयोग से बैंबू के जरिए यहाँ जिले में रोजगार को सृजित करने की जो मुहिम छेडी गई है, स्वयं सहायता समूहों के कार्यकर्ताओं ने सहकार से समृद्धि की सफलता का मंत्र लिया।

23) **पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यासवर्ग –** सहकार भारती पूर्णकालिक कार्यकर्ता वर्ग 18-19 जनवरी 2024 को एकता नगर अहमदाबाद में सम्पन्न हुवा। वर्ग में पूरे भारतवर्ष से 22 पूर्णकालिक कार्यकर्ता शामिल हुए। दो दिवस के इस वर्ग में सहकारिता में पूर्णकालिक कार्यकर्ता की भूमिका, सहकार भारती का वैचारिक अधिष्ठान, मुक्त चिंतन एवं प्रशिक्षण संपन्न हुवा।

24) **राष्ट्रीय संगठनात्मक प्रवास योजना –** सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन समिती में कुल मिलाकर 45 सदस्यगण है उनमेसे 31 कार्यकर्तावों के भिन्न प्रदेश मे एक सप्ताह तक के प्रवास की योजना बनाई थी। केवल कार्यकर्ता और विभिन्न सहकार समितीयों के साथ सम्पर्क करना ही अपेक्षित था। 25 कार्यकर्ताओंने अपनी प्रवास योजना सफलता से संपूर्ण करी।

25) **सहकार भारती जोधपुर महानगर द्वारा विचार गोष्ठी संपन्न :** 2 फरवरी 2024 सहकार भारती जोधपुर महानगर द्वारा आयोजित ''सहकार से समृद्धि की ओर विविध विषय पर विचार गोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। विषय के मुख्य वक्ता सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री. संजय जी पाचपोर थे। गोष्ठी को सहकारिता मंत्री श्री. गौतम जी दक एवं उद्योग मंत्री श्री. राज्यवर्धन सिंह राठौड, राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख श्री. राजेंद्र कुमार थानवी द्वारा भी उद्बोधन दिया गया। सहकार भारती के राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य श्री. अशोक कुमार बाहेती द्वारा सभी का स्वागत अभिनंदन किया गया। श्री. कमलेश गहलोत सह संगठन प्रमुख द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय गान से कार्यक्रम को समापन किया गया। इस सहकार मेले में जिले से 700 से अधिक फेक्स एवं जी.एस.एस. के प्रतिनिधि एवं अन्य विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।

26) **दिल्ली धरणा आंदोलन :** सहकार भारती तथा युनायटेड थ्रिफ्ट अँड क्रेडिट को ऑप सोसायटी फेडरेशन ऑफ दिल्ली के संयुक्त प्रयासोंसे, दिल्ली प्रदेश राज्य सरकार के नितीयों के खिलाप विशाल धरणा प्रदर्शन दि. 21 जुलै 2024 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. दीनानाथ ठाकुर, फेडरेशन के अध्यक्ष अॅड्. सुनिल गुप्ता, महामंत्री श्री. विष्णूपाल बन्सल, कोषाध्यक्ष श्री. शिवशंकर गुप्ता, निदेशक श्रीमती रीमा त्यागी, श्री. जितेंद्र राजपूत, सत्यदेव सोलंकी तथा अनिल माथुर सहित सेकडो कार्यकर्ता

उपस्थित रहे। फेडरेशन और सहकार भारती सहीत आठ लोगों के प्रतिनिधी मंडल ने, पंजीयक दिल्ली सरकार से भेट करके अपने मांगोका प्रतिवेदन सुपुर्त किया। पंजीयक दिल्ली सरकारने सैंतिक रुप से सारी मांगो को स्वीकृत कर के, आनेवाले समय मे इस मांगोपर नितिगत निर्णय करके परिपत्रक निकालने का आश्वासन दिया है। दिल्ली के सहकारिता के इतिहास मे इस प्रकार की घटना पहिली बार हो रही है।

27) **सहकार महर्षि ग्रंथ के द्वितीय संस्कारण का विमोचन :** सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करनेवाले, महाराष्ट्र के कुछ अधिकारी व्यक्ती, जो अब इस दुनिया मे नही रहे उनके जीवन पर आधारित सहकार महर्षि ग्रंथ के प्रथम संस्कारण का विमोचन सन 2021 मे केंद्रीय सडक निर्माण मंत्री श्री. नितीन गडकरी जी के करकम लो द्वारा संपन्न हुवा था। इसी लोकप्रिय ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का विमोचन दि. 21 दिसंबर 2024 को शिर्डी (महाराष्ट्र) में राजस्थान के गवर्नर श्रीमान हरिभाऊ बागडे जी के करकमलो द्वारा संपन्न हुवा। इस कार्यक्रम मे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी, संगठन मंत्री श्री. संजय पाचपोर, आरबीआय निदेशक श्री. सतिश मराठे, महाराष्ट्र के महामंत्री श्री. विवेक जुगादे, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री. विष्णू बोबडे सहीत हजारो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

28) **इंटरनॅशनल कोऑपरेटिव्ह अलायन्स मे सहकार भारती की उपलब्धियाँ –** दि. 25 से 30नवंबर 2024 को भारत मंडपम् दिल्ली में इंटर नॅशनल को- आपरेटिव अलायन्स का वार्षिक संमेलन संपन्न हुआ। इस संमेलन में 100 देशों सहित 3000 कार्यकर्ता उपस्थित रहें। संमेलन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री. नरेन्द्र मोदी जी, भारत सरकार के गृह तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, भूतान के प्रधानमंत्री श्री टिएस हेरिन्स टॉबे, अलायन्स के अध्यक्ष श्री एरियल गौर्को तथा पिजी के उपप्रधानमंत्री श्री एस के कोमिकामिका उपस्थित थे। इस संमेलन में IFFCO के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी जी को उनके सहकारिता क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य के लिये सन 2024 का 'रोचडेल पिओनियर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। इस संमेलन में भारत से सहकारिता आंदोलन का नेतृत्त्व करनेवाले, NCUI के चेयरमेन श्री दिलीप संघाणी, डॉ. चंद्रपाल यादव, अमूल के प्रबंध निदेशक श्री. जयंतीभाई पटेल सहित सभी गणमान्य अधिकारी व्यक्ती उपस्थित रहे। इस संमेलन में IFFCO के प्रबंध निदेशक डॉ. अवस्थी जी ने सहकार भारती तथा संगठन की कार्य पती की इस इंटर नॅशनल मंचपर बहोत सराहना की। सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीनानाथ ठाकूर, महामंत्री डॉ. उदय जोशी, संगठन मंत्री श्री. संजय पाचपोर, आरबीआय के निदेशक श्री. सतीश मराठे सहित 50 से अधिक सहकार भारती पदाधिकारियों की सहभागिता रही।

❋ राष्ट्रीय प्रकोष्ठ संमेलन

सहकार भारती का भौगोलिक कार्यविस्तार तो अब 28 प्रदेश तथा 650 से अधिक जिला केंद्रोतक हुवा है। भौगोलिक कार्य विस्तार के साथ, सहकारिता के आयामोंमे (प्रकोष्ठ) सहकार भारती का कार्यविस्तार करना भी अनिर्वाय है। अतः सहकार भारतीने निम्नांकित उद्दिष्टों से, प्रकोष्ठ स्तर पर राष्ट्रीय संमेलन करने का निर्णय लिया।

1) सहकार भारती के विचारोंका प्रचार, प्रसार तथा प्रभाव निर्माण करना।
2) विभिन्न प्रकोष्ठोमे सहकार भारती का नेतृत्व प्रस्थापित करना।
3) विभिन्न प्रकोष्ठोके राष्ट्रीय अजेंडे को स्थापीत करना।
4) राष्ट्रीय स्तर पर, पेडरेशन्स् के चुनावो की पूर्वतैयारी करना।
5) सहकार भारती के साथ नए कार्यकर्ता तथा सहकारी समितीयोको जोडना।

सहकार भारती के इस योजना के अनुसार निम्नांकित स्थानोपर, निम्नांकित प्रकोष्ठोंके राष्ट्रीय संमेलन / अधिवेशन संपन्न हो गऐ।

1) साइबर सिक्योरिटी अधिवेशन

दि. 2 अक्टुबर 2023 को महाराष्ट्र के पुणे जनपद में सहकार भारती की साइबर सिक्योरिटी की राष्ट्रीय काँग्रेस हुवा, जिसका उद्घाटन सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदयराव जोशी, मा. श्री. संजय शिंदे, जॉइंट कमिशनर ऑप पोलिस पुणे, मा. श्री. मिलिंद काळे अध्यक्ष कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बँक, मा. श्री. सुभाष मोहिते अध्यक्ष पुणे डिस्टिक्ट को-ऑपरेटिव बँक असोसिएशन, मा. श्री. विवेक जुगादे महामंत्री सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेश , मा. डॉ. शशीताई अहिरे अध्यक्ष सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेश, मा. श्री. अभयजी माटे राष्ट्रीय बँक प्रकोष्ठ प्रमुख सहकार भारती, मा. श्री. शरद जी गांगल महाराष्ट्र प्रदेश बँक प्रकोष्ठ प्रमुख, एवम् श्री. अजय निवुंभ आयटी प्रकोष्ट प्रमुख सहकार भारती ने दीप प्रज्वलित कर दिया। कॉन्प्रेस में देशभर के 8 प्रदेशों से 150 अर्बन कोऑपरेटिव बँक के लगभग 500 से ज्यादा प्रतिनिधी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री कृष्णा शास्त्री जी आरबीआई की सलाहकार समिति, श्री. राजेंद्र जी निदेशक डजउ, श्रीमती शुभलक्ष्मी जी MD/CEO योगेश जी निदेशक डीएनएस बँक के पॅनल ने आये हुवे प्रतिनिधियों की साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिया। कार्यक्रम का संचालन श्री. श्रीकांत पटवर्धन जी ने किया।

2) मत्स्य प्रकोष्ठ अधिवेशन

नील व्रांति को साकार करने के लिए सहकार भारती – मत्स्य प्रकोष्ठ द्वारा दि. 6 अक्तुबर 2023 को वाशी नवी मुंबई के विष्णुदास भावे नाट्यगृह में ''राष्ट्रीय मत्स्य अधिवेशनफ्र सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। देशभर के 25 से राज्यों से मत्स्य व्यवसाय एवं मत्स्य अधिवेशन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। देशभर के 25 से राज्यों से मत्स्य सहकारी समिति जे जुडे 850 से अधिक प्रतिनिधी ने भाग लिया। अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्री श्री. पुरुषोत्तम रुपाला, स्थानिक विधायक गणेश नाईक, श्रीमती मंदा म्हात्रे, श्री. रमेश पाटिल, सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी, रशिया के मत्स्य व्यवसाय के प्रतिनिधी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शशिताई अहिरे एवं महामंत्री श्री. विवेक जुगादे, राष्ट्रीय मत्स्य प्रकोष्ठ प्रमुख श्री. जयंतीभाई केवट एवं सहप्रमुख श्री. मंजूनाथ, पिशकोपेड के उपाध्यक्ष रामदास संधे जी के गरिमामय उपस्थिति में हुआ। एनएपडीबी के मुख्य व्यवस्थापक डॉ. नरसिम्हा मूती जी ने एनएपडीबी द्वारा चल रही योजना एवं मत्स्य क्षेत्र के पायाभूत सुविधा पर प्रेजेंटेशन दिया। दापोली कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता डॉ. विवेक वर्तक जी ने इनलैंड एक्काकल्चर पर विस्तृत में उद्बोधन दिया। अगले सत्र में केंद्रीय खारा जलकृषि संस्थान (CIBA) के डॉ. रवि शंकर एवं डॉ. पंकज पाटिल जी ने बुनियादी और व्यावहारिक

अनुसंधान के माध्यम से खारे पानी की जलीय कृषि के विकास के लिए उपयुक्त तकनीकी के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

3) क्रेडिट सोसायटी राष्ट्रीय अधिवेशन

2 और 3 दिसंबर 2023 को दिल्ली में क्रेडिट सोसायटी राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री. नरेंद्र सिंह तोमर ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री. बी. एल. वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. दीनानाथ ठाकुर, स्वागत अध्यक्ष श्री. राधेश्याम चांडक, राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी की उपस्थिती रही। देशभर से 1200 क्रेडिट सोसायटी से 5000 प्रतिनिधी सहभागी रही। इस अधिवेशन में अनेक राज्योंके क्रेडिट सोसायटी फेडरेशन के अध्यक्ष उपस्थित रहे, जैसे कि श्री. काका कोयटे, श्री. संजय वसमथ, श्री. कांतीभाई पटेल, श्री. अंजनगौडा, नॅपकब के अध्यक्ष श्री. ज्योतिंद्र मेहता उपस्थित रहे। क्रेडिट सोसायटीयों की अनेकविध समस्याओंपर इस अधिवेशन में विस्तार से चर्चा हो गयी। राष्ट्रीय स्तरपर, क्रेडिट सोसायटी क्षेत्र का राष्ट्रीय अजेंडा इस अधिवेशन मे निर्धारित किया गया। जिन क्रेडिट सोसायटियोने अपना 100 वर्षे से अधिक कार्यकाल पुरा किया है, ऐस पांच क्रेडिट सोसायटियोंका उनके प्रशंसनीय कार्य के कारण , सहकार भारतीद्वारा विशेष सम्मान किया गया।

4) राष्ट्रीय महिला अधिवेशन

सहकार भारती तृतीय राष्ट्रीय महिला अधिवेशन दि. 15 और 16 दिसंबर 2023 को कान्हा शांतिवनम्, चेगुर, भाग्यनगर (हैदराबाद – तेलंगना) में संपन्न हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन हर्टपुलनेस केंद्र के मार्गदर्शक प.पू. दाजी श्री कमलेश जी पटेल, अखिल भारतीय महिला समन्वय संयोजक डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय महिला प्रमुख श्रीमती रेवती शेंदुर्णीकर, मुल्कनुर कोऑपरेटिव के चेयरमेन श्री प्रवीण जी के उपस्थिती में संपन्न हुआ। 24 राज्यों के लगभग 400 जिलों से 2760 महिला प्रतिनिधियोंकी इस अधिवेशन में उपस्थित रहीं । इस अधिवेशन में महिला सशक्तीकरण तथा महिलाओं की सहकारिता क्षेत्र में बढ़ती सहभागिता इन विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ।

5) प्राथमिक कृषी सहकारी ऋण समितियो का राष्ट्र अधिवेशन (PACS)

सहकार भारती द्वारा दि. 9 एवं 10 फरवरी 2024 को हुबली (कर्नाटक) में प्राथमिक कृषि सहकारी त्रण समितियों (FPO) का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन श्री जी.टी. देवगौड़ा विधायक एवं अध्यक्ष कर्नाटक कोऑपरेटिव फेडरेशन के द्वारा किया गया। अधिवेशन में देश के 16 राज्यों से 940 प्रतिनिधी एवं समापन सत्र के लिये कर्नाटक से (1150 सोसायटी से) 4 हजार अध्यक्ष, संचालक, सचिवों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य केंद्रीय सहकार तथा राज्य मंत्री श्री. बी. एल. वर्मा जी ने भारत सरकार द्वारा गठित नवीन सहकारीता मंत्रालय की योजनाओं एवंम निर्णयों को बताते हुए पैक्स समितियों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण भूमिका रखी हुई है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारा किये गये बहुउद्दशिय पैक्स समितियों के मॉडेल का महत्त्व को बताते हुए श्री वर्मा जी ने आशा व्यक्त की वे, देश की समस्त पैक्स समितियों का बहुउद्देशीय कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के वित्तीय एवं गैरवित्तिय सेवाए लोगों को प्रदान कर सकेगा। अधिवेशन मे विभिन्न सत्रों में विषयोंद्वारा विशेषताओं द्वारा पैक्स की अवधारणा, उनकी उपयोगिता, आवश्यक रणनीति, प्रबंधन जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही पैक्स समितियों की समस्याओं कठिनाईयाँ एवं उनकी निराकारण कैसे हो इस पर विस्तृत चर्चा के बाद एक मांग पत्र तैयार किया गया, जिसको भारत सरकार एवं प्रदेशों के सरकार को भेजकर इनके निराकरण का प्रयास किया जायेगा, जिससे समितियों का प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा।

6) सहकार भारती गृहनिर्माण संस्था, राष्ट्रीय अधिवेशन

सहकार भारती गृहनिर्माण संस्था, राष्ट्रीय महाअधिवेशन मुंबई में संपन्न । 19 फरवरी, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती के शुभ अवसर पर सहकार भारती का गृहनिर्माण संस्था राष्ट्रीय महाअधिवेशन चेंबुर, मुंबई में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन म हाराष्ट्र राज्य के कौशल विकास मंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा ने किया। मुख्य अतिथी के रूप में मुंबई शहर भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक श्री आशिषजी शेलार उपस्थित थे। सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री दीनानाथजी ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री मा. डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री. संजयजी पाचपोर, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मा. श्री. सतीशजी मराठे, टिजेएसबी बैंक के अध्यक्ष मा. श्री. शरदजी गांगल, जानेमाने वकील उदयजी वारुंजीकर और महाराष्ट्र हाऊसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष श्री. सुहासजी पटवर्धन, महारेरा के पूर्व सदस्य एस.एस. संधू (आईएएस) सुगी समूह के निदेशक श्री प्रसन्नजी कर्णिक इन सभी ने मार्गदर्शन किया। सहकार भारती की महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शशिताई अहिरे, प्रदेश महामंत्री श्री विवेक जुगादे, क्षेत्रीय संगठन प्रमुख श्री विनय खटावकर राष्ट्रीय आवास सह–प्रमुख श्री राहुल पाटील श्री सुजीत झा (झारखंड), सुश्री अश्विनी बुलाख, सम्मेलन व्यवस्था प्रमुख श्री भाई सावंत, विजय शेलार और अन्य गणमान्य व्याक्त सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में देशभर से 8 राज्य के 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

7) सहकार भारती द्वारा आयोजित सिंफली देसी राष्ट्रीय सहकार मेले का भव्य उद्घाटन

नागपूर – दि. 23 से 26 फरवरी 2024 दक्षिण–मध्य सांस्कृतिक केंद्र, विधायक निवास के सामने सहकार भारती द्वारा आयोजित सिंफली देसी राष्ट्रीय सहकार मेले का उद्घाटन सहकार भारती के मा राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथजी ठाकुर के साथ पूर्व विधायक और शिक्षक सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अनिल सोले, एमएसएमई निदेशक श्री प्रशांत पार्लेवार ने किया। सिम्पली देसी संचालिका श्रीमती मधुबाला साबू की थीसिस एवं सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री श्री विवेक जुगादे की उपस्थिती रही। देशभर की सहकारी समितियों को एक साथ लाने और उनके उत्पादों को अधिकार का मंच देने के लिये इस राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन किया गया। सिंफली देसी राष्ट्रीय सहकार मेला नागपुर के लोगों के लिये एक उत्सव रहा, जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों से 200 सहकारी स्टॉल प्रदर्शित किये गये। इस प्रदर्शनी में सभी उत्पाद नवीन हैं और ग्राहकों द्वारा बहुत ही उचित मूल्य पर खरीदे गये। यहां प्रदर्शित उत्पादों में हस्तशिल्प, नक्षीदार लकड़ी के उत्पाद, आकर्षक लैंप, हथकरघा, पैठनी, बनारसी, बांधनी, माहेश्वरी, चंदेरी के साथ–साथ देश भर के 18 राज्यों के विशेष उत्पाद शामिल रहे। मधुबाला साबू और विवेक जुगादे जी ने कहा कि, जम्मू कश्मीर, मणिपूर, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के लोकप्रिय उत्पाद यहां नागपूर के लोगों के लिये उपलब्ध किये गये।

8) FPO फार्मा प्रोड्यूसिंग संस्थाओं का अधिवेशन –

FPO का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन दि. 24-25 अगस्त 2024 को उर्जा ऑडिटोरियम पटना (बिहार) में संपन्न हुआ। श्री रामनाथ ठाकूर, कृषि राज्यमंत्री – भारत सरकार, श्री मंगल पांडे – कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री बिहार, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमकुमार जी, स्थानिक विधायक श्री. संजीव चौरसियाजी, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. दीनानाथ ठाकूर, महामंत्री डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय मंत्री श्री दिपक चौरसिया, FPO प्रकोष्ठ प्रमुख श्री मुरलीधरनजी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामदयाल सिंह तथा प्रदेश महामंत्री श्रीमती शशीबाला जी उपस्थित रही थी। 21 राज्योंसे 445 FPO से 897 इस अधिवेशन में उपस्थित रहें। FPO समस्याओं का समाधान करने हेतू नाबार्ड के निदेशक डॉ. रहेमान, नाबार्ड के उपमुख्य प्रबंधक ए.के.सूद, सुलभ इंटरनॅशनल की उपाध्यक्षा श्रीमती सोनम मिश्रा, NAFED के निदेशक श्री अशोक ठाकूर, अएएए प्रबंध निदेशक श्री सतिश कुमार आदि गणमान्य हस्तीयाँ उपस्थित रही। कुछ यशस्वी FPO की सक्सेस स्टोरी के साथ साथ, संपूर्ण देश में प्रशंसनीय कार्य करनेवाले FPO का सम्मान भी किया गया। समापन सत्र में बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र आर्लेकरजी, सिक्कीम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगाप्रसाद जी, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीनानाथ ठाकूर, महामंत्री डॉ. उदय जोशी, संगठन मंत्री श्री संजय पाचपोरजी की गरिमामय उपस्थिती रही थी। सहकारिता से समृी तथा किसानों की आय दुगनी करने हेतू विचार विमर्श अधिवेशन में मुख्य रुप से किया गया।

9) प्राथमिक उपभोक्ता भांडार अधिवेशन –

सहकारी उपभोक्ता भांडार प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अधिवेशन सवाई माधोपूर (राजस्थान) में दि. 28-29 सितंबर 2024 को संपन्न हुआ। इस अधिवेशन को सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनानाथ ठाकूर, राष्ट्रीय किसान संघ के अध्यक्ष श्री. बद्रीनारायण जी चौधरी, महिला सहप्रमुख श्रीमती अर्चना मिणा आदि अधिकारियों ने संबोधित किया। 18 प्रदेशों से 95 प्रतिभागीयों ने अधिवेशन में उपस्थिती दर्ज की। प्राथमिक उपभोक्ता भांडारों की समस्यायें तथा ग्राहक हितों की रक्षा इन विषयोंपर अधिवेशन में गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रमुख श्रीमती भारती भट्ट, सहप्रमुख श्री इंद्रेशजी, संगठन मंत्री श्री संजयजी पाचपोर, राजस्थान के संगठन प्रमुख श्री प्रदीप चौबिसा उपस्थित रहे।

❊ सहकार भारती प्रदेशों के अधिवेशन

वर्तमान में सहकार भारती संपूर्ण भारतवर्ष में 28 प्रदेशों में कार्यरत है। राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होने के पूर्व अधिकतर प्रदेशों में, प्रदेशों के अधिवेशन संपन्न होंगे, ऐसी परिपाठी रही है। प्रदेशों के अधिवेशन में संबंधीत प्रदेशों के अध्यक्ष तथा महामंत्री के चुनाव होते है तथा नयी कार्यकारिणी का चयन भी किया जाता है। दिसंबर 2024 मे होने वाले 8 वे राष्ट्रीय अधिवेशन के पूर्व 17 प्रदेशोंमें, प्रदेशों के अधिवेशन संपन्न हो गए! मुझे विश्वास है कि मार्च 2025 के पूर्व भी शेष प्रदेशों के अधिवेशन किये जायेंगे। प्रदेश अधिवेशनों का अधिक ब्यौरा परिशिष्ट क्र. 2 में दिया है।

❊ विशेष नियुक्तीयां तथा निर्वाचन

सहकार भारती के विभिन्न कार्यकर्ताओं को विशेष नियुक्तीयां प्रात हो गयी है, यह सहकार भारती के लिये प्रसन्नता तथा गौरव का विषय है। इन नियुक्तीयों के कारण, सहकार भारती कार्यकर्ताओं को, सहकारिता क्षेत्र का नेतृत्त्व करने का स्वर्णीम अवसर प्रात होता है, साथ साथ सहकार भारती के विचारों को समर्थन प्रात होता है। सहकार भारती के निम्नांकित कार्यकर्ताओंकी विशेष नियुक्तीयां हुयी है।

1. श्री सतीश मराठे -संस्थापक सदस्य सहकार भारती को पिर एक बार सन 2022 से 2026 तक आर.बी.आय. निदेशक के रुप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।

2. श्री ज्योतिंद्र मेहता – सहकार भारती के पूर्व अध्यक्ष National Urban CoOp Finance & Development Corporation के चेअरमन बन गये।

3. डॉ. उदय जोशी – राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, दिल्ली बोर्डपर (NCUI) केंद्र सहकार के प्रतिनिधी नियुक्त.

4. सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. दीनानाथ ठाकूर, श्री सतिश मराठे, श्री. ज्योतिंद्र मेहता तथा डॉ. उदय जोशी National Coop Development Corporation (NCDC) के सामान्य परिषद के सदस्य नियुक्त हो गये ।

5. ॲड. करुणाकरन नांबियार केरल प्रदेश अध्यक्ष कासारगोड अर्बन बैंक के चेअरमन बने।

6. श्री. कांतीभाई पटेल सहकार भारती गुजरात प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, गुजरात अर्बन बैंक फेडरेशन लि. के व्हाईस चेअरमन बनें।

7. श्री रमाशंकर जायस्वाल राष्ट्रीय सहसंपर्व प्रमुख उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन लि. के उपसभापती निर्वाचित हो गये।

8. श्रीमती नंदिनी रॉय आयसीआरओ, इंडियन पोटॅश लि. और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) के मेंटॉर के तौर पर नियुक्त हो गयी।

9. सहकारिता की निती निर्धारण समिती पर, श्री. सतीश मराठे, श्री ज्योतिन्द्र मेहता, डॉ गीता पटेल तथा श्री वल्लभ सालकर को सदस्य के रुप में नियुक्त किया गया।

10. श्री ज्योतिन्द्रभाई मेहता और श्री एच. के. पाटीलजी के नेतृत्त्व में सहकार भारती समर्थीत पॅनल की NAFCUB के पंचवार्षिक चुनाव में प्रचंड जीत हासील कर के सात सिटोंपर चुनाव जिता।

11. श्री. ज्योतिंद्रभाई मेहता, श्री अजय ब्रह्मेचा, डॉ. उदय जोशी और श्री. कांतीभाई पटेल नॅपकब के निदेशक निर्विरोध चुने गये।

12. महाराष्ट्र अर्बन बँक फेडरेशन मुंबई के चुनाव में 21 मे से 15 सहकार भारती पॅनेल के उम्मीदवार जित गए और श्री अजय ब्रह्मेचा अध्यक्ष तथा श्रीमती वैशाली आवाडे जी उपाध्यक्ष चुने गये।

13. महाराष्ट्र क्रेडिट को-ऑप सोसायटिज फेडरेशन के चुनाव में 21 मे से 10 प्रत्याशी सहकार भारती के समर्थन से निर्विरोध चुने गये।

❊ सहकार भारती की उपलाब्धयां –

विगत तीन वर्षो मे सहकार भारती ने निम्नांकित विशेष उपलब्धीयाँ प्राप्त की है –

1. सहकार भारती के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकारने सहकारिता निती तैयार करने हेतू पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री. सुरेश प्रभू जी के नेतृत्त्व में विशेष समिति का गठन किया। अपेक्षा है कि शिघ्रही यह सहकारिता निती की केंद्र सरकारद्वारा घोषणा हो कसती है।

2. पंजाब सरकारने सहकारि समितियों के पंजीयन शुल्क में बहोत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी करी थी। अधिकतम शुल्क रु. 10 लाख तक बढ़ाया था। सहकार भारती के प्रयासोंसे सहकारी समितीयों के

पंजीयन शुल्क में, पंजाब सरकारने भारी गिरावट करके रु. 10 हजार अधिकतम पंजीयन शुल्क किया गया।

3. हिमाचल प्रदेश में हर सहकारी समिती को अपने लाभ से 3 % रकम प्रशिक्षण हेतू सरकार के पास जमा करना अनिवार्य था। सहकार भारती के प्रयासों से, हिमाचल सहकारिता कानून में संशोधन कर के, अपने लाभ से जो 3 % प्रशिक्षक राशी सरकार को देनी थी, उसमे से 2 % संबंधीत सहकारी समिती को अपने स्तर पर विनियोग करने का अधिकार प्रात हो गया।

4. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 2021 में संशोधन कर के, शहरी सहकारी बँकों के निदेशकों का कार्यकाल अधिकतम चार वर्षों के दो माने आठ वर्षों का किया था। सहकार भारती के प्रयासों से इस प्रावधान में संशोधन कर के पाच साल के दो माने दस वर्षों तक बढ़ा दिया।

5. प्राथमिक कृषी सहकारी समिती को आयकर धारा 269 डड से छूट मिल गयी, जिसके कारण प्राथमिक कृषी समितीयों का रोजाना 20000 तक ही रोकड में व्यवहार करने से राहत मिल गयी।

6. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली और सहकार भारती के बीच दि. 23 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन हुआ जिसके तहत दोनो पक्ष संयुक्त रुप से देश और विदेशों में भारतीय सहकारिता आंदोलन के हित में क्षमता विकास, अनुसंधान, प्रकाशन, प्रसार, जागरुकता सृजन, वीर योजना निर्माण, प्रबंधन, निगरानी और मुल्यांकन, निती वकालत, सलाह आदि की सुविधा प्रदान करेंगे।

7. नॅशनल अर्बन को ऑप पायनान्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (NUCFDC) का उद्घाटन दि. 2 मार्च 2024 को दिल्ली में हो गया। यह संस्था शहरी सहकारी बैंकों के लिये अंब्रेला ऑर्गनायझेशन के रुप में काम करेगी। शहरी सहकारी बैंकों के लिये विशिष्ठ सेवाएं इस संस्था के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

8. सहकार भारती द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के प्रकोष्ठ सम्मेलन के माध्यमसे सहकार भारती का नाम विभिन्न क्षेत्रों में उजागर हुवा तथा इन प्रकोष्ठों का राष्ट्रीय अजेंडा प्रस्थापित हो गया।

9. केंद्रीय वित्तमंत्रीजी के साथ बजट पूर्व चर्चासत्र में सहभागिता करने का, सहकार भारती प्रतिनिधी मंडल को अवसर मिलने का सिलसिला जारी रहा।

10. प. बंगाल के बावूडा जिला सहकारी बँक के निदेशक मंडल पर सहकार भारती के चार सदस्य निर्वाचित हुए।

11. प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर शिखर संस्थाओं में निर्वाचित होने की प्रक्रिया बड़े प्रमाण में प्रारंभ हो गयी।

12. भारतीय प्रतिभूति विनिमय महामंडल Securities Exchange Board of India (SEBI) ने सहकारी समितीयों को शासन प्रतिमिती में निवेश करने की अनुमती बहाल कर दी। इस कार्यकाल के दौरान सहकार भारती के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यगण सभी प्रदेशों के कार्यकर्ता बंधु तथा बहनों का हृदय से सहयोग प्रात हुवा है। आप सभी को वंदन, अभिनंदन करते हुए, मेरा प्रतिवेदन यही पर समात करता हूँ। भारत माता की जय । जय सहकार ।।

– विनीत,

डॉ. उदय जोशी,
राष्ट्रीय महामंत्री, सहकार भारती

परिशिष्ठ क्र. १ - राष्ट्रीय प्रकोष्ठ सम्मेलन

अ.क्र.	दिनांक	प्रकोष्ठ	स्थान	प्रदेश संख्या	उपस्थिती
०१	२ ऑक्टोबर २३	सूचना प्रौद्योगिकी (I. T.)	पुणे (महाराष्ट्र)	०८	५००
०२	६ ऑक्टोबर २३	मत्स्यविकास	वाशी (महाराष्ट्र)	२५	८५०
०३	२-३ दिसं. २३	साख संस्था (Credit Coop)	दिल्ली	१९	५०००
०४	१५-१६ दिसं. २३	महिला	भाग्यनगर (तेलंगणा)	२४	२७६०
०५	११/१२ फरवरी २४	प्रा.कृषी सह. संस्था (PACS)	हुबळी (कर्नाटक)	१६	९४०
०६	१९ फरवरी २४	गृहनिर्माण	मुंबई (महाराष्ट्र)	०८	१२००
०७	२५-२७ फरवरी २४	महिला बचत गट मेला	नागपूर (महाराष्ट्र)	१८	१०००० ग्राहक संख्या
०८	२४-२५ ऑगस्ट २४	फार्मा प्रोड्यूसर संस्था (FPO)	पटना (बिहार)	२१	८९७
०९	२७-२८ सितं. २४	सहकारी ग्राहक भांडार	सवाई माधोपूर राजस्थान	०९	९५ संस्था
	कुल	**९**		**१४८**	**२२,२४२**

परिशिष्ठ क्र. २ - प्रदेश अधिवेशन

अ.क्र.	दिनांक	प्रदेश	जिला संख्या	पुरुष	स्त्री	कुल
०१	५मई २०२४	दिल्ली	०९	१२०	३०	१५०
०२	१६ अगस्त २०२४	हरियाणा (सोनिपत)	१६	१३५	२७	१६२
०३	११/१२ अगस्त २४	राजस्थान	३६	७२०	१००	८२०
०४	१९/२० अक्तू. २४	गुजरात	२५	३६८	३०	४९८
०५	२२ नवंबर २०२४	कर्नाटक	२८	११००	२००	१३००
०६	२० अक्तूबर २४	तेलंगणा	२५	४७०	१४७	६१७
०७	११/१२ अगस्त २४	केरल	१४	६८९	३३७	१०२६
०८	२७ अक्तूबर २०२४	उडीसा	१७	१४२	१८	१४२
०९	१४/१५ सितं. २४	प. बंगाल	२३	२७१	९४	३६५
१०	२५/२६ नवंबर २३	असम	३१	१३३	३७	१७०
११	१६ अगस्त २०२४	बिहार (पटना)	३४	२२६	३९	२६५
१२	२२/२३ जून २४	झारखंड (देवघर)	२२	२०४	९४	२९८
१३	२५/२६ मई २०२४	मध्य प्रदेश (रिवा)	३२	१३५	३२	१६७
१४	१५/१६ नवंबर २४	छत्तीसगड़	१०	१४०	२०	१६०
१५	१४/१५ सितंबर २४	उत्तर प्रदेश (अयोध्या)	७९	२८५	५२	३३७
१६	८/९ जून २०२४	उत्तराखंड	०८	१४१	३५	१७६
१७	२१/२२ सितंबर २४	महाराष्ट्र (शिर्डी)	३६	७९६	२५०	१०४६
	कुल	**१७**	**४४६**	**६०७५**	**१५४२**	**७६१७**

^maV _| ghH$m[aVm AmXmbZ H$m g\$b hmZm hr hmJm

भारत में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमारे देश में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 से हुई है एवं तब से आज तक सहकारी क्षेत्र में लाखों समितियों की स्थापना हुई है। कुछ अत्यधिक सफल रही हैं, जैसे अमूल डेयरी, परंतु इस प्रकार की सफलता की कहानियां बहुत कम ही रही हैं। कहा जाता है कि देश में सहकारिता आंदोलन को जिस तरह से सफल होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं है। बल्कि, भारत में सहकारिता आंदोलन में कई प्रकार की कमियां ही दिखाई दी हैं। देश की अर्थव्यवस्था को यदि 5 लाख करोड़ अमेरिकी डालर के आकार का बनाना है तो देश में सहकारिता आंदोलन को भी सफल बनाना ही होगा। इस दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। विशेष रूप से गठित किए गए इस सहकारिता मंत्रालय से अब ङ्गसहकार से समृद्धिङ्क की परिकल्पना के साकार होने की उम्मीद भी की जा रही है।

भारत में सहकारिता आंदोलन का यदि सहकारिता की संरचना की दृष्टि से आंकलन किया जाय तो ध्यान में आता है कि देश में लगभग 8.5 लाख से अधिक सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों में कुल सदस्य संख्या लगभग 28 करोड़ है। हमारे देश में 55 किस्मों की सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जैसे, देश में 1.5 लाख प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 93,000 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार की लगभग 2.5 लाख सहकारी समितियां ग्रामीण इलाकों को अपनी कर्मभूमि बनाकर इन इलाकों की 75 प्रतिशत जनसंख्या को अपने दायरे में लिए हुए है। उक्त के अलावा देश में सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं और यह तीन प्रकार की हैं। एक तो वे जो अपनी सेवाएं शहरी इलाकों में प्रदान कर रही हैं। दूसरी वे हैं जो ग्रामीण इलाकों में तो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, परंतु कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान नहीं करती हैं। तीसरी वे हैं जो उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वित्त सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार देश में महिला सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं। इनकी संख्या भी लगभग एक लाख है। मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मछली सहकारी साख समितियां भी स्थापित की गई हैं, इनकी संख्या कुछ कम है। ये समितियां मुख्यतः देश में समुद्र के आसपास के इलाकों में स्थापित की गई हैं। देश में बुनकर सहकारी साख समितियां भी गठित की गई हैं, इनकी संख्या भी लगभग 35,000 है। इसके अतिरिक्त हाउसिंग सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं।

उक्तवर्णित विभिन क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों के अतिरिक्त देश में सहकारी क्षेत्र में तीन प्रकार के बैंक भी कार्यरत हैं। एक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिनकी संख्या 1550 है और ये देश के लगभग सभी जिलों में कार्यरत हैं। दूसरे, 300 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं एवं तीसरे, प्रत्येक राज्य में एपेक्स सहकारी बैंक भी बनाए गए हैं। उक्त समस्त आंकडें वर्ष 2021-22 तक के हैं।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में सहकारी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं। दुग्ध क्षेत्र में अमूल सहकारी समिती लगभग 70 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई है, जिसे आज भी सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता के रूप में गिना जाता है। सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई समितियों द्वारा रोजगार के कई नए अवसर निर्मित किए गए हैं। सहकारी क्षेत्र में एक विशेषता यह पाई जाती है कि इन समितियों में सामान्यतः निर्णय सभी सदस्यों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। सहकारी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां भी रही हैं। जैसे, सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली को दिशा देने एवं इनके कार्यों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करने के लिए अपेक्स स्तर पर कोई संस्थान नहीं है। जिस प्रकार अन्य बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का नियंत्रण रहता है ऐसा सहकारी क्षेत्र के बैंकों पर नहीं है। इसीलिए सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य पद्धति पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं एवं कई तरह की धोखेबाजी की घटनाएं समय समय पर उजागर होती रही हैं। इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन बहुत पेशेवर, अनुभवी एवं सक्रिय रहा है। ये बैंक जोखिम प्रबंधन की पेशेवर नीतियों पर चलते आए हैं जिसके कारण इन बैंकों की विकास यात्रा अनुकरणीय रही है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर प्रबंधन का अभाव रहा है एवं ये बैंक पूंजी बाजार से पूंजी जुटा पाने में भी सफल नहीं रहे हैं। अभी तक चूंकि सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव था केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने में कसावट आएगी एवं इन संस्थानों का प्रबंधन भी पेशेवर बन जाएगा जिसके चलते इन संस्थानों की कार्य प्रणाली में भी निश्चित ही सुधार होगा।

सहकारी क्षेत्र पर आधरित आर्थिक मोडेल के कई लाभ हैं तो कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। मुख्य चुनौतियां ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रही जिला केंद्रीय सहकारी बैकों की शाखाओं के सामने हैं। इन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की स्कीम बहुत पुरानी हैं एवं समय के साथ इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सका है। जबकि अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्वरूप ही बदल गया है। ग्रामीण इलाकों में अब केवल 35 प्रतिशत आय कृषि आधारित कार्य से होती है शेष 65 प्रतिशत आय गैर कृषि आधारित कार्यों से होती है। अतः ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे इन बैंकों को अब नए व्यवसाय माडल खड़े करने होंगे। अब केवल कृषि व्यवसाय आधारित ऋण प्रदान करने वाली योजनाओं से काम चलने वाला नहीं है।

भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। अब हमें दूध के पावडर के आयात की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु दूध के उत्पादन के मामले में भारत के कुछ भाग ही, जैसे पश्चिमी भाग, सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। देश के उत्तरी

भाग, मध्य भाग, उत्तर-पूर्व भाग में दुग्ध उत्पादन का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं हो पा रहा है। जबकि ग्रामीण इलाकों में तो बहुत बड़ी जनसंख्या को डेयरी उद्योग से ही सबसे अधिक आय हो रही है। अतः देश के सभी भागों में डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। केवल दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित करने से इस क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं होगा। डेयरी उद्योग को अब पेशेवर बनाने का समय आ गया है। गाय एवं भैंस को चिकित्सा सुविधाएं एवं उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, आदि समस्याओं का हल भी खोजा जाना चाहिए। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में किसानों की आय को दुगुना करने के लिए सहकारी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करनी होगी। इससे खाद्य सामग्री की बर्बादी को भी बचाया जा सकेगा। एक अनुमान के अनुसार देश में प्रति वर्ष लगभग 25 से 30 प्रतिशत फल एवं सब्जियों का उत्पादन उचित रख रखाव के अभाव में बर्बाद हो जाता है।

शहरी क्षेत्रों में गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन किया जाना भी अब समय की मांग बन गया है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मकानों के अभाव में बहुत बड़ी जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश है। अतः इन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा मकानों को बनाने के काम को गति दी जा सकती है। देश में आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कंजूमर सहकारी समितियों का भी अभाव है। पहिले इस तरह के संस्थानों द्वारा देश में अच्छा कार्य किया गया है। इससे मुद्रा स्फीति की समस्या को भी हल किया जा सकता है।

देश में व्यापार एवं निर्माण कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से ङ्गईज आफ डूइंग बिजिनेसङ्घ के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उसे सहकारी संस्थानों पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में भी काम करना आसान हो सके। सहकारी संस्थानों को पूंजी की कमी नहीं हो इस हेतु भी प्रयास किए जाने चाहिए। केवल ऋण के ऊपर अत्यधिक निर्भरता भी ठीक नहीं है। सहकारी क्षेत्र के संस्थान भी पूंजी बाजार से पूंजी जुटा सकें ऐसी व्यवस्था की जा सकती हैं।

विभिन्न राज्यों के सहकारी क्षेत्र में लागू किए गए कानून बहुत पुराने हैं। अब, आज के समय के अनुसार इन कानूनो में परिवर्तन करने का समय आ गया है। सहकारी क्षेत्र में पेशेवर लोगों की भी कमी है, पेशेवर लोग इस क्षेत्र में टिकते ही नहीं हैं। डेयरी क्षेत्र इसका एक जीता जागता प्रमाण है। केंद्र सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में नए मंत्रालय का गठन के बाद यह आशा की जानी चाहिए के सहकारी क्षेत्र में भी पेशेवर लोग आकर्षित होने लगेंगे और इस क्षेत्र को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दे सकेंगे। साथ ही, किन्हीं समस्याओं एवं कारणों के चलते जो सहकारी समितियां निष्क्रिय होकर बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं, उन्हें अब पुनः चालू हालत में लाया जा सकेगा। अमूल की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में भी सहकारी समितियों द्वारा सफलता की कहानियां लिखी जाएंगी ऐसी आशा की जा रही है। ङ्गसहकारिता से विकासङ्घ का मंत्र पूरे भारत में सफलता पूर्वक लागू होने से गरीब किसान और लघु व्यवसायी बड़ी संख्या में सशक्त हो जाएंगे।

प्रहलाद सबनानी
सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक,
ई-मेल - prahlad.sabnani@gmail.com

पंजाब में सहकारिता आंदोलन में सहकार भारती को मिली महत्वपूर्ण जीत

सहकार भारती के उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री शंकर दत्त तिवारी ने बताया पिछले दिनों आदरणीय वि. के. सिंह जी IAS विशेष मुख्य सचिव सहकारिता पंजाब ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें सभी प्रकार की सहकारी सभाओं की रजिस्ट्रेशन फीस 20 लाख से घटाकर रु. 10,000 हजार कर दिया गया है सहकार भारती के उत्तर क्षेत्र के संगठन प्रमुख शंकर तिवारी ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और विशेष रूप से वि. के. सिंह जी का इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रशंसा की तिवारी ने कहा जिस वक्त जनवरी 2024 को वि. के. सिंह जी ने पंजाब सहकारिता विभाग के विशेष मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला था हमें आशा के किरण दिखाई देने लगी थी उन्होंने हमारे चिंताओं को ध्यान से सुना और पंजाब के किसानों महिलाओं और युवाओं के अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया 26 जून 2024 को सिंह जी ने अधिसूचना जारी करके अपना वायदा पूरा किया जिससे रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी उल्लेखनीय कमी कराई

यह फीस 25 सितंबर 2023 को लागू की गई थी एक विवादास्पद नीति के तहत सहकारी सभाओं के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 20 लाख रुपया कर दी गई थी फीस वृद्धि के बाद सहकार भारती ने पंजाब में जागरूकता अभियान शुरू किया जिला स्तर तक व्यापक रूप से इसकी आलोचना हुई और सहकारिता क्षेत्र के लोगों में इस बहस को जन्म दिया इस अब्दाली कानून को सहकारिता क्षेत्र से वापस कराने की मांग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया माननीय भगवंत मान जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री जी को कई पत्रों, ज्ञापन, ईमेल के माध्यम से संपर्क किया कुछ हाथ नहीं लगा।

शंकर दत्त ने बताया 25 सितंबर 2023 से पहले पंजाब में सहकारी सभाओं के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी पिछले साल सितंबर में यह अब्दाली कानून लागू किया गया जिसे सहकारी क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ सहकारिता किसान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वि.के. सिंह जी के हस्तक्षेप के बाद सफलता मिली इस आदेश के बाद सहकार भारती उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।

विनम्र निवेदन करती है कि जब दिल्ली और पंजाब के साथ जुड़े राज्यों में सहकारी सभाओं कि कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो पंजाब में 10 हजार फीस क्यों यह भी खत्म होनी चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी अपील करते हैं।

गुरु नानक जी ने कहा था कृत करों बढ़ छक्को सहकारिता हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। ङ्गनानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला ङ्घ यह सदियों पुराने मंत्र को क्रियान्वयन करने का सामर्थ्य केवल सहकारिता आंदोलन में ही है। अपने देश के गरीब / निर्धन / दुर्बल / वंचित / असंघठित / महिला / दलित / शोषित तथा निम्न आर्थिक स्तर के नागरिकों का स्थायी आर्थिक विकास करने का सहकारिता क्षेत्र एकमात्र साधन है।

Sahakar Bharati - Vision and Mission

Sahakar Bharati is working as a Non-Political and Non-Government organization for spreading, purifying and strengthening the Co-operative movement. Introduction Sahakar Bharati is the only pan India organisation of CoOperators and Cooperatives. It envisages to create, both in Rural and Urban areas, a strong and devoted cadre of selfless CoOperators and a chain of Cooperatives which would spread the knowledge of the Cooperative Movement which in the present circumstances can only act as the 'saviour' for the upliftment of Small Farmers, Landless Labourers, Vanwasis, Women, SHGs and JLGs, Rural Craftsman and Technicians, Jobless Youth from the Middle and Lower income groups.

Vision

- In our Country, the Cooperative Movement should be built as one of the primary instruments of decentralised and labour intensive economy for speedy, balanced, equitable and sustainable growth.
- There is a pressing need to enlighten the masses about the benefits of the Co-Operative Movement and to make the Co-Operative Movement truly a shield of the weak and the underprivileged.

Mission

- With this end in view, it is necessary to organise at regular intervals Training Camps. Lecture Series, Seminars, Conferences, etc. to empower the masses to build Self sustaining and Self reliant Cooperative institutions.
- Sahakar Bharati is committed to keep Cooperative institutions autonomous and insulate them from external control and political interference
- With this end in view, Sahakar Bharati will strive for amendments to State and Central CoOperative Acts in line with the 97th Constitutional Amendment

Aims & Objectives

- To open branches and enlighten the masses about the Cooperative Movement and Sahakar Bharati
- To encourage people at National, State, District, Taluka and Village levels to promote, form and run a variety of need based CoOperatives of various types
- To provide advisory services in Techno-Economic areas to Cooperatives to overcome ther operational issues
- To represent matters to State and Central Governments, RBI, NABARD, NHB, CBDT, NITI
- Aayog and other Institutions at State and National levels relating to promotion, formation and working of the Cooperatives
- To encourage, undertake, institute Research, Study and Surveys in various fields. especially related to Cooperative, Social, Economic sectors
- To undertake and assist projects to improve socio-economic conditions in rural and tribal areas
- To do any other thing to help especially the backward people and areas to improve their Social and Economic conditions through the Cooperative Movement

Sahakar Bharati Declaration:

Under the mentorship of Late Shri Laxmanrao alias VakilSaheb Inamdar, the Founding Members unanimously adopted the following Declaration which expressed concern for Community and committed to make the Cooperative movement a potent instrument of Socio- Economic Change.

WHEREAS the CoOperative Movement in our country should be build up as one of the primary instruments of the decentralized and labour-intensive economy which only will generate speedy and balanced economic growth, AND WHEREAS there is a pressing need of the time to make the Cooperative Movement truly a shield of the weak and the downtrodden and to enlighten the masses about the benefits of the Cooperative Movement.

AND WHEREAS it is also necessary to further this cause to provide expert advice to the existing CoOperative Societies and the new ones that would come up in future, on the basis of detailed study and research.

AND WHEREAS with this end in view, it is desirable that by organizing Training Camps, Lecture Series, Seminars, Conferences, etc. at regular intervals, people at large should be enlightened to organise the Cooperative Movement comprising of self-sustaining and self-reliant institutions, which are free from external control and political manipulations:

AND WHEREAS with this background, the Sahakar Bharati envisages and endeavours to create a strong and devoted cadre of selfless and dedicated workers who would be equipped for spreading the knowledge of the CoOperative Movement which in the present circumstances can only act as the 'saviour' for the upliftment of Vanwasis, Small Farmers, Landless Labourers, Rural Artisans, Jobless Technicians, Young Entrepreneurs and Consumers from the Middle and Lower- income groups.

Activities

For fulfilment of its objectives, Sahakar Bharati may undertake any of the following activities on a no-profit basis:

- To organise Seminars, Conferences, Meetings, Camps. Sessions, Lectures, etc. to instruct, guide, educate and enlighten the people and all those associated with the CoOperative Movement.
- To publish, print, circulate and distribute Papers, Articles, Periodicals, Magazines, Reports, Books, etc. to further the objectives of the Cooperative Movement.
- To produce Films, Photographs, Posters, etc. and arrange their exhibition.
- To establish, Educational and Training Institutions to empower all those associated with Social, Economic and CoOperative fields, in various disciplines as per their needs.
- To form Cells, Branches, Offices, etc to undertake Projects, Surveys, Studies and Research and to provide techno-economic services.
- To raise funds in order to help Individuals, Institutions carrying out activities similar to those of the Sahakar Bharati and to carry out various activities of Sahakar Bharati.

Shri Jyotindra Bhai Mehta

सहकार भारती के कुछ उद्देश्य

सहकार भारती, उत्पादक, वितरक और ग्राहकों के बीच संबंधों का समन्वय करके अर्थशास्त्र को मज़बूत बनाने के लिए बनाई गई संस्था है।

इसका मकसद, सहकारिता के ज़रिए समाज का आर्थिक विकास करना और उसे शुद्ध बनाना है।

सहकार भारती के कुछ उद्देश्य ये हैं:

1. सहकारिता में आने वाले दोषों को दूर करना
2. सहकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना
3. सहकारिता का जन-जन में प्रचार करना
4. सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों के ज़रिए लोगों को जागरूक करना
5. सहकारिता से जुड़ी किताबें छापना
6. सहकारिता की समस्याओं का समाधान करना
7. आदर्श सहकारी संस्थाएं शुरू करना, उन्हें चलाना, और उनका विस्तार करना समाजसेवी
8. सहकारिता-कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना और उन्हें एक साथ जोड़ना
9. सहकारिता को समाज के लिए फ़ायदेमंद बनाना
10. देश के 739 ज़िलों में सक्रिय रूप से काम करना
11. सहकार भारती पांच भाषाओं में मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करती है
12. परिसंवाद, परिचर्चा, सम्मेलन, और प्रशिक्षण वर्ग जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए लोगों को जागरूक करना।

शंकर दत्त तिवारी
सहकार भारती
उत्तर क्षेत्रिय प्रमुख

ghH$m[aVm : EH$ naVZ ^maVr¶ {dMma

भारतीय मनीषा में सहकारिता का भाव आदिकाल से रहा है। सहकारिता को राज्यव्यवस्था का ही अंग माना जाता था। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभा और समिति नाम की संस्थाओं का निर्माण होता था। ये दोनों संस्थाएँ राजा को स्वेच्छाचारी होने से रोकती थीं। अथर्ववेद 7.10.01 में इनको प्रजापति की पुत्रियों बताया गया है। राजा तभी विपत्ति में पड़ता था जब उसे समिति का सहयोग प्राप्त नहीं होता था–

''नास्मै समिति कल्पते न मित्र नयतेवशम (अथर्व वेद 05 19.15)। समिति राजा का चुनाव कर सर्व सहयोग से राज्य चलाने की व्यवस्था करती थी। यह विचारणीय विषयों पर विचार कर निर्णय करती थी।

सहकारिता सम्बन्धी अनेक मन्त्र वेदों और उपनिषदों में प्राप्त होते हैं, यथा–

संगचन्व सवदध्व, सं वो मनासि जानताम्
देवाभागं यथापूर्व, सञजानाना उपासते

मिलकर जो कार्य करते हैं उनका मंत्र समान होता है। वे मंत्रणा करके ही निर्णय पर पहुंचते हैं। यथा–

'समानो मत्रः समिति समानी, समान मनः सहचित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रभिमन्त्रये वः। समानेन वो हविषा जुहोमि।

चित्त सहित सहकारिता में सभी का समान मन होना चाहिए तभी निष्कर्ष पर भी पहुँच सकते हैं।

पुरातन शास्त्रों में समान भावना और समान संकल्प की भी बात कही गयी है। ह्रदय और मन की समानता से परस्पर सहकारिता हो सकती है। यथा–

'समानी वा आकृति, समाना ह्रदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो, यथा व सुसहासति ।।

वेद सहित्य, स्मृति साहित्य एवं समग्र संस्कृत साहित्य में शासन एवं समाज व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए सहकारिता के मूल मन्त्र प्रचुर मात्रा में उल्लखित है। समाज और राज्य बिना सहकारिता के कल्पनातीत ही है। सहकारिता सम्बन्धी सर्वप्रथम चिन्तन भारत में ही किया गया था। हमारे ऋषि किवा पूर्वज इस के महत्व से भली–भाँति परिचित थे। उनका चिन्तन 'सर्वे भवन्तु सुखिन और वसुधैव कुटम्बकम' का था।

हमारे पूर्वजों ने न केवल इसे लाभप्रद पाया, बल्कि एक साथ काम करने के लिए अनुकूल पाया। मानव इतिहास घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला है जहाँ पुरुषों ने निरतर पारस्परिक लाभ के लिए दूसरों के साथ अपनी शक्तियों और संसाधनों को एकजुट करने के लिए नए तरीके और साधनों की खोज करने की कोशिश की है। यहीं तक कि इतिहास की सुबह से पहले, होमो सेपियंस दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा और भोजन की खरीद के लिए एक साथ जुड़े। इस प्रकार के सहयोग ने मानव जाति को आपसी मदद के माध्यम से से शांतिपूर्ण और उत्पादक आधार पर अपने जीवन को चलाने में मदद की। इसने समाज को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाया और तेजी से प्रगति और विकास प्राप्त करने के लिए एक उत्तेजक के रूप में काम किया।

सहयोग विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू जैसा कि हम जानते हैं. धार्मिक विचारों का आईना है। इसलिए की जड़ों को धार्मिक आस्था और विचारों से पता लगाया जा सकता है । एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य के रूप में दुनिया के लगभग सभी धर्मों ने सहयोग के फायदों पर प्रकाश डाला है और लोगों को अपने जीवन में इसका पालन करने का फरमान सुनाया है। यदि हम हिंदू धार्मिक ग्रंथों की गहराई में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि वेदों, पुराणों और रामायण सर्वसम्मति से सहयोग की सिफारिश की गई है। विश्व के सबसे पुराने शास्त्रों यानी वेदों ने विभिन्न स्थानों पर सहकारिता के प्रयासों की सराहना की है।

ऋग्वेद में कहा गया है. 'तब न कोई राज्य था और न कोई राजा, न कोई दंड था और न कोई दडदाता, फिर भी एक व्यवस्था थी और यह व्यवस्था इसलिये थी कि लोगों में परस्पर सहयोग और साहचर्य था न कि विभेद, विखंडन और संघर्ष।

विश्व के प्राचीनतम गन्ध ऋग्वेद में परस्पर सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया था. हमारी प्रार्थनाएँ सामूहिक हों, हमारी इच्छाएँ साझी हो तथा हमारे बीच एक संघ हो जो सामूहिक हितों को सुनिश्चित करे।

ऋग्वेद (05.19.17)

उपरोक्त श्लोकार्थ से पता चलता है कि ऋग्वेद में सहयोग को कितना अधिक महत्व दिया गया था। इतना अधिक कि इत्सने किसी सीमा तक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को भी सीमित कर दिया गया था।

एक अन्य स्थान पर ऋग्वेद में लोगों को आह्वावान किया गया है कि वे किसी भी कार्य को करते हुए एक दूसरे का सहयोग करें जिसमें

भगवान की पूजा की प्रक्रिया भी शामिल है। इस श्लोक द्वारा सिद्ध किया जाता है कि प्रार्थनाओं से मनोरंजन भी किया जाता है. जब उन्हें सामूहिक रूप से गाया जाता है। यह क्लोक जिसे लोगों ने दावतों के समय गाया और सुनाया, वह गति, मन और संचार की एकता के लिए ही था। इसके अलावा, ऋग्वेद के अधिक से अधिक भाग में धन के उत्पादन और वितरण में सहयोग की अनुशंसा की गयी है। अथर्ववेद ने भी सहयोग को मानव जाति की प्रगति और विकास के लिए सबसे अच्छे साधनों में से एक के रूप में माना है। इसमें लोगों से स्वयं सहायता के लिए आपसी मदद से अपन कर्तव्यों का निस्तारण करने की अपील की गई है। उपनिषद काल में, वैदिक काल के बाद भी प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग का स्वागत किया गया। उपनिषदों के ध्वनि छंद में हम लोगों को सामूहिक साध्यों को प्राप्त करने और लोगों के बीच घृष् या ईर्ष्या के उन्मूलन के लिए प्रार्थना करते हैं। मध्य काल के दौरान हिंदी में लिखे गए हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यह किसी भी इसान के पास सबसे शानदार गुण है। तुलसी की रामायण में सहयोग की समी प्रकार के धन के स्रोत के रूप में सराहना की गई है। रामचरित मानस में कहा गया है। जहाँ सहयोग है वहीं कई तरह की सम्पत्ति होती है और जहाँ संघर्ष या असहमतियाँ होती हैं वहाँ कई तरह की विपत्तियों होती हैं।

'जहाँ सुमति तह सम्पति नाना, जहाँ कुमति तह विपति निदाना।

विभिन्ना हिन्दु धर्मशास्त्रों में विभिन्ना विभिन्ना स्थानों पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें अपने छुद्र मतभेदों को मूल कर एकता एवं सद्भाव के साथ रहना चाहिए। हमें वस्तुतः एक टीम की भावना से कार्य करते हुए अपने उददश्यों की प्राप्ति के लिये कटिबद्ध होना चाहिये। हममें से सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ अनूठी विशेषतायें होती है तथा जब यह अनूवी विशेषतायें संयुक्त हो जाती है तो एक स्वर्णिम उत्पाद बनता है। हिन्दू पुराण शुक्रनीतिसार में कहा गया है-

'कोई भी जड़ (मूल) ऐसा नहीं है जिसकी कोई न कोई चिकित्सकीय विशेषता न हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई विशिष्ट गुण न हो। किन्तु बहुत कम लोग जानते हैं कि इन गुणों और गुणवान व्यक्तियों का अनुकूलवम सामूहिक उपयोग कैसे किया जाय।

उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि पुरातन भारतीय मुनीषियों को सामूहिक प्रयास अथवा सहकारिता की उपयोगिता कितनी अच्छी तरह से ज्ञात थी। यही नहीं उन्हें यह भी ज्ञात था कि सहकारिता की प्रक्रिया एक तकनीकी प्रक्रिय है जिसे कंवल कुछ ही लोग जान सकते हैं। इस ग्रन्थ में ही आगे कहा गया है कि जब भी व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करें तो उनमें वास्तविक टीम भावना होनी चाहिए तभी वे अपने उदेश्य को सर्वश्रेष्ठ प्रकार से प्राप्त कर सकेंगे अन्यथा वे संयुजा होकर भी विपत्ति और असफलता के भागी बनेगें। टीम भावना के लिये आवश्यक है कि समूह के सभी सदस्य अपने-अपन अह की आहुति देकर संयुक्त रूप से कार्य करें। केवल उत्पादक कार्यों में ही नहीं क्रीडाओं (खेलों) तक में जीतने के लिये प्रत्येक खिलाड़ी को अपने अहं का त्याग कर सामूहिकता के साथ कार्य करना पड़ता है।

वास्तव में शुक्रनीतिसार का उपरोक्त विचार बहुत सही विचार है। यदि हम सहकारी आन्दोलन का स्वतन्त्रता बाद का इतिहास पेखते हैं तो हम पाते हैं कि अपने-अपने अहं के चलते अनेकानेक सहकारी संस्थाएँ नष्ट हो गयीं तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति में नाकामयाब सिद्ध हुई। हमारे मनीषी पुरातन काल में ही यह बता गरी थे कि एक वास्तविक सहकारी उपक्रम में यदि अहं की भावना का त्याग न किया गया तो निश्चित ही ऐसा उपक्रम असफल हो जायेगा। रामायण की कथा तो स्वयं भी सामूहिक सद्भ्यास या सहकारिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भगवान राम ने किस तरह छुद्र मानी जाने वाली वानर, भालु लंगूर और वहाँ तक की गिलहरी जैशी प्रजातियों के संयुक्त प्रगाररों से लंका एक पुल का निर्माण कर दिया। वस्तुतः भगवान राम का यह प्रयास सहकारिता का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

हिन्दू धर्म शास्त्रों में आगे बताया गया है कि न केवल अहं ही सामूहिक कार्यशैली गा सहकारिता में बाधक होता है बल्कि इन शास्त्रों में सहकारिता के छ अन्य शत्रु भी बताये है और यह छः शत्रु है- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा ईर्ष्या। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन कारणों के चलते कभी भी किसी सहकारी संस्था में टीम भावना से कार्य करने की संकल्प शक्ति नहीं आ सकती है। भारतीय सहकारी आन्दोलन गत शताब्दी के उत्तरार्थ में इन्ही कारणों के चलते नष्ट हुआ। सहकारी समिति के सदस्यों के क्रोध की वजह से विग्रह हुए, लोभ की वजह से भ्रष्टाचार पनपे मोह की वजह से भाई-भतीजवाद या परिवारवाद हावी होने लगा, मद की वजह से झगड़े पनपे और ईर्ष्यों के कारण सदस्य एक-दूसरे को सहयोग करने के बजाय नुकसान पहुँचाने में लग गये।

ऋग्वेद में ही एक अन्य स्थान पर कहा गया कि 'जीवन का झरना तमाम शिलाओं और बाधाओं से भरा है किन्तु हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है और बाधाओं को पार कर निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचना है। जो हमारी इस सामूहिक यात्रा कि विरोधी हैं उन्हें हमे पीछे ही छोड़ देना चाहिए।''

(ऋग्वेद 10.53.08)

महाभारत 3.33.70) में कहा गया कि 'संयुक्त शक्ति और प्रयास से कमजोर प्राणी भी सबल शत्रु पर विजय कर सकते हैं। । हमें उसी प्रकार से एक हो जाना चाहिए जिस प्रकार मधुमक्खी अपने छत्से पर आक्रमण करने वाले से अपने मधु की रखा करती है।

वास्तव में उपरोक्त कथन सहकारिता की भावना का ही प्रकाट्य है। प्रारम्भ में सहकारिता को मिशन मानकर इस आन्दोलन को चलाने वालों का विचार और उददेश्य यही था कि सहकारिता के माध्यम से कमजोर, विपन्ना, साधनहीन और पिछड़े लोग संगवित होकर आपने संयुक्त प्रयासों से कोई भी बड़ा उददेश्य प्राप्त कर लेंगे। विभिन देशों में इस प्रकार का सहकारी प्रयास अति सफल भी रहा। किन्तु भारत में ऐसी सफलता बहुत कम देखने को मिली।

महाभारत में ही एक अन्य त्वान पर (5,36.62.63) (5.36.62.63) में कहा गया, एक तेज तूफान से एक अकेला खड़ा शक्तिशाली वृक्ष भी धराशायी हो जाता है जबकि तमाम साथ खड़े वृक्षों के समूह को कितनी भी तेज औंधी नहीं बहा सकती है। अतः हमें सामूहिकता और सहकार्य के महत्व को समझना ही होगा।

ऋग्वेद की एक ऋचा (10.191.3) में स्पष्ट कहा गया है 'साथ-साथ सहयोग से कार्य करिये, मिलकर ही एक स्वर में बोलिये, अपने चिन्तन को सामूहिक कीजिए, विचारों में एक्य भाव लाइये, आपके सामने एक समान उददेश्य को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका सहकार्य ही हो सकता है। ऋग्वेद ही पुनः यह कहता है कि यदि आप सुखी और सम्पना रहना चाहते हैं तो अपने उददश्यों को समान रखिये, अपने हृदयों में सद्भाव रखिये तथा अपने मस्तिष्कों में एकमेव भाय लाइये (10,191,04)

शुक्ल यजुर्वेद (मध्यादिना संहिता) में **पन्ना क्र. 37 पर**

सहकारिता के सात सिद्धांत

सहकारी समिति व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो सयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक आधार पर नियंत्रित उद्यम के जरिए अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। सम्पूर्ण विश्व भर में 100 मिलियन से अधिक महिला एवं पुरुष सहकारी कार्मिकों तथा 800 मिलियन से अधिक व्यक्तिगत सदस्यों ने छोटे पैमाने से लेकर कई मिलियन डॉलर के व्यवसायों तक अपनी पहुँच बनाई है।

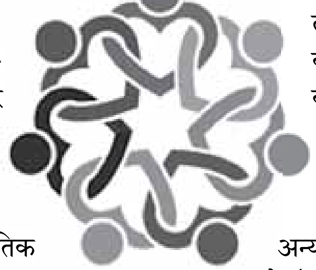

मान सहकारिताए आत्म-सहायता स्व-उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, समता और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित है। अपने संस्थापकों की परंपरा का अनुसरण करते हुए सहकारिता के सदस्य ईमानदारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और परहित चिंतन जैसे नैतिक मूल्यों का भी अनुसरण करते हैं।

सिद्धांत - सहकारी सिद्धांत वे मार्गदर्शिकाएँ हैं जिनके द्वारा सहकारिताएं अपने मूल्यों को व्यवहार में लाती है।

पहला सिद्धांत स्वैच्छिक और खुली सदस्यता सहकारिता समितियों ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो सभी लोगों के लिए खुले हैं जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ हैं और लैंगिक, सामाजिक, जातीय, राजनीतिक या धर्म के आधार पर भेदभाव किये बगैर सदस्यता के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है।

दूसरा सिद्धात प्रजातांत्रिक सदस्य नियत्रण सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित प्रजातात्रिक संगठन है जो उनकी नीतियाँ निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय तौर पर भाग लेते हैं। चुने गये प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत ष तथा महिलाएं अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों में सदस्यों के मतदान करने के समान अधिकार होते हैं। (एक सदस्य, एक मत) और दूसरे स्तरों पर भी सहकारी समितियाँ प्रजातांत्रिक तरीके से आयोजित की जाती है।

तीसरा सिद्धांत सदस्य की आर्थिक भागीदारी सदस्य समान रूप में अंशदान करते हैं और अपनी सहकारी समिति की पूंजी पर प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रण रखते हैं। कम से कम इस पूजी का एक हिस्सा आमतौर पर सहकारी समिति की सांझी सम्पत्ति होती है। सदस्यता की शर्त के रूप में अंशदान की गई पूजी पर सदस्यों को आमतौर पर समिति प्रतिकर, यदि कोई हो मिलता है। सदस्य अधिकोषण पूंजी की निम्नलिखित किसी एक या सभी प्रयोजनों के लिए आवंटित करते हैं सम्भवतः आरक्षित निधियां स्थापित करके जिनका कम से कम एक भाग अभिभाज्य होगा, सहकारी समिति के साथ उनके लेन-देनों के अनुपात में सदस्यों को लाभ पहुंचाकर और सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य कार्यकलापों में सहायता देकर अपने सहकारी समिति का विकास करेगा ।

चौथा सिद्धात स्वायत्तता और स्वतंत्रता सहकारी समितियों अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित एवं स्वावलम्बी संस्थाएं होती हैं। यदि वे सरकार सहित अन्य संगठनों के साथ करार करती है अथवा बाहरी स्रोतों से पूंजी जुटाती हैं, तो वे ऐसा उन शर्तों पर करती है जिनसे उनके सदस्यों द्वारा प्रजातात्रिक नियंत्रण सुनिश्चित होता हो और उनकी सहकारी स्वायत्तता भी बनी रहती हो।

पांचवों सिद्धांत: शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों, चुने गये प्रतिनिधियों प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। ताकि वे अपनी सहकारी समितियों के विकास में कारगर योगदान कर सके। वे आम जनता विशेषरूप से युवाओं और परामर्शी नेताओं को सहकारिता के स्वरूप और लाभों के बारे में सूचना देती है।

छठा सिद्धांत। सहकारी समितियों में परस्पर सहयोग सहकारी समितियों अपने सदस्यों की सर्वाधिक कारगर ढंग से सेवा करती है और स्थानीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढांचों के जरिए साथ-साथ काम करके सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाती है।

सातवों सिद्धांत समुदाय के लिए निष्ठा सहकारी समितियों अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के द्वारा अपने समुदायों के स्थाई विकास के लिए कार्य करती है।

संजय पाचपोर
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सहकार भारती

ghH$m[aVm : EH$ namVZ ^maVr¶ {dMma

पन्ना क्र. 36 से

कहा गया है कि सभी लोग मेरी ओर मिलता से देखें। मैं भी सबको मित्रता के नेत्रों से देखें। हम सभी एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखे। (30.18)

अथर्ववेद में भी उल्लेख है. सभी के हृदय और मस्तिष्ध्या में एक्यता का भाव हो तथा वे घृणा से मुक्त हो। आप सभी एक-दूसरे को उसी तरीके से प्रेम करें जैसे एक गाय अपने बछड़े को करती है।

(अथर्ववेद सौनक संहिता 3,30.1)

अथर्व वेद में ही आगे कहा गया हैं, ''अपने जल-स्रोतों और जल-संग्राहकों को सामूहिक रखिये, अपने भोजन को सामूहिक रूप से ग्रहण कीजिए, आप पूरी तरह एक ही जुए (लवाम) में आबद्ध होकर चलिये। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक चाक () में छड़े () होकर पहिए में चलती हैं।''

(अथर्ववेद, सौनक संहिता 3.30.06)।

उपरोक्त के अलावा भी बहुत से अन्य उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि सहकारिता का विचार न तो कोई आधुनिक विचार है और न ही कोई पाश्चात्य देशों से आयतित विचार। यह विचार तो वास्तव में हमारे वांगमय और धर्मशास्त्रों में अति प्राचीन काल से सर्वप्रचिलित विचार रहा है। वस्तुतः सहकारिता की मूल परिकल्पना हमारी ही संस्कृति में सदियों पूर्व मौजूद थी। यह परिकल्पना वास्तव में मूलतः भारतीय मनीषीयों की परिकल्पना थी जिस पर हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिये।

प्रो. वेद त्रिपाठी आगरा (उ.प्र.)

सहकारिता से आर्थिक-सामाजिक समृद्धि

सहकारिता से समृद्धि एक महान विचार है, परन्तु इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, सहकारी समितियों को विनियंत्रण और नौकरशाही से मुक्त करने की अतीव आवश्यकता है। देश में लगभग 30 करोड़ सदस्यों वाली लगभग 85 लाख सहकारी समितियों है। इनमें से 1.539 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और 97,000 ग्राम ीण बैंक है. जिनकी कुल संपत्ति 17-18 लाख करोड़ रुपये है। सहकारिता आंदोलन प्रारम्भ में सफल रहा, परन्तु कई राज्यों में इसका उपयोग नहीं हो पाया। एक समय था. जब प्राथमिक कृषि आण समितियों () को पास कृषि ऋण का बड़ा हिस्सा था। आज यह कुछ राज्यों तक सीमित (10% से कम) है, जिसमें पाणिज्यिक बैंकों का बड़ा हिस्सा है।

वित्तीय क्षेत्र में सहकारी समितियों का प्रदर्शन, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, समग्र ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, एनपीए और यहां तक कि धोखाधड़ी के मामले में, उनका योगदान, औसत से खराब रहा है। माना जाता है कि शहरी सहकारी बैंकों ने विमुद्रीकरण के दौरान भारी लेन-देन किया, जिससे सरकार के इस अभियान में, अपेक्षित लाभ कम हो गया। सहकारी क्षेत्रों के वित्त में शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंक, दोनों ही, एक बड़े हिस्सेदार हैं। जबकि उनमें से कई प्रकधन की समस्याओं से जूझ रहे है तथा उन्हें पूजी की तत्काल आवश्यकता है। कुछ बड़े शहरी सहकारी बैंक, नकदी से समृद्ध है. और यह उन्हें एक शक्तिशाली वित्तीय शक्ति बनाता है। मार्च 2020 तक यूसीबी का जमा आधार 5 लाख करोड़ रुपये था (यह जमा सहकारी समितियों के संसाधन आधार का लगभग 90% है)। वित्तीय वर्ष 2020 के अंत में. उनका ऋण पोर्टफोलियो 3 लाख करोड़ रुपये तक था, जो समग्र सहकारी क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि के लिए ऋण प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा था।

इसी तरह यूसीबी का नकद भंडार वित्तीय वर्ष 2020 में 7.9% बढ़कर 5,812 करोड़ रुपये हो गया और बैंकों के साथ शेष राशि 8.6% बढ़कर 66.212 करोड रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष 2015 में उनका निवेश 162 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें से 60% केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में और अन्य 27% राज्य सरकार में थे। मार्च 2020 तक उनकी संपत्ति का आकार 6.2 लाख करोड़ रुपये था। ग्रामीण सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को शामिल करने के बाद, संपत्ति के आकार में पर्याप्त उछाल आता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आकलन के मुताबिक, ये ग्रामीण सहकारी समितियां, सभी सहकारी बैंकों की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा बनाती हैं।

समग्र रूप से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय और साथ ही राजनीतिक दृष्टि से, बहुत अधिक मतदाताओं पर, अभी भी जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण दबदबा बनाए हुए है। कई सहकारी समितियों की वित्तीय क्षमता और उनके सदस्यों की विशाल संख्या को देखते हुए राजनीतिक दल उन पर काफी नियंत्रण रखते हैं. जो चुनाव के समय दूसरों पर संभावित रूप से, उन्हें एक महत्वपूर्ण लाभ दिलाते है।

इस पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से नए सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से, इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली नीतियों को विनियमित करने में केंद्र सरकार की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। नए मंत्रालय के गठन का मुख्य उद्देश्य हैं सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति, और सहकारिता गतिविधियों के सभी क्षेत्रों का समन्वय, और सहकारिता से समृद्धि की प्राप्ति। यह एनसीडीसी और बहु-राज्य सहकारी समितियों (इफको, कृभको, आदि) पर भी नजर रखेगा। सहकारिता मंत्रालय एक नियामक भूमिका के साथ ही, एक विस्तारित विकास कार्य करने में सक्षम होगा।

केंद्र सरकार की भूमिका ज्यादातर बहु-राज्य सहकारी समितियों तक ही सीमित रही है। राज्य का विषय होने के नाते, सहकारिता की देखरेख, राज्यों द्वारा की जानी चाहिए थी। परन्तु अधिकाश राज्य सहकारी संस्थान अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बन गए हैं। इन्हें लगभग हर एक निर्णय के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है, चाहे वह कीमत हो या कार्मिक। सरकारों ने भी अपनी जरूरतों के लिए, उनके फण्ड में अपनी डुबकी लगाई है. जिसके फलस्वरूप सदस्यों को मिलने वाली आय में नुकसान होता है। भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी जैसे नियामक प्राधिकरणों से बचने के लिए, कुछ वित्तीय कंपनियों को बहु-राज्य सहकारी समितियों में परिवर्तित कर दिया गया था। दिसंबर 2020 तक देश में 1.469 पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियां थीं। इनमें सबसे अधिक, महाराष्ट्र में (622) है. इसके बाद दिल्ली (153), उत्तर प्रदेश (149), तमिलनाडु (124) और राजस्थान में (74) हैं। अब सभी बहु-राज्य सहकारी समितियों को विनियमित और नियंत्रित करने का कार्य, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार की देखरेख में, नया सहकारिता मंत्रालय करेगा जो पहले कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता था।

सहकारी समितियों को जीवंत व्यावसायिक संगठन बनने हेतु उन्हें विनियंत्रित और नौकरशाही से मुक्त करने की दिशा में केंद्र सरकार ने 2011 में 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा तीन महत्वपूर्ण बदलाव किए पहला, इसने अनुच्छेद 19 में तहत सहकारिता बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया। दूसरा इसने अनुच्छेद 43 बी को पेश करके अनुच्छेद 43 में संशोधन किया। जो सहकारी समितियों के स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन तथा स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देने हेतु राज्य को बाध्य करता है। तीसरा, इसने को अनुच्छेद 243 पेश किया, जिसमें उपरोक्त उद्देश्यों के संबंध में प्रावधान शामिल थे।

यह उल्लेखनीय है कि 2003 के बाद से, सहकारी संगठन के, एक अन्य रूप को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए गए है। जैसे किसान उत्पादक कंपनिया जो एक निजी लिमिटेड कंपनी और एक सहकारी समिति का समन्वय है। यह एक हाईब्रिड निकाय कारपोरेट के रूप में, एक सहकारी उद्यम की अच्छाई और एक कंपनी की जीवंतता एवं दक्षता सहित एक निजी लिमिटेड कंपनी के समान, एक नियामक ढांचे के साथ जोड़ती है।

इस आदोलन ने पिछले दशक के दौरान गति पकड़ी है। कई किसान उत्पादक कंपनियों को राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से मुक्त, कार्यात्मक और बेहतर शासित संस्थानों के रूप में देखा जा सकता है। 97वां संशोधन सहकारिताओं को एक सनान पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य से, गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 में अनुच्छेद 243 से 243 वाले भाग को रद्द कर दिया,

जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी, केंद्र सरकार की अपील के बावजूद, रद्द करने का निर्णय बरकरार रखा।

केंद्र सरकार ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा, शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को, भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन के अधीन लाने के लिए अधिनियम में पिछले साल संशोधन किया। सहकारी बैंकों को पहले मिलने वाली छूट, अब उनके लिए उपलब्ध नहीं है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और जमाकर्ताओं को कोर-बैंकिंग सुविधाओं द्वारा अधिक लाभ दिलाना है तथा इन सहकारी बैंकों के मामलों की बेहतर जांच करना है। कार्य की विशालता को देखते हुए, सख्त पर्यवेक्षण और विनियमन को वांछित मानकों तक विकसित होने में कुछ समय लगेगा। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन का दायरा, केवल बैंकिग सेवाओं की पेशकश करने वालों तक ही सीमित है और सहकारी समितियों के पूरे ब्रह्मांड को कवर नहीं करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष के लिए शर्तें और योग्यता तय करता है. और बोर्ड में निदेशकों की गुणवत्ता की जाच करता है, यह बोर्ड का अधिक्रमण भी कर सकता है।

इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सरकार ने सहकारिता का एक पृथक मंत्रालय बनाया, जिसका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के दृष्टिकोण का साकार करना है। सहकारिता ने देश के कई क्षेत्रों में, सैकडों जिंदगियों को संवारने का काम बखूबी किया है। यह सहकारिता की ही खूबी है कि कई लघु इकाइयां बढ़ते-बढ़ते. अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों से टक्कर ले रही है। परतु सहकारिता क्षेत्र की खामियों और विसंगतियों को ठीक करने के लिए, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत थी। स्वतत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन करके, मोदी सरकार ने यह इच्छाशक्ति दिखाई है। एक समर्पित मंत्रालय के गठन और सहकारिता मंत्री के रूप में, माननीय अमित शाह के सशक्त नेतृत्व से. अब बहु-उपेक्षित सहकारी क्षेत्र को, अपना उचित हिस्सा मिलेगा। सरकारी अधिसूचना के अनुसार नया मंत्रालय सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति निर्धारण करेगा, जबकि अन्य संबंधित मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्रों में, सहकारिता के लिए जिम्मेदार होंगे। उदाहरण के लिए, इफको उर्वरक मंत्रालय और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन सघ (अमूल) की डेयरी मंत्रालय की नीतियों से सचालित होता रहेगा। तिलहन और दलहन की खरीद करने वाली कृषि सहकारी संस्था नेफेड, कृषि मंत्रालय के पास रहेगी।

सहकार आधारित व्यवस्था में, अभावग्रस्त और शोषित वर्ग को स्वामित्व के साथ, आर्थिक प्रकल्प संचालित करने की सुविधा मिलती है। सहकारी गतिविधिया आर्थिक और सामाजिक समरसता की स्थापना का मजबूत आधार है। सहकार भारती का यह सातयों अधिवेशन, इस दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से आयोजित है। आशा है कि यह, देश के सहकारिता आंदोलन को गति देगा तथा जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को और अधिक गहरा करेगा ।

जगदीश नारायण भट्ट
सहायक महाप्रबंधक (सेनि)
भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ

ਦੀ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਿਮ: ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ

ਇਹ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਪਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1028 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ 100% ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ 90% ਹੈ। ਸਭਾ ਦਾ 31.3.2024 ਦਾ 3.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ।

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ	ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ	ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ	ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਧੀਂਗਾਨ
ਸੱਕਤਰ	ਪ੍ਰਧਾਨ	ਨਰਿਖੱਕ	ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ

ñdXoer Ed ghH$m{aVm

महात्मा गाँधी के राजनैतिक विचारों में सहकार एवं स्वदेशी का विचार काफी महत्त्वपूर्ण है। वे इस स्वदेशी विचार का उपयोग जीवन के हर पक्ष में करते रहे, केवल सामाजिक तथा राजनैतिक पक्ष में नहीं बल्कि आर्थिक पक्ष में भी। वास्तव में भारत की आर्थिक उन्नति के लिये दृष्टि का स्वावलम्बी बनना उन्हें आवश्यक प्रतीत होता रहा जो केवल स्वदेशी वस्तुओं के भारत में उपयोग से ही सम्भव था। उन्होंने स्वदेशी को असहयोग आन्दोलन का एक अभिन्न अंग बनाया। स्वराज्य, स्वदेशी तथा स्वावलम्बन समानार्थक हैं। स्वदेशी देश की आत्मा का धर्म है। स्वदेशी की शुद्ध सेवा करने से परदेशी की भी शुद्ध सेवा हो जाती है। सहकार इसका मूल है।

स्वदेशी शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपने देश का। गाँधी जी भी स्वदेशी शब्द का यही मूलार्थ लेते हैं। उनके अनुसार इस शब्द का भावात्मक अर्थ भी है तथा निषेधात्मक भी। भावात्मक दृष्टि से यह एक राजनैतिक तथा आर्थिक सिद्धान्त प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रीय आधार बन जाता है किन्तु निषेधात्मक रूप में यह अन्तर्राष्ट्रीयता का एक अर्थपूर्ण आधार प्रदर्शित करता है। गाँधी जी कहना था कि 'स्वदेशी' धर्म का पालन करने वाला परदेशी से भी द्वेष नहीं करेगा।

गाँधी जी का स्वदेशी विचार सहकारिता से परिपूर्ण अहिंसा का ही एक रूप है। हमारा लक्ष्य गाँवों को संगठित करना व उन्हें अधिक सुखी, सम्पन्न व आरोग्यपूर्ण जीवन प्रदान करना है इसलिए प्रत्येक ग्रामवासी को इकाई व व्यक्ति दोनों रूपों में विकास के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सहकारी प्रयत्नों की आवश्यकता है।

स्वावलम्बन के लिये स्थानीय योजना केवल स्थान विशेष के लिए लाभदायक न होकर, प्रमुख योजना में समन्वित होनी चाहिए। देश की कोई भी योजना यदि जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करके बनायी जायेगी, मानवी शक्ति का ध्यान नहीं रखा जायेगा या पूँजी के अभाव की अपेक्षा की जायेगी तब सफलता प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

गाँधी जी की सहकार भावना से युक्त योजना आज के सन्दर्भ में प्रासंगिक तो है ही, साथ ही व्यावहारिक भी है क्योंकि यह वर्तमान अर्थ पीड़ित विश्व को ऐसी आर्थिक व्यवस्था प्रदान करती है जो शान्ति, प्रजातन्त्र व मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उनकी योजना सर्वाधिक प्रभावशाली व व्यवहार योग्य है। आज तक किसी भी देश में बेरोजगारी के निवारण के लिए ऐसी योजना नहीं बनाई गई है।

गाँधी जी ग्राम के विकास के लिए विज्ञान व तकनीक के प्रयोग के विरुद्ध नहीं थे, यद्यपि वे स्वचालन के विरुद्ध थे क्योंकि भारत जैसे देश में उसकी कोई उपयोगिता नही है।

गाँधी जी मानव की गरिमा में विश्वास करते थे तथा प्रत्येक व्यक्ति को दिव्य मानते थे। गाँधी जी ने गाँवों का नगरों द्वारा शोषण देखा व गाँवों व नगरों के मध्य बढ़ती हुई खाई को भी देखा और समझा। अतः उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास सार्वधिक स्वभाविक विकास है। ग्राम पुनः निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण है। विकास नीचे से ही प्रारम्भ किया जाए, परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि ऊपर से कुछ किया ही न जाए। विकास के लिए रचनात्मक कार्यक्रम जन-सहभागिता व सहकारिता के माध्यम से हो सकता है। भारत जैसे देश के वास्तविक नियोजन में सम्पूर्ण मानव शक्ति व कच्चे माल का ग्रामों में उचित वितरण करना है। कच्चे माल को विदेश में भेजना व तैयार माल ऊँची कीमत पर खरीदना हमारे लिए केवल आत्मघाती ही प्रमाणित होगा।

उनके अनुसार बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ ग्राम में उत्पादन, वितरण व विपणन के लिए कार्य करेंगी तथा बीज, खाद, कृषि उपकरण आदि उपलब्ध करायेगी, सभी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करें, ग्राम के पुनः निर्माण का महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। केन्द्रीकृत उद्योग केवल वही होंगे, जिनके अलावा राष्ट्र के समक्ष कोई अन्य विकल्प नही होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि केवल गाँधीवादी नियोजन ही, जिसमें सहकारिता, स्वदेशी और स्वावलम्बन की प्रधानता हो ग्रामीण भारत के लिये एकमात्र विकल्प है।

सदी का समस्त जन-समाज और मानव संस्कृति निरे जंगलीपन की तरफ बह रहे भंयकर संकटों में फँसने से बच जाए और 21 वीं सदी में अच्छी से जीवनयापन कर सकें। इस प्रकार गाँधी जी का विचार पूरी तरह व्यवहारिक है। गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था में बिचौलियों के लिए कोई स्थान नहीं है।

अत: संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विद्यमान सभी व्यवस्थाओं- पूँजीवादी व साम्यवादी से गाँववासी जीवन शैली अधिक श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठ ही नहीं अपितु व्यावहारिक भी है। केवल इसके लिए पूरे हृदय से एकजुट होकर सहकार की भावना से प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

***

सहकारिता के पुरोधा श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार

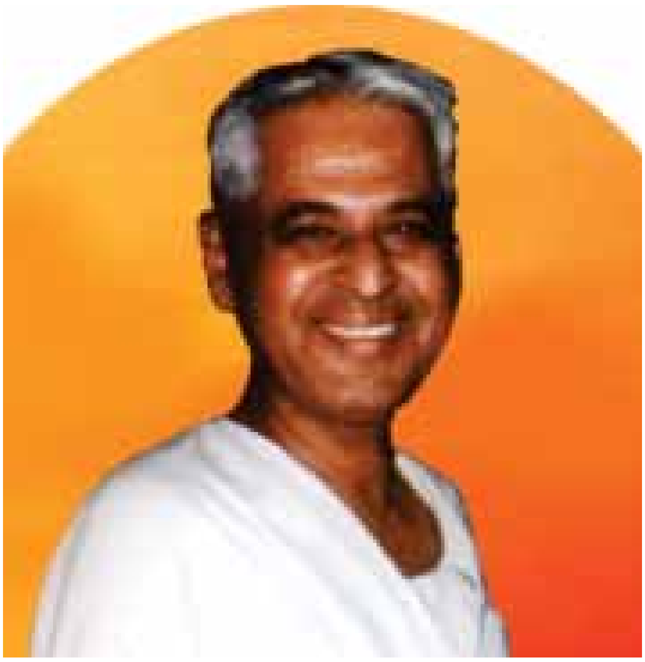

भारत के 400 से अधिक जिलों तथा 27 प्रदेशों में कार्यरत सहकार भारती सहकारिता क्षेत्र की एकमेव स्वयंसेवी संस्था है। सहकार भारती सहकारी आंदोलन में शुचिता व पारदर्शिता स्थापित करने तथा 'बिना संस्कार नहीं सहकार व बिना सहकार नहीं उद्धार' के ध्येय वाक्य को अपनाकर समाज के पिछड़े, गरीब, वंचित, बेरोजगार लोगों के आर्थिक उत्थान व स्वावलंबन के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य कर रही है।

इन वर्गों के विकास के बिना अन्त्योदय व समृद्ध राष्ट्र की कल्पना साकार नहीं हो सकती, समाज भ्रमण एवं लोक सहभाग के कारण लक्ष्मणराव जी का यह विष्वास था कि, देश का आर्थिक व सर्वस्पर्शी विकास, मूल्य आधारित नैतिक सहकारिता आंदोलन से ही संभव हो सकता है। इसी उद्देश्य से श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जी ने सहकार भारती की स्थापना की, और उन्हीं की मंशानुसार 'बिना सहकार नहीं उद्धार' के नारे को ही 'बिना संस्कार नहीं सहकार' नारे में जोड़ा गया। आज सहकार भारती रूपी जो वटवृक्ष देश में पल्लवित और विकसित हो रहा है, उसके मूल में श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जी के सम्पूर्ण जीवन का त्यागमय समर्पण, आदर्श और प्रेरणा है जिससे प्रेरित होकर आज लाखों कार्यकर्ता सहकार की सुगंध देशभर में फैलाकर उनके सपने को साकार कर भारत के आर्थिक उत्थान में अपना योगदान दें रहे हैं। गुजरात में वकील साहब के नाम से लोकप्रिय श्री लक्ष्मण माधवराव इनामदार का जन्म 21 सितम्बर, 1917 (भाद्रपद सुदी 5, ऋषि पंचमी) को ग्राम खटाव (जिला सतारा, महाराष्ट्र) में हुआ था। इनके पूर्वज श्रीकृष्णराव खटावदार ने शिवाजी के काल में स्वराज की बहुत सेवा की थी, अत: शिवाजी के पौत्र छत्रपति शाहु जी महाराज ने उन्हें इनाम में कुछ भूमि और 'सरदार' की उपाधि दी। तबसे यह परिवार 'इनामदार' कहलाने लगा।

वकील साहब एक बड़े कुटुंब के सदस्य थे। सात भाई और दो बहिनें, चार विधवा बुआएं तथा उनके बच्चे सब साथ रहते थे। आर्थिक कठिनाई के बाद भी उनके पिता तथा दादाजी ने इन सबको निभाया। इससे वकील साहब के मन में सबको साथ लेकर चलने का संस्कार निर्माण हुआ। उनकी शिक्षा ग्राम दुधोंडी, खटाव तथा सतारा में हुई। 1939 में सतारा में एलएल.बी. करते समय हैदराबाद निजाम के विरुद्ध आंदोलन जोरों पर था। लक्ष्मणराव ने शिक्षा अधूरी छोड़कर 150 महाविद्यालयीन छात्रों के साथ आंदोलन में भाग लिया।

1943 में महाराष्ट्र के अनेक युवक एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। उनमें से एक वकील साहब को गुजरात में नवसारी नामक स्थान पर भेजा गया; पर वह एक वर्ष जीवन की अंतिम सांस तक चलता रहा। 1952 में वे गुजरात के प्रांत प्रचारक बने। वे स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आसन, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम तथा साप्ताहिक उपवास आदि का निष्ठा से पालन करते थे।

सबसे सम्पर्क बनाकर रखना उनकी एक बड़ी विशेषता थी। पूर्व प्रचारक या जो कार्यकर्ता किसी कारणवश कार्य से अलग हो गये, अपने प्रवास में ऐसे लोगों से वे अवश्य मिलते थे। छोटे से छोटे कार्यकर्ता की चिंता करना उनका स्वभाव था। संघ कार्य के कारण कार्यकर्ता के जीवनयापन या परिवार में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, यह भी वे ध्यान रखते थे।

1973 में क्षेत्र प्रचारक का दायित्व मिलने पर गुजरात के साथ महाराष्ट्र, विदर्भ तथा नागपुर में भी उनका प्रवास होने लगा। अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख बनने पर उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलने लगा। स्वयंसेवक का मन और संस्कार ठीक बना रहे, इसका वे बहुत ध्यान रखते थे।

1982-83 में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। एक सम्पन्न स्वयंसेवक ने उन्हें इलाज के लिए कुछ राशि देनी चाही; पर वकील साहब ने वह राशि निर्धनों के लिए चल रहे चिकित्सा केन्द्र को दिलवा दी। एक स्वयंसेवक ने संघ कार्यालय के लिए एक पंखा भेंट करना चाहा। वकील साहब ने उसे यह राशि श्री गुरुदक्षिणा में ही समर्पित करने को कहा।

प्रचारक बाहर का निवासी होने पर भी जिस क्षेत्र में काम करता है, उसके साथ एकरूप हो जाता है। वकील साहब भाषा, बोली या वेशभूषा से सौराष्ट्र के एक सामान्य गुजराती लगते थे। देश का विभाजन, 1948 और 1975 का प्रतिबंध, सोमनाथ मंदिर का निर्माण, गोहत्या बंदी सत्याग्रह, चीन और पाकिस्तान के आक्रमण, विवेकानंद जन्मशती, गुजरात में बार-बार आने वाले अकाल, बाढ़ व भूकम्प, मीनाक्षीपुरम् कांड 3 आदि जो भी चुनौतियां उनके कार्यकाल में संघ कार्य या देश के लिए आयीं, सबका उन्होंने डटकर सामना किया।

गुजरात में संघ कार्य के शिल्पी श्री लक्ष्मणराव इनामदार ने 15 जुलाई, 1985 को पुणे में अपना शरीर छोड़ा। गुजरात में न केवल संघ, अपितु संघ प्रेरित हर कार्य में आज भी उनके विचारों की सुगंध व्याप्त है। सहकार भारती भी इसका एक उदाहरण मात्र है।

***

ghH$m[aVm j Ì H$m gJR›Z "ghH$ma ^maVr'

'बिना संस्कार नहीं सहकार' इस ध्येय से प्रेरित सहकारिता आन्दोलन के लिए कार्यान्वित सहकार भारती की स्थापना 11 जनवरी 1979 को हुई। सहकारिता क्षेत्र में सुसंस्कारी कार्यकर्ताओं के जत्थे का निर्माण करने हेतु स्व. लक्ष्मणराव इनामदार जी के विचारों से प्रेरित होकर इस संस्था की नींव रखी गई। सन 2016-17 यह वर्ष उनके जन्मशती वर्ष के रूप में सहकार भारती हर्षोल्लास से समूचे देश में मना रही है। केंद्रीय कृषि तथा सहकार मंत्री मा. राधा मोहन सिंह लक्ष्मणराव इनामदार जन्मशती वर्ष समिति के अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ना. हरिभाऊ बागडे कार्याध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। गत 38 वर्षों से कार्यान्वित सहकार भारती के कार्य की व्याप्ति पूरे भारतवर्ष में फैली है। इस उपलक्ष्य में सहकार भारती के कार्यों का विशेष लेखा जोखा प्रस्तुत है।

'बिना संस्कार नहीं सहकार' इस ध्येय से प्रेरित होकर सहकार भारती गत 38 वर्षों से सहकारिता क्षेत्र में सुसंस्कारी कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए कार्य करते हुए राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे रही है। सहकार भारती की विधिवत् स्थापना 11 जनवरी 1979 को मुंबई में हुई। सहकार भारती की स्थापना के विषय में 1978 साल से ही पुणे में विचार विमर्श शुरू हुआ था। भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन की जड़ें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा सभी राज्यों में मजबूत हुई है। सहकारिता आन्दोलन के विकास में डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल, धनंजय गाडगील, वैकुंठभाई मेहता, गुलाबराव पाटिल, वसंतदादा पाटिल तथा विभिन्न प्रदोशों के गणमान्य सहकारी व्यक्तियों का योगदान उल्लेखनीय है। सहकार भारती के कार्य में सहकार भारती के संस्थापक अण्णासाहब गोडबोले (सांगली), लक्ष्मणराव जी इनामदार (सातारा), डॉ. अविनाश आचार्य (जलगाँव), वसंतराव देवपुजारी (नागपुर), मधुकर कुलकर्णी (नाशिक), हरिभाऊ बागडे (औरंगापान) जैसे अनेक राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने भी अपना विशेष योगदान दिया। उनके अथक प्रयास तथा विचारों से प्रेरित होकर आज पूरे भारतवर्ष में सहकार भारती के असंख्य कार्यकर्ता काम कर रहे हैं।

सहकारिताओं में परस्पर समन्वय, परस्पर पूरकता तथा आत्मीयता इन गुणों का संवर्द्धन होकर संघटित शक्ति के माध्यम से ही सहकार क्षेत्र की समस्याएँ सुलझ जाएगी, ऐसा सहकार भारती का दृढ विश्वास है। सहकारिता से ग्राम विकास, भारतवर्ष की अर्थनीति का मूलाधार सहकार, स्वायत्त सहकार के माध्यम से स्वावलंबी भारत, खुली अर्थव्यवस्था के लिए एकमेव पर्याय सहकार तथा समृद्ध सहकार- बलशाली भारत जैसे अनेको विषयों को लेकर सहकार भारती ने चर्चासत्र, परिसंवाद, गोष्ठियाँ आयोजित कर गत 38 वर्षों में सहकारिता/ आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन किया है। सहकार भारती की विशेष आग्रही भूमिका निम्नानुसार रही है- सहकारिता आन्दोलन स्वायत्त होना चाहिए तथा जो अधिनियम और कानून सहकार के विकास में बाधा डालते हैं, उनमें सुधार लाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विषयों पर सहकार भारती ने निरंतर पुनर्विचार किया है। फसल बीमा योजना कार्यान्वित करने के लिए सहकार भारती ने अथक प्रयास किए हैं। रचनात्मक कार्य के साथ ही सहकार भारती ने अनेक प्रकल्प तथा उपक्रम अमल में लाने के लिए प्रयास किए हैं। सहकारिताओं की समस्याएँ सुलझाने के लिए और उनके पुनर्गठन के लिए सहकार भारती अग्रसर रही है।

सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतींद्रभाई मेहता, राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. उदय जोशी तथा राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय जी पाचपोर, सह संगठन मंत्री विष्णु जी बोबडे, तथा संरक्षक सतीश जी मराठे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही पूरे भारत देश में सहकारिताओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी सहकार भारती का कार्य कर रही है।

शुरू से ही सहकार भारती की भूमिका रही है कि सहकारिता आन्दोलन को राजनीति से दूर ही रखा जाए। सहकार भारती के संपन्न हुए अधिवेशन तथा परिसंवादों के माध्यम से अनेकों राजनीतिज्ञ और अर्थविदों ने उपरोक्त भूमिका के बारे में अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए हैं। इस बारे में शंकरराव चव्हाण, बालासाहेब विखे पाटिल, शिवाजीराव पाटिल, अण्णासाहब शिंदे, गोपीनाथ मुंडे, मोहन धारिया, नितीन गडकरी, ज्येष्ठ तत्वज्ञ दत्तोपंत ठेंगडी, जयसिंग गायकवाड, पृथ्वीराज चव्हाण, अर्थविद् नीलकण्ठ रथ, रा. स्व. संघ भूतपूर्व सरसंघचालक बालासाहेब देवरस, रज्जूभैया, पंजाब के भूतपूर्व न्यायाधीश तथा झारखंड प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रामा जॉइस, समाजसेवी अण्णा हजारे आदि महानुभावों का सहकार भारती व्यासपीठ द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।

सहकार भारती की कार्यव्याप्ति अभी 27 राज्यों में फैली है। इन सभी प्रदेशों में कार्यकारिणी तथा पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई है। सहकार आन्दोलन की निकोप वृद्धि, जोर-शोर से आन्दोलन का प्रसार, पूरे भारत में हर एक जिले में नागरी सहकारिताओं का गठन, स्वायत्त सहकारिता अधिनियम और वैद्यनाथन समिति द्वारा सूचित अहवाल को स्वीकृति तथा अमल यह सहकार भारती के उद्देश्य हैं।

सहकार भारती के रौप्य महोत्सव वर्ष के अवसर पर सन् 2003 में मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय महाअधिवेशन संपन्न हुआ। इस

1978 से महाराष्ट्र से प्रारंभ करते हुए सहकार भारती आज पूरे देशभर के सभी राज्यों में लगभग 450 जिलों में कार्य कर रही है। सभी राज्यों में जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है। विभिन्न प्रकार के सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत प्रकोष्ठों में सहकार भारती के कार्यकर्ता कार्यरत हैं।

सहकारिता आंदोलन में साख संस्था, बैंक, मत्स्य, गृहनिर्माण, चीनी, स्वयंसहायता गट, वस्त्रोद्योग, दुग्धोत्पादन के साथ साथ अभी स्वास्थ्य सेवाओं में भी सहकार भारती का कार्य शुरु है।

सहकार भारती के प्रणेता श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जी के जन्मशती समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सहकारिता आंदोलन में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का भी समावेश होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए सहकार भारती के कार्यकर्ता विभिन्न प्रकोष्ठों में कार्यरत है। मध्य प्रदेश में मीठी क्रांती का प्रयोग सहकार भारती द्वारा कार्यान्वित है।

में देश के विभिन्न प्रदेशों से आये 10,000 से भी अधिक संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सन 2006 में दूसरा अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ। यह अधिवेशन 'कार्यकर्ता अधिवेशन' के नाम से चर्चित हुआ। इस अधिवेशन में पूरे भारतवर्ष से 1200 से भी ज्यादा कार्यकर्ता उपस्थित थे। उद्घाटन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मा. शिवराजसिंह जी चौहान के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में अनेक गणमान्य नेताओं के साथ गुजरात के सहकारमंत्री मा. भूपेंद्रसिंह चूडासामा, खासदार सुरेश प्रभु उपस्थित थे। सहकार भारती का तीसरा अधिवेशन सन 2009 में भोपाल तथा सन् 2012 में बेंगलुरू में चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें 8000 से अधिक प्रतिनिधियोंने भाग लिया । अधिवेशन में सरसंघचालक पू. डा. मोहन भागवत जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस चौथे राष्ट्रीय अधिवेशन से ही श्रद्धेय लक्ष्मणराव जी इनामदार के नाम पुरस्कार वितरित करने की परम्परा शुरू हुई। प्रथम पुरस्कार असम के मा. दीपक बरठाकुर इन्हें प्राप्त हुआ। सन् 2015 में अहमदाबाद के पाँचवें राष्ट्रीय अधिवेशन में अमूल के अध्यक्ष मा. जेठाभाई पटेल इन्हें लक्ष्मणराव इनामदार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी अधिवेशन में ही केंद्रीय कृषि तथा सहकार मंत्री राधा मोहन सिंह जीने यह स्पष्ट किया गया कि सहकारिता का निजीकरण कदापि नहीं होने देंगे। इस अधिवेशन में सभी राज्यों में से सहकार भारती के 1800 कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। सन 2018 में पुष्कर (राजस्थान) में छटे राष्ट्रीय अधिवेशन में इफ्को के अध्यक्ष डा. उदय शंकर अवस्थी जीं को लक्ष्मणराव इनामदार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2021 का सातवाँ राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ (उत्तरप्रदेश) में हुआ। इस अधिवेशन में कॅम्को सहकारी संस्था (कर्नाटक) को लक्ष्मणराव इनामदार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस साल 6-7-8 दिसंबर को अमृतसर (पंजाब) मे होगा।

महाराष्ट्र प्रदेश में भी सहकार भारती के यशस्विता के साथ निम्नानुसार अधिवेशन संपन्न हुए। सांगली (1981), राहुरी (1984), नागपुर (1986), डोंबिवली (1990), पुणे (1994), जलगाँव (1997), पुणे (2000), आलंदी (2011), औरंगाबाद (2011), नाशिक (2014), मुंबई (2017), आलंदी (2021) तथा शिर्डी (2024)। सहकारिताओं के वर्गीकरणानुसार भी अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। आज प्रत्येक प्रदेश में प्रति तीन वर्षो में प्रदेश अधिवेशन एवं प्रदेश अभ्यास वर्ग संपन्न हो रहे हैं। इन अधिवेशनों का सहकारिताओं के व्यवहार कार्य में महत्त्वपूर्ण योगदान है। स्व. तात्या इनामदार जी का महाराष्ट्र प्रदेश सहकार भारती के कार्य में उल्लेखनीय योगदान रहा है। स्व. अण्णासाहब गोडबोले जी के अद्वितीय सहकार कार्य की याद में उन के परिजनों ने विशेष पूँजी प्रदान की है, जिस के माध्यम से स्व. गोडबोले जी के नाम पर कार्यकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस के तहत प्रथम पुरस्कार स्व. तात्या इनामदार जी को मरणोत्तर प्रदान किया गया। वसंतराव देवपुजारी, स्व. डा. अविनाश आचार्य, स्व. मधुकर कुलकर्णी, वसंतराव देवधर, हरीभाऊ बागडे तथा प्रकाशअण्णा आवाडे आदि गणमान्यों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

सहकार वर्ष के उपलक्ष्य में सन् 2012 में सहकार भारती ने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकार परिषद का आयोजन किया था। जिस में भारतवर्ष से 13 प्रदेशों के 1500 प्रतिनिधि उपस्थित थे। सहकार भारती के कार्यकर्ताओं के सहयोग से द. अफ्रीका में नामिबिया और बोत्सवाना यहां सहकारी बैंको की स्थापना की गई। सन् 2004 से सहकार भारती ने प्रशिक्षण योजना उपलब्ध कराई है। सहकार भारती के इस कार्य की सराहना करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सहकार भारती को प्रशिक्षण शिखर संस्था का दर्जा प्रदान किया है। 2010 में छत्तीसगढ़ के भिलाई में अ. भा. महिला संमेलन का आयोजन किया गया। जिसमें देशभर से 3000 महिलाओ नें भाग लिया। इस महिला सम्मेलन को मार्गदर्शन करते हुए मा. भैयाजी जोशी रा. स्व. संघ के सरकार्यवाह जी ने कहा कि जब भी भारत के इतिहास का पूर्णलेखन होगा, तब इस महिला सम्मेलन का जिक्र किये बिना इतिहास पूरा नहीं होगा।

सहकार भारती के आवाहन को प्रतिसाद देते हुए स्व. लक्ष्मणराव इनामदार जन्मशती वर्ष के अवसर पर पूरे भारत देश से 25 पूर्णकालीन कार्यकर्ता सहकार भारती का कार्य कर रहे हैं। आशा है, और 25 कार्यकर्ता इस कार्य में शामिल होंगे।

जागतिकीकरण तथा उदारीकरण के इस नवयुग में अर्थव्यवस्था में केवल सहकारिता ही एकमेव पर्याय है। खुली अर्थव्यवस्था में सहकारिता एक समर्थ पर्याय है। इसकी पुनर्रचना करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सहकारिता आन्दोलन की कार्य व्याप्ति बढ़ाना, सहकारिताओं को सक्षम बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का एक साथ होना जरूरी है। इन उद्देश्यों के लिए ही सहकार भारती निरंतर कार्य कर रही है। आवश्यकता है, 'बिना संस्कार नहीं सहकार' इस ध्येय से प्रेरित होकर आन्दोलन में सक्रिय योगदान की।

भालचंद्र कुलकर्णी
संपादक - सहकार सुगंध
अ. भा. प्रकाशन प्रमुख, सहकार भारती
भ्रमणध्वनि : 9822882509

***

ghH$m{aVm H$r n{a^mfm

सह+कार शब्दों से बना है। सहकारिता का अर्थ है मिल जुलकर काम करना। मनुष्य मनुष्य से सहयोग करता है। सहयोग से ही सामाजिक जीवन संभव हो सका है। सृष्टि के आदिकाल से सहकारिता का प्रारम्भ माना जाता है। जब से मनुष्य ने समूह बनाकर रहना प्रारम्भ किया उस समय से ही सहकारिता का प्रारम्भ माना जा सकता है। हमारी सम्मिलित कुटुम्ब व्यवस्था सहकारिता का एक अच्छा उदाहरण है। जब हम सहकारिता की बात करते है, तब हमारा उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में सहयोगी आचरण करना होता है। हमारी सभी आवश्यक वस्तुयें सहयोग द्वारा ही जुटाई जाती है। आज के युग में कोई भी काम सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता है। हमारी प्रगति आपसी सहयोग पर निर्भर हैं। हम साथियों की मदद लेते है और उनकी मदद करते भी है।

सहयोगी जीवन द्वारा ही हम बड़े-बड़े कार्य पूरा कर सकते है। दूसरों पर निर्भर करने से 'पारस्परिक सहयोग' एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत होती है। सहयोग का क्षेत्र विशाल एवं विस्तृत है, परन्तु सहकारिता से हमारा तात्पर्य आर्थिक क्षेत्र में सहकारिता से है। खेल-कूद के मनोरंजन गृह, सहकारी संस्थायें नहीं है क्योंकि उनके द्वारा आर्थिक कार्य संपन्न नहीं होते।

सहकारिता एक विशेष प्रकार का संगठन है, जो अन्य प्रकार की व्यापारिक संस्थाओं से भी भिन्न है। आप अपने आस-पास व्यक्तिगत व्यवसायी, साझेदार व्यापार, संयुक्त पूंजी से बनी कम्पनियाँ इत्यादि को देखते हैं, जो बड़े-बड़े व्यापार-व्यवसाय करती है, लाभ का अधिकांश भाग उन लोगों को प्राप्त होता है, जो उसमें पूंजी लगाते हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि लाभ में वास्तविक हिस्सेदार कौन है? पूंजी का न्यायोचित भाग क्या है? उत्पादन के लिए श्रम, मेहनत करने वालों को लाभ का कितना हिस्सा मिलना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर विभिन्न विचारकों एवं अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग दिये हैं। उनके दूसरे सिद्धान्त और कार्यप्रणाली केवल लाभ के बंटवारे के सिद्धान्त को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में सहायता करते हैं। वही हमें पूंजीवाद, समाजवाद व अन्य वादों के आंतरिक रूप को दर्शाते है।

सहकारिता का जन्म भी लाभ के वितरण में विषमताओं के कारण ही हुआ। पूंजीवादी व्यक्तियों एवं संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य केवल पूंजी के बल पर अधिक से अधिक लाभ कमाना था, फलत: सामान्य स्थिति में व्यक्तियों की आर्थिक दशा गिरती गई और वे एक ऐसी स्थिति में पहुँच गये, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे संगठित हो एवं पूंजी का सेवक के रूप में उपयोग कर अपनी बिगड़ी आर्थिक परिस्थितियों पर काबू पाकर, जीवन को उच्चतर बना सकें।

इस प्रकार सहकारिता एक नई आर्थिक विचारधारा के रूप में शोषित वर्ग के सामने आई। पिछली सदी में पश्चिमी देशों में कई सहकारी संगठन बने और बिगड़े। इन पिछले अनुभवों से सहकारी संगठन को अच्छे से अच्छा बनाने के तरीके मालूम हुए और संगठन का एक आदर्श उदाहरण सामने आया।

सहकारी संगठनों की सफलता का रहस्य सहकारिता के सिद्धान्तों और उसी कार्यप्रणाली में है, जो व्यवहारिकता लिये हुये हैं।

सहकारिता की परिभाषा – सहकारिता या सहकारी समिति- (1) आर्थिक उद्देश्य से (2) स्वेच्छा से एकत्रित हुए लोगों की (3) एक स्वायत्त संस्था है। इस संस्था को इसके सदस्य (4) लोकतान्त्रिक प्रणाली से चलाते हैं एवं सभी सदस्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किये जाने वाले आर्थिक उद्यम से (5) अपना आर्थिक सहभाग हिस्सा ैंतम के द्वारा करते है। किये गये उद्यम से (6) वर्ष में प्राप्त लाभ का कुछ अंश, लाभांश या डिविडेंड, सदस्यों में उनकी हिस्सापूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। बाकी लाभ पुन: उसी आर्थिक उद्यम में लगा दिया जाता है। कारण कि वह आर्थिक उद्यम चलाने वाले संचालक लोग सामाजिक दायित्व बोध से काम करने वाले सेवाभावी व्यक्ति होने चाहिये। सहकारिता की परिभाषा भिन्न-भिन्न विचारकों, लेखकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है:-

पूज्य महात्मा गाँधी जी ने कहा – "The Co-operative is an

extension of Family Inspiration."

स्व. डॉ. धनंजय राव गाडगिल – ''मनुष्य के पास अनेक शस्त्र एवं शास्त्र होते है। यदि निष्ठा, विश्वास और गरीबों के लिए मन में दया भाव हो तो सेवा के लिए अनेक क्षेत्रों के साथ सहकार क्षेत्र सशक्त माध्यम है।''

Dr. V. Kurian - "Mutual help and reciprocity, combined with a plurality of local institutions, hold the key to making India a truly great nation."

सर हॉरेस प्लकेट ने कहा –

''संगठन द्वारा आत्म-निर्भरता को सार्थक बनाना सहकारिता है।''

सहकारिता की व्याख्या – ''सहकारिता निर्बल व्यक्तियों का सामूहिक रूप से व्यापार करने के लिए एक संगठन है, जिनका कार्य हमेशा नि:स्वार्थ भावना से इस प्रकार चलाया जाता है कि जो भी व्यक्ति उसके सदस्य बनना स्वीकार करते हैं वे उस मान से लाभ का हिस्सा पा सकते हैं, जिस मान से उन्होंने स्वयं भाग लिया हो।''

सहकारिता के प्रसिद्ध इतिहासकार श्रीमान होलीओक की व्याख्या और अधिक स्पष्ट है –

''सहकारिता आन्दोलन किसी मनुष्य की संपत्ति से कोई द्वेष नहीं रखता, लूट का माल नहीं चाहता, किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहता, किसी शासन प्रबंध को उलटना नहीं चाहता, उसे किसी ऊँचे पद से जलन नहीं होती, वह किसी से किसी प्रकार की रियायत नहीं चाहता, वह आलसी व्यक्तियों से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहता, और जो मेहनत करते हैं, उनके साथ विश्वासघात नहीं करता।''

''सहकारिता एक प्रकार का संगठन है, जिसमें व्यक्ति, मनुष्य के नाते और समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के साधन हेतु स्वेच्छा से शामिल होते है।'' सहकारिता का मुख्य उद्देश्य केवल यही नहीं कि वर्तमान स्थिति को सुखदायक बनाये। इसका उद्देश्य यह भी है कि भविष्य के लिये संतोषजनक प्रबन्ध करें। जो लोग अपने और अपने परिवार के भविष्य का संतोषजनक प्रबन्ध नहीं करते वे केवल पराधीन ही नहीं कहलाते बल्कि उन्हें समाज में भी अपमानित होना पड़ता है। सहकारिता जीवन पद्धति है। जीवन की एक प्रणाली है। बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के **(अगले पन्ने पर...)**

ghH$m{aVm H$ {gÕmÝV

सहकारिता के सिद्धान्त ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं, जिनके द्वारा सहकारी संस्थाएं अपने मूल्यों को व्यवहार में लाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा वर्ष 1995 में सहकारिता के सिद्धान्त स्वीकृत किये गये। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की अनुसूची-क में सहकारिता के सिद्धान्तों को सम्मिलित किया जाकर सिद्धान्तों की वैधानिकता को स्वीकार किया गया है।

(1) **स्वैच्छिक और खुली सदस्यता :** सहकारी संस्थाएँ ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो इनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ और सदस्यता के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने की इच्छुक सभी व्यक्तियों के लिए लैंगिक, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना खुले है।

(2) **सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण :** सहकारी संस्थाएँ अपने ऐसे सदस्यों के द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन है जो उनकी नीतियाँ बनाने और विनिश्चय करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने वाले पुरूष और महिला सदस्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक सहकारी संस्थाओं में सदस्यों का समान मत (एक सदस्य, एक मत) देने के अधिकार प्राप्त होते हैं और अन्य स्तर पर भी सहकारी संस्थाएँ लोकतांत्रिक रीति से संगठित की जाती हैं।

(3) **सदस्यों की आर्थिक सहभागिता** : सदस्य, अपनी सहकारी संस्था की पूँजी में अभिदाय करते हैं, और उस पर लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण करते है। उस पूँजी का न्यूनतम भाग प्राय: सहकारी संस्थाओं की सामान्य सम्पत्ति है। सदस्य, सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूँजी पर प्राय: सीमित प्रतिकर, यदि कोई हो, प्राप्त करते हैं। सदस्य, निम्नलिखित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए अधिशेष आवण्टित करते है:-

अपनी सहकारी संस्था का यथासम्भव ऐसी आरक्षिती स्थापित करके जिसका कम से कम एक भाग अविभाज्य होगा, विकास करना, सदस्यों को सहकारी संस्था के साथ उनके संव्यवहारों के अनुपात में फायदा पहुँचाना, और सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलापों का समर्थन करना।

(4) **स्वायत्तता और स्वतंत्रता :** सहकारी संस्थाएँ अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वायत्त, स्वसाहाय्य संगठन हैं। यदि वे सरकारों सहित अन्य संगठनों के साथ करार करती हैं या, बाह्य स्रोतों से पूँजी जुटाती हें तो वे ऐसा उन निबंधनों पर करती हैं जो उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण को सुनिश्चित करे और उनकी सहकारी स्वायत्तता को बनाये रखें।

(5) **शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना :** सहकारी संस्थाएँ अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं जिससे वे अपनी सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए प्रभावी रूप से सहयोग कर सकें। वे सहकारिता के स्वरूप और फायदों के बारे में जनसाधारण, विशेष रूप से युवाओं और मतनायकों को सूचित करती हैं।

(6) **सहकारी संस्थाओं के मध्य सहकारिता :** सहकारी संस्थाएँ अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के पोषनीय विकास के लिए कार्य करती हैं।

(7) **समुदाय के प्रति निष्ठा :** सहकारी संस्थाएँ अपने सदस्यों द्वारा स्वीकृत नीतियों के माध्यम से समाज के हितार्थ समुचित विकास का कार्य करती हैं, ये समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उत्सुक और चिंतित रहती है।

इनमें प्रथम तीन सिद्धान्त मूल रूप से आन्तरिक गतिशीलता से सम्बन्धित है जो किसी सहकारी समिति की अपनी विशेषता होती है, अंतिम चार सिद्धान्त सहकारी समितियों के आन्तरिक प्रचालन और बाह्य सम्बन्धो दोनों को प्रभावित करते हैं।

***

---

ghH$m{aVm H$r n{a^mfm

(पन्ना क्र. 44 से...) लिए साधनों और बुद्धि का संगठित होकर उपयोग करना सहकारिता है।

सहकारिता वह संयुक्त शक्ति है जिसके द्वारा लोग समता और मानवता के नाते स्वेच्छा से संस्था में भर्ती होकर सहकारी विधान के संरक्षण में सच्चाई, ईमानदारी और मितव्ययता के साथ अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति करते हैं। 'कि बहुना' सहकारिता उन्नति का मूल मंत्र है। वस्तुत: सहकारिता सहिष्णुता, परिश्रम और पंचशील की जननी और संयम, उल्लास एवं उत्थान की लावण्यमयी भगिनी है।

सहकारिता संगठन वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक समानता के आधार पर मानव की हैसियत से अपने आर्थिक हितों की वृद्धि हेतु संगठित होते है। सहकारी समिति व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतंत्रीय आधार पर नियंत्रित उद्यम के जरिये अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होती है।

सहकारी समिति से हमें निम्नलिखित विषय में जानकारी प्राप्त होती है -

सहकारी समिति व्यक्तियों की संस्था है।

✲ व्यक्ति समानता के आधार पर इस संस्था में शामिल होते हैं।

✲ सहकारी समिति का उद्देश्य होता है, मिलकर सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यवसाय करना, तथा अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुधारना।

✲ इस कार्य से जो लाभ हो उसका बँटवारा सदस्यों में आपस में करना।

✲ समुदाय के प्रति निष्ठा।

मूल्य - सहकारी समितियाँ स्वावलम्बन, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, साम्यता और एकता के मूल्यों पर आधारित होती है। अपने संस्थापकों की परम्परा के अनुसार सहकारी समितियों के सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा दूसरे लोगों के हित-चिंतन जैसे नैतिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं।

***

ghH$ma JrV

समाज के आराध्य हमारा, सेवा है आराधना।
भारत माता के वैभव हित, सहकारिता की साधना।।
सहकारिता की साधना।।धृ.।।
समाज से ही संस्कृति की यह, श्रेष्ठ धरोहर हमें मिली।
धन सामर्थ्य, ज्ञान की पूंजी, समाज से ही हमें मिली।
यह समाज ऋण पूर्ण चुकाने, जो पाया जो बांटना ।।1।।
भारत माता के वैभव हित, सहकारिता की साधना।
सहकारिता की साधना ।।धृ.।।
समान अवसर मिलें सभी को, कोई भी न उपेक्षित हो।
सभी स्वस्थ शिक्षित संस्कारित, समर्थ और सुरक्षित हों।
दया नहीं उपकार नहीं यह, अपनेपन की भावना ।।2।।
भारत माता के वैभव हित, सहकारिता की साधना।
सहकारिता की साधना ।।धृ.।।
भाषा, प्रान्त, जात जो भी हो, भारत माँ के पुत्र सभी।
ग्राम, नगर, वनवासी, गिरिजन, अपने तो हैं बन्धु सभी।
जनता के सुख में ही तो है, समाज सुख की धारणा।।3।।
भारत माता के वैभव हित, सहकारिता की साधना।
सहकारिता की साधना ।।धृ.।।

"ghH$ma j oÌ H$m OJ^a {dñVma hmZm Amdí`H$' am. ñd. gK gaH$m`dmh XÎmmÌ¶ hmg~mb

A_Vga - amîQ´r¶ ñd¶gdH$ gK H$ gaH$m¶dmh XÎmmÌ¶ hmg~mb Z Anem ì¶º$ H$s h {H$ ghH$m[aVm H$m joÌ H$db ^maV VH$ gr{_V Z ahH$a na {díd _ì¶mnH$ ñVa na {dñVm[aV hmZm Mm{hE& dh ghH$ma ^maVr H$ VrZ {Xdgr¶ AmR>d amîQ´r¶ A{YdeZ H$ CÓmQZ Adga na ~mb ah W& CÓmQZ gÌ g nhb ghH$ma ^maVr H$ amîQ´r¶ AÜ¶j XrZmZmW RmH$a Ûmam ¶hm abd JmCS> na ÜdOmamhU {H$¶m J¶m& Bg Adga na amîQ´r¶ _hmg{Md Sm. CX¶ Omer g{hV AÝ¶ nXm{YH$mar d H$m¶H$Vm CnpñWV W& Xe H$ {d{^Þ amÁ¶m g 2,500 g A{YH$ à{V{Z{Y¶m Z gå_bZ _ ^mJ {b¶m& Bg A{YdeZ _ ghH$ma ^maVr H$ Z¶ nXm{YH$m[a¶m H$m gdgå_{V g MZmd {H$¶m J¶m&

* ñdVÌVm AmXmbZ H$ g_¶ g hr ghH$mar joÌ H$s ^{_H$m _hËdnU ahr h:-

CÝhmZ H$hm {H$ Xe H$ ñdVÌVm AmXmbZ H$ g_¶ g hr ghH$mar joÌ H$s ^{_H$m _hËdnU ahr h& CÝhmZ H$hm, ""Bg AmXmbZ H$m na {díd _ \$bmZ H$ {bE h_ g^r H$m EH$OQ> hmH$a à¶mg H$aZ H$s Oêa$V h&"" h_mar Am{WH$ {dH$mg à{H$¶m VOr g AmJ ~T> ahr h& VWm{n, ¶h Ü¶mZ aIZm _hËdnU h {H$ gm_m{OH$ {dH$mg H$s J{V An{jV Xa g Zht ~T> ahr h& BgH$ {bE Xe _ gm_m{OH$ {dH$mg H$ {bE ~Xbmd H$s àd{Î`m nXm H$aZ H$s Oêa$V h&

* gm_m{OH$ gdXZerbVm H$_ hmVr {XI ahr h:-

ghH$mar joÌ H$ _hËd H$m g_PmV hE CÝhmZ H$hm, ""ghH$m[aVm AmXmbZ H$m B{Vhmg H$m\$s namZm h&"" gh¶mJ H$m AW h AÀN> n[adma, AÀN> bmJ Ama AÀN> amîQ> H$m {Z_mU H$aZm& {Og_ EH$ Xga H$ à{V ghmZ^{V hm& hmbm{H$, hmb H$ {XZm _ EH$-Xga H$ à{V gm_m{OH$ gdXZerbVm H$_ hmVr {XI ahr h& Bg na J^raVm g {dMma H$aZ H$s Oêa$V h& Xgam _hËdnU nhb ¶h h {H$ AmO H$ g_¶ _ gh¶mJ _ gh¶mJ H$s Amdí¶H$Vm h& BgH$m H$maU ¶h h {H$ O~ {H$gmZ IV _ AZmO CJmVm h Vm Cg H$B AbJ-AbJ gm_J«¶m H$s Amdí¶H$Vm hmVr h& \$gb CËnmXZ {g\$ EH$ ì¶{º$ H$m _m_bm Zht h, ~pëH$ ¶h Amngr gh¶mJ H$m _m_bm h& CÝhmZ H$hm {H$ Bg nam H$aZ H$m AW h gh¶mJ H$ {dMma H$ gmW gm_Oñ¶ ñWm{nV H$aZm&

* ghH$ma ^maVr ghH$m[aVm joÌ H$ H$m¶m _ AJUr:-

nOm~ H$ amÁ¶nmb Jbm~ MÝX H$Q>m[a¶m Z H$hm {H$ ghH$ma ^maVr Xe ^a _ ghH$mar joÌ H$s J{V{d{Y¶m _ g~g AmJ h& ghH$ma ^maVr Bg AmYma na H$m_ H$a ahr h {H$ Bg joÌ _ H$m_ H$aZ dmbm ha H$m¶H$Vm gñH$madmZ hm, V^r Xe H$m gdmJrU {dH$mg hmJm& ghH$mar joÌ Xe H$s Jm_rU AWì¶dñWm H$m à_I AmYma h& Bg {dMma H$m Ü¶mZ _ aIV hE, bú_Uam BZm_Xma Z ghH$ma ^maVr H$s ñWmnZm H$s h& {OZ amÁ¶m _ gh¶mJ H$ {dMma Z OS> O_m br h Ama VXZgma Cg {H$¶mpÝdV {H$¶m J¶m h, d àJ{V H$ nW na h&

* gñH$ma H$m àmW{_H$Vm XZ H$s Oêa$V:-

VËH$mbrZ amîQ´r¶ AÜ¶j RmH$aOr Z n[aM¶ {X¶m& CÝhmZ H$hm, ""¶{X gh¶mJ _ gñH${V Zht hmJr Vm Bgg ñdmW H$m ~T>mdm {_bJm, Bg{bE gñH${V H$m àmW{_H$Vm Xr OmZr Mm{hE&"" Bg Adga na B\$H$m H$ E_Sr Sm. CX¶eH$a AdñWr, amîQ´r¶ _hmg{Md Sm. Omer, ñdmJV g{_{V H$ AÜ¶j BÐOrV qgh Ama nOm~ _hmg{Md aqdXa qgh CnpñWV W& nOm~ ghH$ma ^maVr àXe AÜ¶j ~bam_ ~mdm Z YÝ¶dmX àñVmd àñVV {H$¶m& A_Vga A{YdeZ _ Xe H$ {d{^Þ amÁ¶m g ghH$ma ^maVr H$ nXm{YH$mar Ama H$m¶H$Vm CnpñWV W&

ghH$ma ^maVr amï>r` AÜ`j nX na S>m. CX`Oner, amï>r` ‘hm‘§Ìr nX na XrnH$ Mma{g`m {Z¶wº$

A_Vga (nOm~) - S>m. CX¶ Oner Or H$m ghH$ma ^maVr H$m amîQ´r¶ AÜ¶j {Z¶wº$ {H$¶m J¶m h¡ ¶hm AmR>dm amîQ´r¶ A{YdeZ _| XrnH$ Mma{g¶m H$m gdgå_{V g amîQ´r¶ _hm‘{Md MZm J¶m& ghH$ma ^maVr H$ ga j H$ a_e dÚ Z MZmd {ZU¶ A{YH$mar H$ ê$n _| H$m_ {H$¶m&

¶h MZmd AJb VrZ dfm H$ {bE h& Bgg nhb, S>m. CX¶ Oner 2015 g amîQ´r¶ _hm_§Ìr H$ nX na H$m¶aV W, O~{H$ Mma{g¶m amîQ´r¶ _§Ìr H$ nX na H$m¶aV W& ghH$ma ^maVr 1978 g ghH$mar AmXmbZ _| "{~Zm ghH$ma H$ {~Zm, ghH$m[aVm Zht' H$ AmXe dm³¶ H$ gmW H$m_ H$a ahr h& ghH$ma ^maVr A{ I b ^maVr¶ ñVa na 28 amÁ¶m| _| {ZaVa H$m_ H$a ahr h& AmR>d| A{YdeZ H$ {bE ~ZmE JE _hmamOm aUOrV qgh hm b _| na ^maV g 2,500 g A{YH$ H$m¶H$Vm Ama nXm{YH$mar CnpñWV W&

gå_bZ _| {XdJV bú_Uamd BZm_Xma ñ_{V nañH$ma g gå_m{ZV JOamV {dYmZg^m H$ AÜ¶j eH$a MmYar Ama VbJmZm _| _bH$Za Jm_rU F$U gmgm¶Qr Ama _mH$qQ>J gmgm¶Qr H$m AÞmgmh~ JmS~mb _m[a¶b nañH$ma nOm~ H$ amÁ¶nmb Jbm~MX H$Qm[a¶m Ûmam àXmZ {H$E JE& BgH$ gmW hr B\$H$m H$ à~Y {ZXeH$ CX¶ eH$a AdñWr H$m "\${Q>bmBOa _Z Am\$ B{S>¶m' H$ {def nañH$ma g gå_m{ZV {H$¶m J¶m& _»¶ ^mfU amîQ´r¶ ñd¶gdH$ gK H$ gaH$m¶dmh X§mmÌ¶ hmg~mb Z {X¶m&

amï>r` AÜ`j
S>m. CX` Oner

amï>r` ‘hm‘§Ìr
XrnH$ Mma{g`m

B’Hm H$ E‘S>r CX¶eH$a AdñWr Ot H$m ‘mZnÌ àXmZ, A{YdeZ H$s Pb{H$¶m

ghH$ma j oÌ H$ CÞVr H$ {bE g~H$m gmW hm H$a H$m¶ H$aZm Oê$ar JOamV {dYmZg^m AÜ`j eH$a^mB MmYar

A‘Vga - "{~Zm gñH$ma, Zhr ghH$ma, {~Zm ghH$ma, Zhr CÕma' ¶h EH$ eãX Zht ~pëH$ EH$ _ì h Ama h_ g~ {_bH$a Bg _ì H$m ì¶dhma _ bmJ H$aZ H$m H$m_ H$aJ& JOamV {dYmZg^m H$ AÜ¶j eH$a^mB MmYar Z H$hm {H$ Bg jì _ H$m_ H$aZ dmbm H$mB ^r ì¶{º$ nrN>Z NQ>& eH$a^mB MmYar H$m ghH$ma ^maVr H$ gñWmnH$ ñd. bú_Uamd BZm_Xma nañH$ma àXmZ {H$¶m J¶m& gå_bZ H$ CÔmQ>Z H$ ~mX nhb gì _ nañH$ma g_mamh Am¶m{OV {H$¶m J¶m& ghH$ma ^maVr H$ amîQ>r¶ AÜ¶j XrZmZmW RmH$a _M na CnpñWV W& CÝhmZ H$hm {H$ ¶h nañH$ma CÝh ^{dî¶ _ Ama A{YH$ H$m¶ H$aZ H$ {bE à[aV H$aJm& AmO _a {bE Ier Ama AmZX H$m {XZ h& EH$ Vah g _ Bg AnZ H$m_ H$ {bE gå_mZ _mZVm h Ama Bgg _P ZB àaUm {_bJr& VËH$mbrZ amîQ>r¶ AÜ¶j XrZmZmW RmH$a Z H$hm {H$ ¶h A_Vga _ ghH$ma ^maVr H$m nhbm A{YdeZ Wm& Bgg _Z _ gdm H$s gH$ënZm Ama H$m¶ H$m ZB VmH$V {_bJr& ghH$m[aVm _Ìmb¶ H$s ñWmnZm 2021 _ H$s JB Wr& n[aUm_ñdê$n, Xe _ ghH$mar jì H$m Z¶m OrdZ {_bm h& Bg_ g~g ~Sm ¶mJXmZ ghH$ma ^maVr H$m h& ghH$m[aVm _Ìmb¶ H$m bú¶ gdmJrU {dH$mg h& CÝhmZ H$hm {H$ VrZ {Xdgr¶ gì _ ghH$ma ^maVr H$s AJbr VrZ dfm H$s ¶mOZmAm na {dñVma g MMm H$s OmEJr& VËH$mbrZ amîQ>r¶ _hmg{Md Sm. Oner Z ghH$ma ^maVr H$ {nN>b VrZ dfm H$ H$m¶m H$s {dñVV OmZH$mar Xr& CÝhmZ Bg ~mV na ^r àgÞVm ì¶º$ H$s {H$ ¶h gå_bZ Bg n{dì ^{_ na Am¶m{OV {H$¶m Om ahm h& ghH$ma ^maVr Ûmam Am¶m{OV Bg àXeZr H$m CÔmQ>Z amîQ>r¶ ñd¶gdH$ gK H$ amîQ>r¶ gh-àMma à_I àXrn Oner Or Z {H$¶m& Bg Adga na Xe H$ nd amOXV VaZOrV qgh ^r CnpñWV W&

JmS>~mb nañH$ma àXmZ g‘mamh

AÞgmh~ JmS>~mb ñ‘Vr nañH$ma ‘ëH$Za H$m-Am°n. gmgm`Qr H$m àXmZ

A_Vga - ghH$ma ^maVr Ûmam Bg df eê$ {H$¶m J¶m _hmXd h[a VWm AÞgmh~ JmS>~mb ñ_{V nañH$ma "‘bH$Za ghH$mar g{_{V' H$m {X¶m Om ahm h& gå_bZ H$ Xga {XZ gì H$ XmamZ gmgm¶Qr H$m nañH$V {H$¶m J¶m& gmgm¶Qr H$ AÜ¶j àdrU aÊr Z B\$H$m H$ E_. Sr& CX¶eH$a AdñWr Ûmam àá {H$¶m J¶m& Bg gì _ B\$H$m H$ {dnUZ {ZXeH$ ¶mJÝÐ H$_ma Z AnZ {dMma ì¶º$ {H$E& Bg gì _ àH$me nmRH$ Z ghH$ma ^maVr H$m¶H$VmAm H$s H$m¶ nÕ{V Ed {dH$mg H$ ~ma _ {dñVV OmZH$mar Xr& Bg A{YdeZ _ VËH$mbrZ _hmg{Md Sm. Oner Ûmam àñVV {d{^Þ _Ôm na àñVmd gdgå_{V g nm[aV {H$¶ J¶&

ghH$ma j oÌ H$ à^mdr ‘mÜ`‘ g ^maV H$m {dœJéê$ ~Zm gH$V h H$Ðr¶ ‘ÌrÌ {ZVrZ JS>H$ar

A_Vga - g^r H$ gm_{hH$ à¶mgm g VWm gmW hr ghH$m[aVm j oÌ H$ à^mdr _mÜ¶_ g h_ ^maV H$m {dídJé ~Zm gH$V h& H$Ðr¶ gS>H$ Ed amO_mJ _ÌrÌ {Z{VZ JS>H$ar Z ¶h H$hm {H$ ghH$ma ^maVr H$m _»¶ bú¶ g_mO H$ g^r dJm H$ gmW H$m_ H$aZm h& dh ghH$ma ^maVr H$ VrZ {Xdgr¶ amîQ´>r¶ A{YdeZ H$ g_mnZ g_mah _ ~mb ah W& Bg Adga na CZH$ Ûmam ghH$ma ^maVr H$s {def ñ_m[aH$m H$m {d_mMZ {H$¶m J¶m& gmW hr, ghH$ma ^maVr H$ SQm gJh nmQ>b H$m AZmdaU VËH$mbrZ amîQ´>r¶ AÜ¶j XrZmZmW RmH$a Ûmam {H$¶m J¶m&

* ghH$m[aVm H$s ^mdZm g H$m¶ H$a ahr h ghH$mar g{_{V¶m:-

_M na Zd{Zdm{MV amîQ´>r¶ AÜ¶j Sm. Omer, amîQ´>r¶ gJR>Z _ÌrÌ gO¶ nmMnma g{hV AÝ¶ nXm{YH$mar CnpñWV W& JS>H$ar Or Z H$hm, "_ Bg gå_bZ _ ^mJ bH$a {def ên g àgÞ h&"" BgH$m H$maU ¶h h {H$ dh H$B df m g ghH$mar j oÌ _ H$m_ H$a ah h Ama ghH$ma ^maVr g OS> hE h& _am ÑT> {dídmg h {H$ g_mO H$ Jar~ AWdm em{fV dJ H$m {dH$mg ghH$mar j oÌ H$ _mÜ¶_ g hm ahm h& h_mam Xe gXd I{e¶m Ama g_{Õ g ^am ah, ¶hr ghH$ma ^maVr H$m Zmam h& ¶h XIZm {ZpíMV ên g gIX h {H$ AZH$ ghH$mar gJR>Z ghH$m[aVm H$ _mÜ¶_ g g_mO H$s àJ{V H$ {bE H$m_ H$a ah h& b{H$Z Bg H$m_ H$m H$aV g_¶ {dídmg H$m _hËd ~Zm ahZm Mm{hE& Bgr àH$ma, {d{^Þ à¶mJ H$aZ H$s ^r Amdí¶H$Vm h& h_ g^r Bg Xe H$m AmË_{Z^a ~ZmZm MmhV h& Bg_ ghH$mar j oÌ H$m ¶mJXmZ _hËdnU hmJm&

* H${f j oÌ H$ {dH$mg na Ona Oê$ar:-

CÝhmZ H$hm {H$ ¶{X Xe H$ {H$gmZ Ama H${f j oÌ g_Õ hmJ Vm Xe ñdV… hr g_Õ hm OmEJm& CÝhmZ H$hm {H$ Xe H$ Jmdm H$ {dH$mg H$ gmW-gmW H${f j oÌ H$m ^r ~S> n_mZ na {dH$mg {H$¶m OmZm Mm{hE& Xe H$s {dH$mg à{H$¶m _ H${f Ed g~{YV CÚmJm H$s d{Õ _ 12 g 14 à{VeV H$m ¶mJXmZ h, O~{H$ {d{Z_mU j oÌ H$s d{Õ _ 22 g 24 à{VeV VWm ef 52 g 54 à{VeV ¶mJXmZ gdm j oÌ H$m h& CÝhmZ H$hm {H$ Xe H$s AW춸dñWm H$m Ama A{YH$ H$eb ~ZmZ H$ {bE Xe H$ ha Jmd, Jar~ dJ, {H$gmZ Ama _OXa dJ H$m _O~V {H$¶m OmZm Mm{hE&

* Amngr gh¶mJ H$s ^mdZm nXm H$aZm Oê$ar - XrZmZW RmH$a

nd AÜ¶j XrZmZmW RmH$aOr Z AnZ {dMma ì¶º$ H$aV hE H$hm {H$ ¶{X nañna gh¶mJ H$s ^mdZm _Z _ Ka H$a OmE Vm Bgg gdmJrU {dH$mg hmVm h& hmbm{H$, ¶h Am{WH$ ¶m amOZr{VH$ _hËdmH$m j mAm H$s n{V H$m gmYZ Zht h, ~pëH$ gm_m{OH$ gØmd ~ZmZ H$m EH$ à^mdr gmYZ h& EH$ Vah g ¶h gm_m{OH$ àJ{V H$s CnbpãY h& hmbm{H$, H$N> ghH$mar g{_{V¶m AnZ _b {dMma g Xa Om ahr h& gh¶mJ H$s gñH${V H$ {~Zm Xe A{YH$ gj_ Zht ~ZJm& hmbm{H$, ghH$ma ^maVr hr EH$_mÌ Egm gJR>Z h Om ghH$mar j oÌ H$m ZB {Xem X gH$Vm h&

* gJR>ZmË_H$ ge{ºHaU Amdí¶H$ h - gO¶ nmMnma

Bg Adga na amîQ´>r¶ gJR>Z _ÌrÌ gO¶ Or nmMnma Z CnpñWV bmJm H$m _mJXeZ {H$¶m VWm gJR>Z H$m Ama A{YH$ à^mdr H$g ~Zm¶m Om gH$Vm h, Bg na {dñVV OmZH$mar Xr& Bg A{YdeZ _ AmJm_r VrZ df m H$ {bE ghH$ma ^maVr H$s ZB H$m¶H$m[aUr H$s KmfUm H$s JB& ghH$ma ^maVr H$ gaj H$ a_e dÚ Z MZmd {ZU¶ A{YH$mar H$ ên _ H$m_ {H$¶m& nOm~ ghH$ma ^maVr H$ d[að H$m¶H$Vm ApídZr _ëhmÌm Z Am^ma ì¶º$ {H$¶m&

Bg A{YdeZ H$s ghH$ma gJY H$s ñ‘m[aH$m H$m {d‘mMZ ‘ÌrOr JS>H$ar Or Z {H$¶m&

Sahakar Bharati 8th National Convention

7-8-9 December 2024, Amrutsar

सहकार भारती राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित हुए प्रस्ताव

Resolution No. 1

Today India has emerged on the global scene as a major Economic powerhouse. All Sectors of the economy viz Manufacturing, Services and Agriculture are consistently showing robust growth while increasingly adopting innovative practices & technology. As India, readies itself to be the third largest economy in the next few years, even as the surroundings are full of geo-political conflicts, wars, slow down in global trade and visible negative impacts of climate change.

In Spite of the overall robust growth, much remains to be done for the marginalised segments of our society. Liberalisation and reforms process have only benefited the Private Sector, Multinational/ Foreign Companies and some units in the Public sector. Yet, the Country's per capita income remains low and it may take years before the same rises substantially comparable with the developed countries even though 25 crores of our population has come out of poverty in the last 10 years. Urban unemployment rate is down to %6 - lowest in several years. Yet there are crores, struggling to make both their ends meet.

It is estimated that about 65 crores of our countrymen still do not have access to the formal financial ecosystem. These and such marginalised segments of our Society need to be empowered and uplifted economically and socially to achieve Inclusive, Equitable Sustained growth. It must be noted that Co Ops can play a crucial role in promoting higher income levels and direct and indirect employment.

The reach of the Cooperatives is significant as it covers over %75 of our rural households and almost all villages and hamlets in all the 750 Districts of our Country. It is the considered opinion of Sahakar Bharati that all Government - States and Union should rewrite/ substantially amend the Co Operative Legislations with focus on Growth and Development, rather than Regulation and Control. Needless to say, Prudential Regulation and robust Supervision of the Sector is not only desirable but necessary to achieve larger Public Good.

The Laws should be modernised, keeping in view the current Economic Scenario and Technology Advancement in the Country. Guiding Principles for enactment of Legislations, were enunciated a few decades ago, at the Conclave held at Ulan Bator, Mongolia, should be quickly operationalised to create an enabling Ecosystem to achieve robust growth. The evolving ecosystem as visualised in the Constitution, should enable Co Operatives to raise Resources, adopt and upgrade Technology, ensure Operational autonomy, Level Playing field, and last but not the least to freedom function as an Economic Enterprise. Sooner, the Country takes steps to empower the Cooperatives, faster will we achieve the greater public good of our teeming masses.

Resolution No. 2

Training, Education and Awareness for Development of Cooperative Movement

Cooperatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. These values are put into practice by following the seven principles enunciated by the International Cooperative Alliance and accepted worldwide. One of these seven principles is relating to education, training and information which expects the cooperatives to provide education and training for the members, elected representatives, managers, and employees so they can contribute effectively to the development of their cooperatives. They are also expected to inform the general public-particularly young people and opinion leaders-about the nature and benefits of cooperation.

Existing Training Infrastructure for Cooperative in India.

1. State Cooperative Unions - Realising the importance of training and education for a vibrant cooperative movement, State Credit Unions were established which had District Cooperative Unions as its members. Statutory provisions have been made in various State Cooperative Societies Acts to earmark a prescribed portion of the net profit as contribution to the District and State Cooperative Unions for taking care of the training and capacity building needs of the member cooperatives. At present there are 31 State Cooperative Unions.

2. National Council for Cooperative Training (NCCT) - It is an autonomous society promoted by Govt of India for organizing, directing, monitoring and evaluating arrangements for cooperative training for the personnel working in the cooperative sector in India. It also supports research in the field of cooperatives. NCCT has established an extensive training network with Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management (VAMNICOM), Pune at the national level and; five Regional Institute of Cooperative Management (RICM) at Chandigarh, Bangalore, Kalyani, Gandhinagar and Patna; and 14 Institutes of Cooperative Management (ICM) at Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Madurai, Nagpur, Pune and Thiruvananthapuram.

3. National Cooperative Union of India (NCUI) - Established as All India Cooperative National Cooperative Union of India (NCUI)-Establishedas All India Cooperative Institutes Association in 1929 and reorganized as National Cooperative Union of India, it is an apex organization representing all cooperative organizations in the country. A Cooperative Instructors Training Centre established under the aegis of NCUI in 1958 which has been renamed in 18-2017 as National Centre for Cooperative Education (NCCE). It is conducting Diploma Courses as also Trainings of Trainers (ToTs) and Leadership Development Programmes (LDPs). Recently NCUI has developed the Cooperative Extension and Advisory Services (CEAS)-An E-learning platform and online query system on cooperatives.

4. National Cooperative Development Corporation (NCDC) NCDC set up a training institute in 1985 through a World Bank project. The Institute has been upgraded with the support of Govt of India in 2018 and has been renamed as Laxmanrao Inamdar National Academy for Cooperative Research and Development (LINAC). LINAC has18 Regional Training Centres and its focus is on capacity building of key functionaries of primary cooperatives.

5. Agricultural Cooperative Staff Training Institutes (ACSTI) These training institutes have been set up by respective State Cooperative Banks for imparting training to the personnel of State Cooperative Banks (StCBs), District Central Cooperative Banks (DCCBs), Primary Agricultural Credit Societies (PACS).

ACSTIs are supported with financial aid from NABARD. Similarly, State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDB) have set up Junior Level Training Centres (JLTCs) with the support of NABARD.

6. Centre for Professional Excellence in Cooperatives (C-PEC) - C-PEC has been set up within the Bankers Institute of Rural Development (BIRD), Lucknow to streamline training systems in Cooperative Credit Structure by standardizing the training delivery processes, certification of personnel and accreditation of cooperative training institutes promoted by different organisations. So far it has accredited 41 training institutes including ICMS, RICMS, ACSTIS, JLTCS and others.

7. Other National Training Institutions In addition, national training institutions like College of Agricultural Banking (CAB), Bankers Institute of Rural Development (BIRD), National Institute of Agricultural Extension Management

(MANAGE), Chaudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing (NIAM) set by RBI, NABARD, ICAR and Govt of India, respectively, also provide need based training support to leaders and senior personnels of cooperatives.

Training Need of Cooperatives in the Changed Scenario

From the details of training infrastructure given above, it may appear that we have adequate arrangements for training of cooperatives in the country. However, for the country the size of India, this training infrastructure on its own without an active participation of cooperative institutions is less than adequate and many of these institutions are facing financial and manpower resource constraints. A quick perusal of the training programmes of these institutions reveals that most of the programmes are meant for the staff of cooperatives and their leaders. They are not able to cater effectively to training and capacity building needs of present and future members of cooperative and awareness/ education of community at large for inculcating cooperative ethos which is utmost essential for a

Contd. on Next Page....

vibrant cooperative movement. Government of India since 2014 has been making efforts to rejuvenate the cooperative movement in the country with the firm belief that cooperatives hold the key to sustainable and equitable economic development. To translate the vision of Sahakar Se Samridhi, Prosperity through Cooperatives into reality, it is imperative to have a well thought out training and capacity building policy at the national level taking into consideration state level and sector level training needs.

Proposal for an Effective Training Policy for Cooperative

Based on its interaction with cooperators from across the country, Sahakar Bharati puts forwards following proposals to support an effective and vibrant cooperative movement in the country -

1. As a part of the National Policy on Cooperatives, the Govt of India may consider preparing a National Training Policy for Cooperatives based on a scientific training needs analysis and assessment of different stakeholders of cooperatives.

2. The National Training Policy for Cooperatives must make separate provisions for training and capacity building needs of a) General Public including students, b) Present and future members of cooperative, c) Leaders of Cooperatives and d) Employees of Cooperatives.

3. Awareness and education of the general public is very important in the absence of people joining a cooperative without understanding cooperative values and principles resulting in a large number of cooperatives becoming handmaidens of a few influential persons. It is the awareness of the general public and the members of cooperatives that can only ensure the democratic character of a cooperative society. Sahakar Bharati, therefore, proposes that a nationwide campaign of «Cooperative Literacy>> be launched to educate the masses and inculcate cooperative ethos in the society.

4. To develop future members and leaders of cooperatives it is necessary that school curriculum be revised in such a way that knowledge about cooperatives and cooperative values and principles is imparted to students from primary school level to college level. It is suggested that such a knowledge may be imparted not only in subjects like social science and commerce/economics but stories on successful cooperation may also be included in the textbooks of languages which will help students understand and appreciate the cooperative movement.

5. Sahakar Bharati offers to collaborate with Central Govt, all the State Government and other Govt/ Cooperative Institutions in achieving these aims.

Resolution No. 3

Heartily welcome of Central govt. for Encouraging Support.

Sahakar Bharati places on record its deep sense of appreciation and gratitude to the Government of India for implementing a series of innovative policies and programmes for rejuvenating the cooperative movement through campaign of 'Sahakar Se Samridhi'.

Some of the pathbreaking initiatives taken by the Ministry of Cooperation since its formation in the last three years which merit special mention are listed below.

1. Creation and maintenance of a National Cooperative Database for effective policy formulation and monitoring.

2. Economic strengthening of PACS by computerising their operations, and making them truly multipurpose by making them the hub of rural economic activities by dovetailing them with various government schemes.

3. Creation of three new multistate cooperative societies at national level for exports, certified seeds and organic products.

4. Relief in Income Tax Law for Cooperative Societies by reducing the surcharge on IT from %12 to %7 at par with companies for cooperative societies with income from Rs 1 Crore to Rs 10Crore and by reducing Minimum Alternate Tax from %18.5 to %15. New manufacturing cooperative societies commencing manufacturing operations by March 2024,31, will be taxed at a flat rate of %15 as against the existing tax rate of up to %30 with surcharge.

5. Union Budget 24-2023, has increased the cash withdrawal limit of cooperative societies without deduction of tax at source from Rs.1 crore to Rs.3 crore per year.

6. Relief in cash transactions under section 269ST of the Income Tax Act allowing State and District milk unions to receive payment less than Rs. 2 lakh per day in cash from their distributors and do payment in cash to member milk producers during Bank holidays. U/S 269 SS PACS an authorized to pay & receive Rs 2,000,00/- per day instead Rs 20,000/-

7. The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023 has incorporated the provisions of the 97th Constitutional Amendment to strengthen governance, increase transparency, increase accountability, improve election process, etc in Multi-State Cooperative Societies

We also look forward to the new National Cooperative Policy which will definitely take cooperative movement to a new level in the country.

Resolution No. 4

Empower Co Ops To Re Energise Rural Economy...

The growth of Indian Economy is linked to rural development, particularly to Agriculture and Allied Agricultural activities. This sector also provides largest employment in the Country. However, over the years, income pattern has irreversibly changed in the rural sector. Non - Farm income now constitutes about %65 of the total income in rural areas. While there are several factors that impact Agriculture and other economic activities, ensuring adequate and timely flow of credit has always remained a major challenge.

To address this issue, GOI, particularly, the Ministry of Coop, led by Shri Amitbhai Shah deserves special kudos for several bold and decisive steps initiated to augment flow of credit in the rural sector. Shri Shah also deserves the credit for evolving a national consensus across the entire political spectrum to convert PACs into Multi Purpose Societies and to set up one PAC at each village having a Gram Panchayats. This policy decision is simply revolutionary.

Besides, the decision to convert Primary Milk Societies (PMS) into Multi- Purpose Societies and to launch Operation Milk Flood - 2 will make a significant impact on income of our rural population. Indian Sub Continent is dotted with thousands of large water bodies. Besides, we have a vast coastline. Therefore, the Ministry of Coop has decided to promote Fisheries Coop Societies in all parts of the Country. Similarly, to increase flow of credit, Union Coop Ministry has decided to set up District Central Coop Bank in each District and this step is equally commendable. All these decisions need to be systematically implemented in a time-bound manner to achieve all round robust growth of our rural areas.

However, the task is daunting and the GOI will have to evolve norms for setting up new Coop Socs and allocate financial resources in partnership with the State Govts.

We, therefore suggest the following :

A. Set up Group of Coop Ministers with Union Coop Minister as its Chairman.

All decisions always to be made unanimously.

B. Create a cadre to operate the new and existing Socs.

C. Under the leadership of NCCT, provide training and capacity building facilities at all District levels, in partnership with CoOps/Social Organisations/ Educational institutions.

D. Computerise these Socs and connect them to the National Payment System by linking them to the DCCB or the District Lead Bank.

E. After ascertaining viability, set up new DCCBs in all Districts in the next 5/3 years.

F. Presently, 350 DCCBs serve 500 Districts. As in the past, some of these DCCBs can be split and the emerging new entities will each serve one district.

G. In the changed scenario, new Business Models will have to be formulated for effective functioning of DCCBs and StCBs.

And finally, to tap large financial resources held in the form of cash in Rural India, as in Developed Countries, separate Deposit Insurance Corporation for all Coops engaged in Thrift and Credit activities be formed under an Act of the Parliament. Coops coming under the ambit of the new DIC, will have the status of a Regulated Entity. This will go a long way in improving governance, mobilising resources, reducing dependence of PACs and other Coops on higher financing entities viz. DCCBs, StCBs and NABARD and also reduce interest cost to the farmers. The quantum of subsidy burden for Govts will also stand minimised.

Revitalising rural economy through Coops will ensure higher income levels and more income earning & employment opportunities, besides ensuring timely flow of credit.

We call upon all our Countrymen to join this initiative to make Bharat truly Viksit

National Office Bearers 2024-27

Sr No	Name	Designation	State	Contact No
1	Dr Uday Joshi	Ntl President	Maharashtra	8888880690
2	Adv Sunil Gupta	Ntl Vice President	Delhi	9311435884
3	Shri Kantibhai Patel	Ntl Vice President	Gujarat	9825068660
4	Shri B H Krishna Reddy	Ntl Vice President	Karnataka	9972089407
5	Shri Prashant Buzarbarua	Ntl Vice President	Assam	9435484615
6	Shri Deepak Chaurasia	Ntl General Secretary	Bihar	9334004058
7	Shri Sanjay Pachpor	Ntl Organising Secretary	Maharashtra	9284112900
8	Smt Nandini Roy	Ntl Secretary	West Bengal	9874937254
9	Shri Dilip Dada Patil	Ntl Secretary	Maharashtra	9422284980
10	Shri Vivekanand Patra	Ntl Secretary	West Bengal	9474441656
11	Shri Gajendra Gautam	Ntl Secretary	Madhya Pradesh	8817578274
12	Shri Satish Medhi	Ntl Treasurer	Maharashtra	9821589863
13	Shri Sanjay Garg	Ntl Jt Treasurer	Delhi	9312934520
14	Shri Vinodbhai Barochia	Ntl Sampark pramukh	Gujarat	9824451421
15	Shri Kailasmani	Ntl Sah Sampark pramukh	Kerala	9447341267
16	Shri Adduri Shrinivas Rao	Ntl Sah Sampark pramukh	Andhra Pradesh	9347669350
17	Smt Revati Shendurnikar	Ntl Mahila Pramukh	Maharashtra	9421709165
18	Smt Sangeeta Tendulkar	Ntl Mahila Sah Pramukh	Madhya Pradesh	8823008230
19	Smt Krishna Sharma	Ntl Mahila Sah Pramukh	Haryana	8427528304
20	Shri Bhalchandra Kulkarni	Ntl Publication Incharge	Maharashtra	9822882509
21	Dr Vivek Jyoti	Ntl Legal Cell Incharge	Himachal Pradesh	9418497501
22	Advocate Vibhav Mishra	Ntl Legal Cell Jt Incharge	Delhi	9473565666
23	Adv Prem Sadhotra	Ntl Legal Cell Jt Incharge	J & K	9906313138
24	Shri Ajay Nikumbh	Ntl IT Cell Incharge	Maharashtra	9225246815
25	Shri KK Ojha	Ntl IT Jt Incharge	Uttar Pradesh	9235636263
26	Shri Kuldeep Krushan Pandey	Ntl Social Media Cell Incharge	Uttar Pradesh	7905150586
27	Shri Harshad Dhamadhikari	Ntl Publicity Incharge	Delhi	7045325321
28	Shri Laxman Patra	Ntl Central Office Incharge	Maharashtra	9470532029
29	Shri Bharat Chinchole	Ntl Central Office Jt Incharge	Maharashtra	7021862169
30	Shri D N Thakur	Savrakshak	Delhi	9990013358
31	Shri Ramesh Vaidya	Special Invitee	Karnataka	9448194726
32	Shri Satish Marathe	Special Invitee	Maharashtra	9867383491
33	Shri Jyotindrabhai Mehta	Special Invitee	Gujarat	9427613701
34	Shri Vishnu Bobade	Special Invitee	Maharashtra	9820862368

^maVr¶ g§H¥$[V ~MV Ed§ g‘I ghH$m[aVm

भारत में सहकारिता कोई नवीन प्रणाली नहीं है। केवल बदलती हुई परिस्थितियों के कारण सहकारिता का स्वरूप अपने विशिष्ट सिद्धान्तों के अनुरुप विकसित हुआ है। मानवीय संस्कृति और सभ्यता को आदि पाषाण युग से वर्तमान में उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय सहकारिता को ही है। भारत की आजादी के पश्चात् सरकार ने पाया कि कृषकों, श्रमिकों एवं ग्रामीण तबकों आदि की आजीविका के पर्याप्त साधन सुलभ कराने व जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहकारिता का माध्यम ही उपयुक्त है। अत: भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण के आधार पर सहकारी आन्दोलन को राज्य का विषय बनाया जिससे राज्यों में सहकारिता की चेतना आयी।

दरअसल सहकारिता भारतीय संस्कृति और दर्शन पर आधारित है। इसमें हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं और विचारों का भी समावेश है। हमारे यहां 'विवाह' को एक प्रमुख संस्कार माना जाता है और सहकारिता के संदर्भ में इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि दो अनजान लोग जीवनभर के लिए एक-दूसरें का हाथ थाम लेते हैं। सम्पूर्ण सहकार भाव को स्वयं में समाहित कर, कि अब हमें सम्पूर्ण जीवन में सुख-दु:ख की बराबरी की हिस्सेदारी रखते हुए साथ चलना है और साथ बढ़ना है। होता भी यही है, वैवाहिक सहकारिता के बढ़ने के साथ परिवार नामक संस्था का उदय होता है जो पुष्पित - पल्लवित होती रहती है। भारतीय पूजन, दर्शन में 'यज्ञ' को एक प्रमुख संस्कार के रूप में अपनाया गया है। जहां यज्ञ समूह में किए जाने का प्रावधान है और सामूहिक रूप से समिधा की आहुति दी जाती है और मंत्रोच्चार किए जाते हैं। यह सहकारिता का आध्यात्मिक स्वरूप है। यदि हम गौर से देखें तो समूची प्रकृति ही सहकारिता पर आधारित है। मनुष्य शरीर का निर्माण भी जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के सामूहिक स्वरूप से संभव हुआ है। पशु-पक्षी भी सामूहिक रूप से झुण्ड बनाकर रहते और विचरण करते हैं। दरअसल सहकारिता हमारा स्वभाव है। आदि मानव काल से उपजी कबीलाई संस्कृति के मूल में सहकार भाव ही रहा है। सामूहिक रूप से शिकार करना और उसे आपस में बांटकर खाना सहकारिता का ही स्वरूप था। यह सहकार भाव धीरे-धीरे हमारी सामाजिक गतिविधियों में भी नजर आने लगा और विकास के लिए सहकारिता एक आवश्यक अंग बन गई।

भारतीय संस्कृति भी कई चीजों को मिला-जुलाकर बनी और विकसित हुई। भारतीय संस्कृति ने पड़ौसी देशों के रिवाज, परम्पराओं और विचारों का भी समावेश है। हमारे देश की भाषायी संस्कृति भी एक प्रकार की समावेशी सहकारिता है। जहां 5000 सालों से अधिक समय से चली आ रही रीति-रिवाज, भाषाएं, परम्पराएं एक साथ मिलकर विविधताओं में एकता का संदेश देती हैं। भारत से उपजी कई धार्मिक प्रणालियों के मिश्रण ने विश्व के अलग-अलग हिस्सों को काफी प्रभावित किया। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता और सहिष्णुता की दृष्टि से भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा अग्रणी स्थान रखती है।

भारत पर विदेशियों ने अनेक बार आक्रमण किये और हिन्दु संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की लेकिन वो संस्कृति ही क्या जो मिट जाये। भारत आये अनेक आक्रमणकारियों ने भी माना कि इस देश की संस्कृति को नष्ट करना नामुमकिन है, बल्कि उनमे से कई लोग अपने साथ विभिन्न प्रकार के धर्म और सम्प्रदाय ले आये, और कई यहीं पर बस गये, जिससे गंगा जमुनी संस्कृति का जन्म हुआ, जिसे भारतीय संस्कृति ने बड़ी ही सहनशीलता के साथ स्वीकार किया और गले लगाया। विभिन्न वेद शास्त्र हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, इसके अतिरिक्त भारत की अन्य परम्परायें जैसे अतिथि देवो भव:, सामाजिक आचार, व्यवहार, शरणागत रक्षा, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुम्बकम, अनेकता में एकता जैसी प्रमुख बातें सहकारिता का ही संदेश देती हैं। पुराने जमाने से ही हमे समझाया गया है कि घर आया अतिथि भगवान के समान है, हम खुद भले ही भूखे रहे जायें, लेकिन अतिथि का पेट भरना जरूरी है। इसी तरह से हमे समाज में कैसा व्यवहार एवं आचरण करना चाहिये, इसकी शिक्षा हमारी संस्कृति हमें देती है। विभिन्न कहानियों एवं लोकोक्तियों के द्वारा हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिये और छोटो के प्रति स्नेह का आचरण करना चाहिये, एवं महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति विशेष सम्मान दिखाना चाहिए, इसके अतिरिक्त शरण में आये व्यक्ति की रक्षा करना हमारा परम धर्म है।

भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहां सर्वधर्म समभाव का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। जितना सम्मान हम अपने धर्म का करते है, उतना ही सम्मान हमें दूसरों के धर्म का भी करना चाहिये। यहाँ सुबह-सुबह मन्दिर से मंत्रोचार की ध्वनि, मस्जिद् से अजान, गुरुद्वारे से शब्द कीर्तन की आवाज और चर्च से प्रार्थना की पुकार एक साथ सुनी जा सकती है। जितनी भाषाएँ यहाँ बोली जाती हैं, विश्व में कही और नहीं बोली जाती। बोल-चाल, खान-पान, रहन-सहन में अनेकता होते हुए भी हम एक साथ रहते है, एक-दूसरे के तीज त्यौहार में शिरकत करते हैं, होली, दीवाली, ईद, बाराबाफात, मुहर्रम, गुरुपर्व और क्रिसमस साथ-साथ मनाई जाती है, मजारो और मकबरों पर हिन्दुओं द्वारा चादर चढ़ाना और दूसरे सम्प्रदाय के लोगों का मंदिरों और गुरुद्वारों पर दर्शन करना, मत्था टेकना बहुत आम बात है, यह हमारे धर्म और लोकाचार की सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण भावनात्मक सहकारिता है।

रही बात हमारे विभिन्न प्रकार के देवी देवता होने की तो हिन्दु धर्म में प्रकृति को हर तरह से पूजा गया है, चाहे वह वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि या आकाश हो, इस प्रकार से हम प्रकृति के हर रूप की पूजा करते है, चाहे वह पहाड़ हो या कोई जीव-जन्तु या हमारी वन्य सम्पदा, हमारी संस्कृति में इन सबको विशेष स्थान दिया गया है, दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं होगी जहां प्रकृति को विभिन्न रूपों और स्वरूपों में पूजा गया है, रही बात त्योहारों से जुड़ी कहानियों की तो, सामान्य जनता जो उपनिषदो और वेदों की लिखी गूढ़ बातों को नहीं समझ सकती, उनके लोक आचरण के लिये विभिन्न ऋषि मुनियों ने अनेक गाथाएं लिखी और उनकों विभिन्न त्योहारों से इस तरह से जोड़ा कि सामान्य जन भी उसके साथ जुड़ सके और उसे अपना सके साथ ही ईश्वर का ध्यान और मनन कर सके।

सहकारिता का अभिप्राय है - एक सब के लिए, सब एक के लिए। अर्थात् मिलजुल कर कार्य करना। एक कहावत है : एक

फूल से माला नहीं बन सकती अत: किसी भी राष्ट्र के विकास में सहकारिता यानि संगठन का बड़ा महत्त्व है। सहकारिता आन्दोलन का गहरा और विशिष्ट बौद्धिक इतिहास है। 2500 वर्ष पूर्व वैदिक काल में भी सहकारिता को अति उत्तम माना जाता था। जिसके प्रमाण सर्व श्री टी. बी. सिंह व टी. एस. पपोला की पुस्तक वैदिक तथा वेदोत्तर कालीन प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र में लिखित इन पंक्तियों से मिलता है।

ज्याश्वन्तश्चित्तिनोमावियौष्ट संराधयन्त सधुराश्चन्त:। न्यन्योन्यस्मै बल्गवदन्तोयात समागास्थ सधीचीनान।।

(अर्थर्व 5.19.5)

अर्थात् जिस प्रकार अश्वों को लगाम खींचे रखती है यानि संगठित करती है उसी प्रकार हम सभी उसी संगठन की लगाम से जुड़े हुये हैं। उस लगाम को कोई भी बल या दांतों तले तोड़ नहीं सकता।

सह नानववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै। तेजस्विनविधीतमस्तु मा विद्विषावहै।। संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जायताम्। देवाभागं यथा पूर्वे संसृजानामुपासते।। (ऋ.10.191.12)

अर्थात् हम सभी अपनी रक्षा साथ-साथ करें। हम सभी मिलकर वस्तुओं का उपभोग करें। हम सभी साथ-साथ पराक्रम करें, हम सभी साथ-साथ तेजस्वी बनें और परस्पर द्वेष का भाव न रखें। हम साथ चलें, हम साथ बोलें। हम सभी आपस में मन की बात जानें। जिस प्रकार पहले देवता अपना भाग बांट कर ग्रहण करते थे उसी प्रकार हम भी मिलकर अपना-अपना भाग ग्रहण करें।

समानीप्रपा सहवो अन्नभाग: समानेमोषधे सहवोयुनज्मि ।
सम्यजोग्निं सपर्यतारां नामिमवाकृता ।।

(अर्थर्व 5.19.6)

अर्थात् समानता की भावना से संगठन में हम अपने अन्न भाग प्राप्त करें। सभी प्रकार की औषधियों (वनस्पतियों) का प्रयोग समान रूप से करें। अग्नि देवता की उपासना भी हम बैर भाव रहित होकर साथ-साथ करें।

मानव इतिहास की पिछली दस पीढ़ियों में से प्रत्येक पीढ़ी के दौरान, विश्व के विभिन्न भागों में कई सिद्धान्तवादियों ने सहकारिता की विचारधारा में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और यह विचारधारा अधिकांशत: सहकारिता के मूल्यों से संबंधित रही है। पूज्य महात्मा गांधी ने सहकारिता की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था कि ग्रामवासी भले ही वस्तुओं को अपने झौपड़े में बैठकर बनाएं, परन्तु उन वस्तुओं को इकट्ठा किया जा सकता है और उनसे होने वाले लाभ आपस में बांटे जा सकते है। ग्रामवासी किसी की देख-रेख में योजना के अनुसार यह कार्य करें तथा कच्चा माल अपने भंडार से प्राप्त करें। यदि ग्रामवासियों में सहकारिता से काम करने की भावना पैदा कर दी जाय, तो सहयोग, श्रम विभाजन, समय की बचत और कार्य-कुशलता से प्रगति अवश्य निश्चित है। भारत गांवों का देश है और भारत की आत्मा गांवों में ही निवास करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी का यह कथन स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि हमें देश के विकास हेतु गांवों के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि गांवों की प्रगति पर ही राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी देश की सुदृढ़ नींव निर्माण हेतु तथा गावों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तीन आधार स्तम्भों - पंचायत, सहकारी समिति तथा पाठशाला की चर्चा की थी। शाही कृषि आयोग (1928) ने भी स्वतंत्रता के काफी समय पूर्व कहा था कि यदि सहकारिता असफल होती है तो भारत की सर्वोच्च आशायें असफल हो जायेंगी। सहकारिता के महत्त्व को मद्देनजर रखते हुये ही विभिन्न पंच वर्षीय योजनाओं में से आठवीं पँचवर्षीय योजना में इसे यथोचित स्थान दिया गया है।

इस तरह भारत में सहकारिता आन्दोलन रूपी भवन की नींव, नेतृत्व रूपी आधारशिला पर ही रखी गई है। नेतृत्व लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रथम सोपान है। बिना नेतृत्व के कोई भी जन आन्दोलन चाहे वो आर्थिक हो या राजनैतिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक की सफलता की कल्पना करना व्यर्थ है। क्योंकि किसी भी आन्दोलन का उद्भव पोषण तथा सार्थक विकास, नेतृत्व से ही संभव है। सहकारिता की नर्सरी ने भारत में ढेर सारे रत्नों को जन्म दिया, जिनमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (जो रादेई ग्राम सहकारी समिति के सदस्य थे), भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैलसिंह (जो पंजाब राज्य सहकारी संघ के प्रथम अध्यक्ष थे), श्री त्रिभुवनदास पटेल, श्री तात्याकारे, श्री उदयभान सिंह जी, श्री बैकुण्ठ भाई मेहता, श्री डी. जी. कार्वे, प्रोफेसर डी. आर. गाडगिल, श्री आर. एस. सेरैया, श्री रामदास पन्तलु, श्री एच. एल. काजु, डॉ. नेटेसन, श्री टी. ए. रामलिंगम तथा डॉ. वी. कुरियन आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने न केवल देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में मदद की, बल्कि सहकारिता के माध्यम से भारत माता के देश वासियों के दु:ख के आंसू पौंछकर उन्हें समृद्ध बनाने में अपना तन-मन व धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन्हीं सब मार्ग दर्शकों के वेदों में उल्लेखित त्याग, बलिदान, दूरदर्शिता, सूझ-बूझ तथा समर्पित सेवाओं के फलस्वरूप ही आज भारतीय सहकारी आन्दोलन ने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया है।

यह सहकारिता तभी प्रभावी बन पाती है। जब हम साख सहकारिता के माध्यम से लोगों से जुड़ते है और उन्हें जोड़ते है। कारण यह है कि साख सहकारिता के अन्तर्गत साख सहकारी समिति जमा योजनाएं चलाती है और अपने सदस्यों से प्राप्त जमा धन का उपयोग उन्हें ऋण देने में करती है। जिससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है तथा सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति उन्नतिशील बन पाती है। यह साख सहकारिता की विशेषता है कि वह सदस्यों में एकता की भावना स्थापित करती है और बचत एवं पारस्परिक सहायता की प्रवृति को विकसित करती है। समिति के अनुशासित क्रिया-कलापों की वजह से समय का पालन, नियमित प्रणाली का अनुसरण करते हुए कार्य करने तथा ईमानदारी की प्रवृत्ति को अपनाने के अलावा आर्थिक उत्थान के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप सदस्यों के जीवन का आर्थिक स्तर ऊँचा उठता है। आज देश में साख सहकारिता अगर उतनी प्रभावी नहीं है तो इसके कारणों की पड़ताल जरूरी है और यह भी जरूरी है कि उन कारणों का निदान किया जाए क्योंकि साख सहकारिता को विकसित करके ही देश और समाज के व्यापक आर्थिक हितों को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत में सहकारिता विकास की प्रक्रिया का एक इंजन माना जा रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भावना की जागृति के पीछे कुछ कारण होते हैं। जिनमें पूंजीपतियों द्वारा अत्याचार, मंदी अथवा तेजी से कुछ लोगों द्वारा गरीब समाज का शोषण एवं उत्पीड़न होता है। अत: इस अनूठे संगठन में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन दिया जाता है। ***

THAKUR
Healcare
Hospital
FACILITIES:-
IVF & Test Tube Baby Center
Gynaecology
Obstetrics
Ultrasound
X-Ray & CT-Scan
Dental Procedure & Implants
All Surgical Procedures
Pharmacy
Laboratory
Dr. Mandeep Thakur
BDS, MDS
Director
Thakur Healcare Hospital
Dr. Abha Thakur
BDS, MDS,
Ex. Res. AIIMS Delhi
Dr. Taruni Thakur
MBBS, MS
Dr. Sourabh Thakur
MBBS, DNB
24x7 EMERGENCY SERVICE
Opp. Oberoi Service Station Manwal,
Pathankot. Mob: 9996006305

कसीदा
LUXE DESIGN BY
ANSUYIA THAKUR
ANSUYIA THAKUR
87259-31920
kasida.at@gmail.com
kasida.at
#27 Sh. Mehar Singh Enclave
Padianlahri, Pathankot, Pb

Co-Operative Sector : Need of Intensive Training

Dr. Yatish Jain
Study Group Jt InCharge
Sahakar Bharati
sbyatish@yahoo.com

Now the Co-operative sector should be fast and responsive. This requires responding to customers' needs for quality, variety, customization, convenience and timeliness. Meeting these new standards requires a workforce that is technically trained in all respects. It requires people who are capable of analyzing and solving job related problems, working cooperatively in teams and 'changing hats' and shifting from job to job as well. Training has increased in importance in today's environment where jobs are complex and change. Rapidly. Companies that pay lip-service to the need for training, by lazily setting aside a few hours a year, will soon find themselves at the receiving end when talented employees leave in frustration and other employees find it difficult to beat rivals with new products, sophisticated designs and improved ways of selling. To survive and flourish in the present day corporate-jungle, companies should invest time and money in upgrading the knowledge and skills of their employees constantly. For, any company that stops injecting itself with intelligence is going to die. The purpose of this chapter is make the student understand the basic principles, areas, and methods of training currently in use in the corporate circles.

Need of Co-Operative Training : After employees have been selected for various positions in an organization or Co-operative Society , training them for the specific tasks to which they have been assigned assumes great importance. It is true in many organizations that before an employee is fitted into a harmonious working relationship with other employees, he is given adequate training. Training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for performing a particular job. The major outcome of training is learning. A trainee learns new habits, refined skills and useful knowledge during the training that helps him improve performance. Training enables an employee to do his present job more efficiently and prepare himself for a higher-level job. The essential features of training may be stated thus:

- ncreases knowledge and skills for doing a particular job; it bridges the gap between job needs and employee skills, knowledge and behaviors
- Focuses attention on the current job; it is job specific and addresses particular performance deficits or problems
- Concentrates on individual employees; changing what employees know, how they work, their attitudes toward their work or their interactions with their co-workers or supervisors
- Tends to be more narrowly focused and oriented toward short-term performance concerns.

Training is needed to serve the following purposes:

- Newly recruited employees require training so as to perform their tasks effectively. Instruction, guidance, coaching help them to handle jobs competently, without any wastage.
- Training is necessary to prepare existing employees for higher-level jobs (promotion).
- Existing employees require refresher training so as to keep abreast of the latest developments in job operations. In the face of rapid technological changes, this is an absolute necessity.
- Training is necessary when a person moves from one job to another (transfer). After training, the' employee can change jobs quickly, improve his performance levels and achieve career goals comfortably
- Training is necessary to make employees mobile and versatile. They can be placed on various jobs depending on organizational needs.
- Training is needed to bridge the gap between what the employee has and what the job demands.

Training is needed to make employees more productive and useful in the long-run.

Training is needed for employees to gain acceptance from peers (learning a job quickly and being able to pull their own weight is one of the best ways for them to gain acceptance).

Importance : Training offers innumerable benefits to both employees and employers. It makes the employee more productive and more useful to an organization. The importance of training can be studied under the following heads:

Benefits to the business : Trained workers can work more efficiently. They use machines, tools, and materials in a proper way. Wastage is thus eliminated to a large extent.

There will be fewer accidents. Training improves the knowledge of employees regarding the use of machines and equipment. Hence, trained workers need not be put under close supervision, as they know how to handle operations properly.

Trained workers can show superior performance. They can turn out better performance. They can turn out better quality goods by putting the materials, tools and equipment to good use.

Training makes employees more loyal to an organization. They will be less inclined to leave the unit where there are growth opportunities

Benefits to the employees : Training makes an employee more useful to a firm. Hence, he will find employment more easily.

Training makes employees more efficient and effective. By combining materials, tools and equipment in a right way, they can produce more with minimum effort.

Training enables employees to secure promotions easily. They can realise their career goals comfortably.

Training helps an employee to move from one organization to another easily. He can be more mobile and pursue career goals actively.

Employees can avoid mistakes, accidents on the job. They can handle jobs with confidence. They will be more satisfied on their jobs. Their morale would be high.

Thus, training can contribute to higher production, fewer mistakes, greater job satisfaction and lower labour turnover. Also, it can enable employees to cope with organizational, social and technological change. Effective training is an invaluable investment in the human

resources of an organization.

Learning Principles :

The Philosophy of Training : Training is essential for job success. It can lead to higher production, fewer mistakes, greater job satisfaction and lower turnover. These benefits accrue to both the trainee and the organization, if managers understand the principles behind the training process. To this end, training efforts must invariably follow certain learning-oriented guidelines.

Modelling : Modeling is simply copying someone else's behavior. Passive classroom learning does not leave any room for modeling. If we want to change people, it would be a good idea to have videotapes of people showing the desired behavior. The selected model should provide the right kind of behavior to be copied by others. A great deal of human behaviour is learned by modelling others. Children learn by modelling parents and older children, they are quite comfortable with the process by the time they grow up. As experts put it. "managers tend to manage as they were managed"

Motivation : For learning to take place, intention to learn is important. When the employee is motivated, he pays attention to what is being said, done and presented. Motivation to learn is influenced by the answers to questions such as: How important is my job to me? How important is the information? Will learning help me progress in the company? etc. People learn more quickly when the material is important and relevant to them. Learning is usually quicker and long-lasting when the learner participates actively. Most people, for example, never forget how to ride a bicycle because they took an active part in the learning process.

Reinforcement : If a behavior is rewarded, it probably will be repeated. Positive reinforcement consists of rewarding desired behaviors. People avoid certain behaviors that invite criticism and punishment. A bank officer would want to do a postgraduate course in finance, if it earns him increments and makes him eligible for further promotions. Both the external rewards (investments, praise) and the internal rewards (a feeling of pride and achievement) associated with desired behaviors compel subjects to learn properly. To be effective, the trainer must reward desired behaviors only. If he rewards poor performance, the results may be disastrous: good performers may quit in frustration, accidents may go up, and productivity may suffer. The reinforcement principle is also based on the premise that punishment is less effective in learning than reward. Punishment is a pointer to undesirable behaviors. When administered, it causes pain to the employee. He may or may not repeat the mistakes. The reactions may be mild or wild. Action taken to repeal a person from undesirable action is punishment. If administered properly, punishment may force the trainee to modify the undesired or incorrect behaviors.

Feedback : People learn best if reinforcement is given as soon as possible after training. Every employee wants to know what is expected of him and how well he is doing. If he is off the track, somebody must put him back on the rails. The errors in such cases must be rectified immediately. The trainee after learning the right behaviour is motivated to do things in a 'right' way and earn the associated rewards. Positive feedback (showing the trainee the right way of doing things) is to be preferred to negative feedback (telling the trainee that he is not correct) when we want to change behaviour.

Spaced Practice : Learning takes place easily if the practice sessions are spread over a period of time. New employees learn better if the orientation programme is spread over a two or three day period, instead of covering it all in one day. For memorizing tasks, 'massed' practice is usually more effective. Imagine the way schools ask the kids to say the Lord's prayer aloud. Can you memorise a long poem by learning only one line per day? You tend to forget the beginning of the poem by the time you reach the last stanza. For 'acquiring' skills as stated by Mathis and Jackson, spaced practice is usually the best. This incremental approach to skill acquisition minimises the physical fatigue that deters learning.

Whole Learning : The concept of whole learning suggests that employees learn better if the job information is explained as an entire logical process, so that they can see how the various actions fit together into the 'big picture'. A broad overview of what the trainee would be doing on the job should be given top priority, if learning has to take place quickly. Research studies have also indicated that it is more efficient to practice a whole task all at once rather than trying to master the various components of the task at different intervals.

Active Practice : 'Practice makes a man perfect': so said Bacon. To be a swimmer, you should plunge into water instead of simply reading about swimming or looking at films of the worlds' best swimmers. Learning is enhanced when trainees are provided ample opportunities to repeat the task. For maximum benefit, practice sessions should be distributed over time.

Applicability of Training : Training should be as real as possible so that trainees can successfully transfer the new knowledge to their jobs. The training situations should be set up so that trainees can visualise - and identify with - the types of situations they can come across on the job.

Environment : Finally, environment plays a major role in training. It is natural that workers who are exposed to training in comfortable environments with adequate, well spaced rest periods are more likely to learn than employees whose training conditions are less than ideal. Generally speaking, learning is very fast at the beginning. Thereafter, the pace of learning slows down as opportunities for improvement taper off.

Significance of Training : Every organization desires that it will grow continuously and make and retain its position in the competitive and continuously changing market environment. For this purpose the employees of the organization must be skilled and talented. But all the employees may not have the desired skills. Their skills can be improved with the help of training programs. It is an important activity for the origination to conduct appropriate and related programme for its employees, so that may be able to understand the terms required for the completion of his job. This also helps the employees of the organization to know about his job and organization very well. This also helps in better communication and relation among the organization wants to grow rapidly, then it is essential for it to conduct periodically training programmes for its employees to improve the skills and knowledge.

***

^maV ‘| ghH$m[aVm AmÝXmbZ H$s MZm{V¶m Ama g‘mYmZ H$ Cnm¶

बहुत से देशों ने कार्य करने की विभिन्न प्रणालियाँ तैयार की है और वे कई तरह से एक समान प्रतीत होती हैं। परन्तु किसी भी देश ने क्रान्तिकारी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शांतिमय कार्यवाही पर कभी बल नहीं दिया। भारत में हमने गांधीजी के नेतृत्व में ऐसा करने का प्रयास किया, जिसमें हमें पर्याप्त सफलता भी मिली। यह सहकारिता की प्रणाली थी। हमने अपने संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में इसे शामिल किया और जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है, सहकारी ढंग से जीना, यही सहकारिता का दर्शन है।

कोई भी व्यक्ति सहकारिता के माध्यम से ही अपने व्यक्तित्व को बनाये रखते हुए भी बडे पैमाने पर कार्य कर सकता है तथा विज्ञान एवं औद्योगिकी का लाभ उठा सकता है, यह मानना था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जिन्होंने सहकारिता आन्दोलन में प्राण फूंककर इसे जीवन्त स्वरूप प्रदान किया। सन्त विनोबा भावे ने सहकारिता को मानव की उन्नति का आधार मानते हुए कहा था कि संसार में मानव ने सहकारी भावना से ही उन्नति की है। सबको ध्यानपूर्वक सोचना चाहिये कि हम घर में कैसा करते हैं। घर और समाज दोनों एक ही हैं। यदि घर में सहकारी है तो समाज में भी सहकार निश्चित रूप से होगा। यह अवधारणा जीवन जीने के नये सहकारी ढंग की ओर इशारा करती है।

> 'संसार में मानव ने सहकारी भावना से ही उन्नति की है। सबको ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि हम घर में कैसा करते हैं। घर और समाज दोनों एक ही हैं। यदि घर में सहकारी है तो समाज में भी सहकार निश्चित रूप से होगा।'
>
> **– सन्त विनोबा भावे**

सहकारिता आन्दोलन विश्व के सबसे बडे आन्दोलन के रूप में माना जाता है, जिसका ताना-बाना सहकारी समितियों के रूप में गांव-गांव तक फैला हुआ है। बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं के अनियंत्रित मूल्य एवं मध्यस्थों के बीच में आने से वस्तुओं में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि तथा दैनिक उपभोग की वस्तु विक्रेताओं एवम मध्यस्थों के एकाधिकार को समाप्त करने की दृष्टि से ही सहकारी संस्थाओं का उदय हुआ है। इसकी स्थापना सहकारिता के माध्यम से समूचे राष्ट्र में उपभोक्ता आन्दोलन को सशक्त एवं सुदृढ बनाने की दृष्टि से की गई। सहकारी संस्थान सहकारिता के आधार पर - एक सबके लिए और सब एक के लिए - की भावना को हृद्यंगम करते हुए सहकारिता की गंगोत्री का भागीरथ बनकर उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को गतिशील बनाते हैं। यह संस्थान निर्माताओं से सीधे वस्तुएं खरीदकर उपभोक्ताओं को वांछित तथा आवश्यक नित्योपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। ये सहकारी भण्डार अपने शैशव से सुकुमार होने तक आन्दोलन को गति देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्यकलापों को संपादित कर रहे हैं। यह राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में नियंत्रित वस्तुएं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल एवं नित्योपयोगी वस्तुएं, नगरीय एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहें नागरिकों को उपलब्ध करवाते हैं। ये अपने विक्रय केंन्द्रों, विभागीय भण्डारों एवं सहकारी बाजार द्वारा नित्योपयोगी वस्तुएं आम नागरिकों को उपलब्ध करवाते हैं तथा इसके अतिरिक्त अन्य उपभोक्ता वस्तुएं यथा गैस, एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधियों का विक्रय तथा ऐसे अनेक कार्य अपने-अपने क्षेत्रों में सम्पादित कर भारत में सहकारिता आन्दोलन को गतिमान कर रहे हैं।

सहकारिता आन्दोलन जनापेक्षित सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसकी पृष्ठभूमि में ऐसे अनेकानेक कारण विद्यमान हैं, जो इस आन्दोलन के सामने चुनौती बनकर मुंह बाए खडे हुए हैं। जिसके मूल में निम्न कारण हैं, जिनसे प्राथमिक भण्डार एवं जिला स्तरीय भण्डार निष्क्रिय अथवा मृतप्राय होने की स्थिति में आ गये हैं।

सहकारी आन्दोलन की चुनौतियाँ/समस्याएँ :-

* प्राथमिक भण्डारों का आधार छोटा होने की वजह से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होना।

* प्राथमिक भण्डार के प्रबन्ध में विशेषज्ञों/व्यावसायिक ज्ञान की कमी का होना।

* भण्डार से सहीं क्रय नीति का नहीं होना, जिसके कारण बहुत से खरीद का सामान डम्प हो जाना और किसी कम्पनी/पार्टी को लाभ पहुँचाने की स्थिति में आवश्यकता से अधिक खरीद कर लिया जाना।

* सरकार पर अत्यधिक निर्भरता के कारण प्रबन्ध में कुशलता नहीं आ पाना।

* सरकार द्वारा उपभोक्ता भण्डारों को सरकार की नीति के क्रियान्विति करने और बहुत सी सामाजिक सेवाओं के लिए बिना आर्थिक सक्षमता की जांच किये कार्य करना।

* जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय भण्डारों से सामान्यत: मुख्य कार्यकारी सरकार के होना तथा इन भण्डारों का प्रशासन निर्वाचित संचालक मण्डल के पास न होकर प्रशासक में निहित होना।

* सहकारी भण्डारों के पास पूंजी का अभाव होना। कम पूंजी के आधार पर कार्यशील पूंजी की कमी के कारण जो भण्डार से अनियंत्रित वस्तुओं के वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति आवश्यक है, उसका पूरा नहीं होना।

* भण्डारों के पास सामान्य रूप से राजकीय एवं स्वयं की पूंजी होती है, जो व्यवसाय बढाने के लिए बहुत कम होती हैं।

* उपभोक्ता भण्डारों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाले उपभोक्ताओं के लिए कम मार्जिन की वस्तुएं विक्रय के कारण भण्डारों को घाटा वहन करना पडता है।

* कुछ राज्यों में आपूर्ति निगमों द्वारा यह कार्य किये जाने से यह व्यवसाय सहकारी क्षेत्र को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।

* भण्डार से सही क्रय नीति होने के कारण डम्प एण्ड डेमेज्ड माल में वृद्धि होने के कारण पूंजी का अवरुद्ध होना।

* राज्य स्तरीय संस्थाओं को उत्पादकों द्वारा सदस्य संस्थाओं की आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए अपेक्षित डिस्ट्रीब्युटर्स मार्जिन का नहीं दिया जाना।

* जिला भण्डारों के द्वारा अपनी खरीद के लिये जिले में वितरक के होलसेल से उपभोक्ता सामग्री खरीद करने के कारण शीर्ष सदस्य संस्थायें इन भण्डारों द्वारा होलसेल व्यवसाय को नहीं करना।

* भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रतिपादन योजना को राज्य सरकार को स्थानान्तरित करने के लिए उपभोक्ता आन्दोलन की समृद्धि के लिए राज्य सरकार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बन्द कर दिया जाना।

❊ राज्य सरकार द्वारा बजट में इस प्रकार के प्रावधान नहीं होना कि वे सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन के लिये अपने बजट से व्यवस्था/वित्तीय सहाय्यक उपलब्ध कराकर कर सके ।

❊ शीर्ष स्तरीय संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना।

भारत सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में वितरकों के माध्यम से जो पहले व्यवसाय किया जाता था, उसे बन्द कर दिया जाना। जैसे एच.एम.टी. घडियाँ, विदेशी सामान, जनता कपडा तथा नियंत्रित कपडे, नियंत्रित तेल का व्यवसाय जिससे सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन प्रभावित हुआ है।

डार्विन के विकासवाद के सिद्धान्त –**survival of the fittest** (योग्यजन जीता है) को हृद्यंगम करते हुए उपभोक्ता सहकारिता आन्दोलन पर दृष्टिगत करने पर यह तथ्य सामने आता है कि सहकारी भण्डारों को जीवित रखने हेतु उनकी प्राणवायु अथवा जीवन ऊर्जा–आर्थिक सुदृढता उन्हें योग्य एवं सक्षम बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसी अनुक्रम में उपभोक्ता आन्दोलन को सफल बनाने के लिये सुधारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है।

भारत सरकार ने उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में एक एक्सपोर्ट समिति का गठन 12 नवम्बर, 1993 को श्री जी.के.शर्मा, रीजनल डायरेक्टर, अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन (आईसीए) की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस कमेटी ने सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन में आ रही समस्याओं / कठिनाईयों के निवारण हेतु निम्न अनुशंसा की है :–

❊ सहकारी उपभोक्ता भण्डारों में उसके सदस्यों की भागीदारी नगण्य है। जब तक यह भागीदारी नहीं बढायी जाती है सहकारी उपभोक्ता भण्डार सफल नहीं हो सकते हैं। अत: सदस्यों की भागीदारी बढायी जानी चाहिये।

❊ जिला स्तरीय भण्डारों में जो राजकीय अधिकारी मुख्य कार्यकारी का कार्य करते हैं, उनके स्थान पर भण्डारों के कर्मचारियों का केडर विकसित किया जाए तथा उनके द्वारा ही भण्डार का संचालन करवाया जाए।

❊ जहां तक सम्भव हो, भण्डारों एवं निर्वाचित संचालक मण्डल ही कार्यरत रहें। भण्डारों में लोकतांत्रित प्रणाली रहे।

❊ जो त्रिस्तरीय उपभोक्ता संस्थाएं गठित की गई, उनमें व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के स्थान पर एक डिसिप्लिन रखा जाए और एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर व्यवसाय ना किया जाए।

❊ भण्डार/संस्थाएं – प्राथमिक/जिला स्तरीय एवं शीर्ष स्तरीय संस्थाओं की पूंजी का विस्तार किया जाए एवं जो छोटी संस्थायें हैं, उनको समाप्त/मर्ज करके सक्षम इकाइयां बनायी जाए और यदि प्राथमिक संस्था कार्य नहीं कर रही है तो उन्हें जिला स्तरीय संस्थाओं में समायोजित कर दिया जाए।

❊ भण्डारों का आकार छोटा होने के कारण विशेषज्ञ कर्मचारी नहीं रख सकते। इसलिए इनका आकार बढाकर इन संस्थाओं के स्वयं के केडर को विकसित किया जाए तथा प्रोफेशनल मेनेजमेंट को बढाया जाए।

❊ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो भण्डारों को कम मार्जिन के कारण घाटा हो रहा है, जहां तक हो सके/जहां आवश्यकता नहीं हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हटा लिया जाए और जो भण्डार सक्षम हों उनसे ही यह कार्य करवाया जाए।

❊ हांलाकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह बिन्दु अपना अस्तित्व खो चुका है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब सीमित उपभोक्ताओं के लिए लागू करते हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं के लिये इसे लागू कर दिया गया है।

❊ भण्डारों की सही क्रय नीति नहीं होने के कारण जो घाटा होता है उसमें संशोधन करके सही क्रय नीति बनायी जाए एवं स्टाक रहे, इनकी नीति रहे, ताकि भण्डारों में व्यक्तिगत लाभ की खरीद नहीं हो।

❊ भण्डारों द्वारा सभी विज्ञापित वस्तुओं को नहीं खरीदकर आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदी जाय, जिसका क्षेत्र में विक्रय हो सके। ताकि भण्डार में बिना बिका माल ज्यादा नहीं रहे।

❊ भण्डारों में जो माल क्षेत्र विशेष के लिये क्रय किया जाता है, उसके विक्रय की व्यवस्था की जाए।

❊ केन्द्रीय प्रतिपादित योजना भारत सरकार ने बन्द कर दी है, उसको पुन: चालू किया जाए ताकि राज्य सरकार के पास वित्तीय सहायता में कठिनाई का निवारण हो सके।

❊ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं को मात्र राज्य सरकार की योजना की क्रियान्विति के लिये कार्य नहीं करवाया जाए। इन्हें भण्डारों के होलसेलर के रूप में कार्य करवाना चाहिये।

❊ राज्य/शीर्ष स्तरीय संस्थाओं में प्रमोशनल एवं कंसल्टेन्सी सैल बनाया जाय ताकि अपनी संस्थाओं का सही मार्गदर्शन कर सके।

❊ संस्थाओं की वार्षिक साधारण सभा समय पर प्रत्येक वर्ष आयोजित की जानी चाहिये ताकि सदस्यों की भागीदारी बढ सके तथा जो संस्थाएं वार्षिक साधारण सभा समय पर नहीं बुलाती है, उनके प्रबन्धकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के प्रावधान लागू किये जाएं।

उल्लेखनीय है कि सहकारिता के वर्तमान स्वरूप को परिमार्जित करते हुए, इसकी मूल अवधारणा से सभी का जुडाव करते हुए, अन्तिम उपभोक्ता एक मध्यस्थों का उन्मूलन करत हुए, आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचाते हुए इसे सार्थक किया जाना अत्यन्त आव्श्यक है।

अन्यथा यह एक आन्दोलन न रहकर एक आम सरकारी योजना बनकर रह जायेगी। संस्थाओं को उनके गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य किये जाने की बाध्यता एवं सहकारिता की समर्पित भावना से काम करने की ओर अनुप्रणित किया जाना अपेक्षित है।

सहकारिता एक पुनीत जन–आंदोलन है, जिससे असंख्य मध्यमवर्गीय एवं दरिद्रनारायण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुडे हुए हैं। जनभावनाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक आधार पर इन संस्थाओं का विकास ही आन्दोलन को सफलता एवं सार्थकता प्रदान कर सकता है। यह वह भागीरथी गंगोत्री है, जिसके तट के किनारे समृद्धि एवं विकास की लहरें अनवरत प्रवाहित होतीं रहती हैं, जिसने चरम उत्थान को नयी दिशा दी है, फसलें खनकने लगती हैं और राष्ट्र को एक नयी धारा एवं दिशाबोध प्राप्त हुआ है।

सहकारिता आज की आवश्यकता है, शोषण मुक्त समाज के निर्माण की अवधारणा तथा परिकल्पना है। सहकारिता आधुनिक समाज का वह कल्पवृक्ष है, जिसकी छाँव एवं स्पर्श से पुष्पित एवं पल्लवित होकर असंख्य अगणित नर नारायण हो गये हैं।

– एस. के. भार्मा

❊❊❊

F$U H$s dgwbr : ‘hÎdnU© ‘Ô

समय पर ऋण वसूली महत्त्वपूर्ण क्यों?

- जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए; उनके कारण ही बैंक चलती है।
- बैंक पर और बैंकिंग पर जनता का विश्वास बढ़ें इसलिए। इस विश्वास के चलते ही अर्थतंत्र और मजबूत होता है।
- बैंक के ऋण व्यवहारों में आत्मविश्वास कमाने हेतु।
- संस्था मुनाफे में रहे इसलिए, अन्यथा अनुत्पादक संपत्ति की तादादा बढ़कर संस्था के अस्तित्व को ही चुनौती मिलेगी।
- ऋण वसूली समय पर होने से नए ऋण देने के लिए निधि उपलब्ध होते रहता है।

ऋण वसूली प्रक्रिया शुरू होती है – ऋण बकाया रहने पर नहीं, बल्कि ऋण देने से पहले! इसलिए ऋण देने से पहले ही जांच लें!

- विचाराधीन ऋण प्रस्ताव बैंक ऋण नीति के अनुकूल है क्या?
- रिजर्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धान्तों से विपरीत नहीं है ना?
- सामाजिक हितों से संघर्ष नहीं है ना?
- ऋणदार एवं गैरंटर के 'अपने ग्राहक को जानो' इस संकल्पना के सारे निकष पूरे होते हैं ना?
- आवेदक की पृष्ठभूमि अपराधिक नहीं है ना? वह समाज में बदनाम नहीं है ना?
- उसकी व्यक्तिगत आदतें कैसी है? नशेखोर नहीं है ना? आलसी नहीं है ना?
- क्या व्यवसाय के लिए उसका अपना निवेश पर्याप्त प्रतीत होता है?
- क्या संबंधित व्यवसाय संभालने के लिए लेनदार के पास शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक क्षमता / अर्हता है? आवश्यक कौशल उसने आत्मसात किए है ना?
- जिन कारणों के लिए ऋण देना है वह कारण वैध है ना? व्यवसाय के लिए आवश्यक अनुमति, लाइसेंस आदी समुचित है ना?
- अगर आगीदारी संस्था, लिमिटेड कंपनी, विश्वस्त संस्था है तो क्या उनके मूल कागजातों का पर्याप्त अध्ययन हुआ है?
- क्रिसिल आदी द्वारा दिखनेवाले क्रेडिट रेटिंग ठीक लगता है ना?
- ध्यान रखें – ऋण मंजूरी से पहले पर्याप्त समय देकर लिया गया साक्षात्कार बहुत उपयुक्त होता है।
- ऋण की मांग उसकी व्यावसायिक जरुरतें पूरी करनेवाली है? ना कम ना ज्यादा! व्यवसाय के लिए आवश्यक संपत्ति के निर्माण के लिए सावधि ऋण की आवश्यकता होती है; इसके अलावा पूंजी आवश्यक होती है; क्या दोनों का समतोल विचार किया गया है?
- क्या भविष्यकालीन आय के स्रोत दिखाते समय प्रस्तुत किये गए आंकड़ें/ आय के आंकड़ें व्यावहारिक लगते है? पूरे व्यय को देखते हुए मुनाफा दिखाया गया है ना? केवल हवाई किले नहीं है ना?
- क्या लेनदार के हाथ में ऋण चुकाने के लिए आनेवाली रकम और बैंक द्वारा दिया गया सावधि ऋण चुकाने का कार्यक्रम – इनका आवश्यक रेशो (debt service coverage ratio - DSCR) 2:1 (कम से कम 1.5:1) है?
- क्या पूंजी की मांग और आवेदक का अपेक्षित वार्षिक कारोबार का मेल बैठता है?
- क्या ज्यादा तारण उपलब्ध है? वह पर्याप्त लगता है? क्या वह निर्बाध है?
- क्या जामीनदार सक्षम एवं स्वीकारार्ह लगते हैं?
- ऋण मंजूरी से पूर्व उसके जगह का प्रत्यक्ष मुआयना अनिवार्य है। वैसा रिपोर्ट रिकार्ड में होना चाहिए।
- ऋण लौटाने की किश्त उसके आर्थिक पहुंच में होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ऋण लौटाने की किश्त के लिए छूट का अवधि अवश्य दें।

दस्तावेजीकरण (documentation) एवं उनका समुचित पंजीकरण (Registration)

दस्तावेजे के संबंध में 'ग्राहक सेवा' के नाम पर कोई भी समझौता

नहीं चाहिए।

दस्तावेज लेते समय वे मंजूरी के सभी नियमों एवं शर्तों को ध्यान में लेते हुए, कोई समझौता किए बिना करना चाहिए। 'बाद में करेंगे' यह नहीं चलेगा।

आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरना चाहिए।

सभी दस्तावेजों पर सभी संबंधित लोगों के हस्ताक्षर शाखा में समुचित अधिकारी के समक्ष होने चाहिए।

जहां आवश्यक वहां रबर के ठप्पे, सील, संस्था के यथोचित प्रस्ताव उपलब्ध है इसको सुनिश्चित करना चाहिए।

सभी कागजात हस्ताक्षर होने से पहले ठीक से भरे जाने चाहिए। (कई बार नहीं होते।)

पंजीकृत तारण गिरवी (Registered Mortgage), सम्यक तारण गिरवी (Equitable Mortgage) आदि की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए।

ऋण व्यवहार ध्यान में रखते हुए वाहन पंजीकरण अधिकारी (RTO), सहकारी गृह निर्माण संस्था, सेन्ट्रल रजिस्ट्री, कंपनी रजिस्ट्रार आदि के पास बैंक के ऋण/ तारण का समुचित पंजीकरण निश्चित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

फालो अप

- ऋण वितरण करते समय लेनदार के हाथ में ऋण रकम न देते हुए उसे आवश्यक संपत्ति कैसे मिलेगी, यह देखें। इसके लिए ऋण वितरक (distributor) सीधा होना चाहिए। जिस कारण के लिए ऋण मंजूर किया गया है, उसी कारण के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए।
- संपत्ति खरीद की रसीदें रिकार्ड में रखें।
- ऋण वितरण के बाद प्रत्यक्ष मुआयना होना ही चाहिए। बाद में भी समय समय पर समक्ष भेंट देनी चाहिए।
- क्या तारण संपत्ति का सर्व समावेशी, पर्याप्त, बैंक के नाम सहित बीमा कराया गया है? समय समय पर उसका यथायोग्य नूतनीकरण किया गया है? क्या बीमा दावा (अगर हो) प्रक्रिया लेनदार को समझाई गई है?
- अगर यह खाता सरकारी अनुदान मिलने के पात्र है, तो अनुदान मिलने के लिए त्वरित प्रयास आवश्यक है।
- सावधि ऋण खाते की किश्त वसूल करने के लिए कॅश क्रेडिट / बचत खाते में स्थायी सूचना लेना बेहतर है। अपने पास लेनदार का खाता न हो तो अगले तारीख के चेक अथवा विज़ाणू समाशोधन यंत्रणा के द्वारा (eletronic clearing system - ECS) सूचना लें।
- ऋण किश्त देय होने के बाद तुरंत लेनदार को सूचना दी जानी चाहिए। किश्त बकाया होने पर गैरेंटर का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।
- क्या जहां आवश्यक वहां जुर्माना ब्याज लिया जाता है?
- निश्चित किश्त से थोड़ी ज्यादा रकम भरने के लिए लेनदार को प्रवृत्त करना लाभदायक होता है। पहले से वसूली होने के कारण ऋण अनुत्पादक' (NPA) होने से बचता है।
- अगर कैश क्रेडिट दिया गया है तो क्या प्रति माह दुकान/ कारखाने की तारण संपत्ति का विवरण पत्र आता है, एडवांस क्षमता समुचित रूप से दर्ज होती है – ये बातें महत्त्वपूर्ण हैं।
- वर्ष में कम से कम एक बार क्रेडिट लिमिट का जायजा लेना होता है, यह समय सारणी संभालनी चाहिए। खाता संतोषदायक न हो तो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
- जायजा लेते समय वार्षिक कारोबार, कर भरना, स्वामित्व अधिकार में बदल (अगर हो तो) (जैसे भागीदारी में बदलाव) का संपूर्ण विचार करना है।
- यह भूलना नहीं चाहिए, कि वार्षिक जायजे के जितना ही महत्त्व प्रासंगिक जायजे को भी है।
- इस समीक्षा के कारण लेनदार का व्यवसाय ठीक से चल रहा है अथवा नहीं, इसका अंदाजा आता है। कोई संबंधित मृत तो नहीं हुआ, यह जाना जाता है और उसके अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।
- ऐसी समीक्षा सावधि ऋण के लिए भी चाहिए।
- प्रति वर्ष (लेकिन न्यूनतम तीन वर्ष पूरे होने से पहले) लेनदार और गैरेंटर से ऋण शेष बकाया होने का तथा बैंक को तारण दी गई संपत्ति ठीक होने की सुनिश्चिती करनेवाला पत्र लेना ही चाहिए। अन्यथा दस्तावेज कालबाह्य होकर अपने कानून अधिकार लागू करने में बाधाएं आएगी।
- आम तौर पर हर तीन वर्षों बाद अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना बेहतर!
- ऋण बकाया रहने लगे, क्रेडिट लिमिट खाता असंतोषदायक लगने लगे तो त्वरित लेनदार / गैरेंटर से संपर्क कर वास्तव में कौन सी बाधाएँ है, यह जांचना चाहिए। संवाद से मार्ग निकल सकता है। यह सूत्र ध्यान रखें, कि समय पर लगाया गया एक टांका अगले सौ टांके बचाता है!
- कभी कभी योग्य मामले में ऋण की पुनर्रचना करना आवश्यक होता है।
- निगयमित लेनदार के कुछ नए ऋणप्रस्ताव हो तो उनका विचार प्राथमिकता और सहानुभूति से होना चाहिए।
- सभी ऋण खातों का संकलित जायजा लेना आवश्यक; कितने खातों में एक महीने का बकाया है, कितने खातों में दो महीनों का बकाया है, यह समझने पर त्वरित उपाय योजना करना संभव होता है। (तीन महीनों के बकाये से खाता 'अनुत्पादक' बनता है।) जिस खाते में लगातार दो महीनों से बकाया हो उन खातों पर खास ध्यान रखना आवश्यक है।
- कोई भी खाता यकायक 'अनुत्पादक' नहीं बनता, पहले लक्षण दिखने लगते हैं। वे समझने चाहिए जिससे उपाय किए जा सकते हैं।
- सोना तारण / शेअर तारण ऋण के संबंध में सोने/शेअर के प्रतिदिन बदलनेवाले दरों पर नज़र रखनी चाहिए। दर गिरने लगे तो बकाया राशि और तारण संपत्ति का कुल मूल्य इसमें आवश्यक मार्जीन रहता है ना, इसकी ओर ध्यान होना चाहिए।
- दो लाख रुपयों से कम रकम के सोना तारण ऋण को ऋण चुकाने के लिए मासिक किश्त नहीं दी जाती। लेकिन एक वर्ष से पूर्व यह खाता बंद न हो तो खाता 'अनुत्पादक' होने की संभावना बढ़ती है, इसलिए किस खाते का एक वर्ष समाप्त हो रहा है, इसकी सूचि प्रतिमाह होना आवश्यक है।
- जिस खाते में मार्जीन रकम हो रही है, उस खाते का 'अनुत्पादकता' की ओर सफर शुरू हो चुका है। उन्हें तुरंत पूर्वसूचना देकर तारण जेवरातों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।
- कृषि ऋण के लिए आम तौर पर ऋण चुकाने की वार्षिक किश्त दी जाती है। यह प्रतिवर्ष 30 जून से पूर्व भरना आवश्यक होता है। किश्त देय होने की सूचना उसे 1 अप्रैल के बाद तुरंत दी जानी

चाहिए, तभी 30 जून से पहले वसूली मिलेगी।

* अगर प्राकृतिक आपदा दिखें तो उसके संबंध में सरकार की घोषणा की ओर ध्यान देना जरूरी है। बीमा दावा प्रस्तुत करना, सरकारी मदद का उचित लाभ लेना इन बातों की ओर ध्यान होना चाहिए।

खाता अनुत्पादक होने पर

खाता अनुत्पादक होने पर बैंक की मुनाफे की क्षमता पर दोहरा आघात होता है। इस खाते से मिलनेवाला ब्याज (हिसाब में न लेने के कारण) रुकता है, साथ ही ऋण का दर्जा गिरने के कारण डूबे हुए ऋण के निधि हेतु अधिक प्रावधान करना पड़ता है। अन्य खातों द्वारा कमाया हुआ मुनाफा भी ये अनुत्पादक ऋण खाते गटक जाते हैं। अनुत्पादक संकल्पना ऋण क्यों बकाया रहते है, इसका विचार नहीं करते। लेकिन बैंक को ऋण क्यों बकाया रहे इसका विचार कर सोचना चाहिए, कि क्या लेनदार को कुछ मदद की जा सकती है, पत्थर के नीचे फंसा हुआ अपना हाथ कैसे छुड़ाया जा सकता है। सभी लेनदार जानबूझकर 'ऋण डूबानेवाले' नहीं होतें।

1. जो खाते नए से अनुत्पादक बने हैं, उनकी वसूली पर जोर देकर उन्हें इस श्रेणी से बाहर निकालना आसान होता है, वैसा प्रयास होना चाहिए।
2. 'अनुत्पादक' वर्गीकृत करते समय बंधक संपत्तियों पर विचार नहीं किया जाता है; अब यह किया जाना चाहिए। जहां भी आवश्यक हो, तारण संपत्ति का पुनः मूल्यांकन होना चाहिए। डूबे हुए ऋण की निधि का प्रावधान करने के लिए यह आवश्यक होगा; यदि तारण की कम है, तो यह देखने की आवश्यकता है कि क्या अतिरिक्त तारण प्राप्त किया जा सकता है या नहीं।
3. यदि संभव हो, तो ऋण पुनर्गठन कर (अवधि बढ़ाकर) इसे हासिल किया जा सकता है; हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस तरह के पुनर्गठन के समय गैरंटर की सहमति रिकार्ड पर रखी जानी चाहिए।
4. कुछ मौकों पर, पूरी तरह से अध्ययन कर नई अर्थ सहायता प्रदान करना भी फायदेमंद हो सकता है; लेकिन इसमें अधिक जोखिम है।
5. जिन खातों पर दावे ठोंकना ही आवश्यक हो, बंधक संपत्तियों को कब्जे में लेना आवश्यक हो, वहां वह कार्रवाई शीघ्र होनी चाहिए। यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि देरी होने पर बंधक संपत्ति का मूल्य कम होने की संभावना है।

ऋण वसूली सूचना (नोटीस)

पुनर्भुगतान के पूरे कार्यक्रम को रद करते हुए सभी राशि को एकमुश्त लौटाने की सूचना (नोटीस) देना कभी-कभी आवश्यक होता है। हालांकि, ऐसी सूचना देने से पहले दस्तावेजों की जांच करें। कहीं हस्ताक्षर, कहीं ठप्पे, कहीं तारीख जैसे विवरण भरना रह गया है। निरीक्षण विभाग, लेखा परीक्षक द्वारा कुछ त्रुटियां दिखाई ई हो, टिप्पणियां की गई हों।

उन सभी अपर्याप्तताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाना चाहिए। एक बार जब आप ऋण वसूली नोटीस भेजते हैं, तो लेनदार की मदद लेना मुश्किल होता है।

ऐसा नोटीस देने से पहले क्या लेनदार, गैरंटर की कुछ जमा राशि बैंक के पास है, खाता वर्गीकृत करने का अधिकार (राईट ऑफ सेट ऑफ) लागू करना संभव है इसकी जांच करना बेहतर है। यदि हां, तो नोटीस में इसका उल्लेख किया जा सकता है।

1. ऋण वसूली नोटीस वकील के माध्यम से भेजना अनिवार्य नहीं है। लेकिन वह ज्यादातर अधिक प्रभावी हैं।
2. इस तरह की सूचना में शेष ऋण, बंधक संपत्तियों के मूल राशि, न लगाया ब्याज, अन्य खर्च आदि पूर्ण विवरण आने चाहिए।
3. यदि कब्जा गिरवी (प्लेज) वस्तु बेचनी है, तो स्पष्ट उल्लेख (बिक्री प्रक्रिया सहित) करें। साथ ही तारण बिक्री से अन्य ऋणों को पुनर्प्राप्त करने के अधिकार के बारे में (राईट ऑफ लीन) अबाधित है, इसका पूरा अहसास दिलाएं।
4. यह नोटीस सभी लेनदारों और गारंटरों को जाना चाहिए। यदि उनमें से कोई भी मृतक है, तो वे रिश्तेदारों के उत्तराधिकारी को भेजे जाते हैं।
5. बैंक के पास दर्ज अंतिम पते पर, यथासंभव अंतर्देशीय पत्र पंजीकृत मेल (पंजीकृत एडी) द्वारा भेजना सही है। यदि नोटीस स्वीकृत नहीं की गई तो लौटा हुआ पैकेट खोले बिना रिकार्ड में रखें। अदालत में वह और अधिक ग्राह्य बनता है।
6. इसके बाद सर्फाफी कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

इस तरह की सूचना दिये जाने के बाद, लेनदार ने बैंक से संपर्क कर कुछ रकम का भुगतान कर (अथवा किए बिना) कुछ अवधि मांग लिया, बैंक ने वह दिया, तो इस व्यवस्था को (समझौते को) गैरंटर की नए सिरे से संमति रिकार्ड में रखना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा उनका उत्तरदायित्व समाप्त होता है।

नोटीस अदालत में मामला दर्ज करने में पहला कदम है। इसके बाद, मामला उचित अदालत में लेना उचित है।

आम तौर पर बैंक सिविल कोर्ट जाना पसंद करते हैं; लेकिन दुर्लभ मामलों में, आपराधिक दावों को भी चलाने के लिए मजबूर किया जाता है। न्यायिक कार्यवाही की चर्चा इस लेख में टाल दी गई है, यह एक अलग विषय होगा। लेकिन एक बात की ओर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, दावा करने के बाद भी लेनदार और गैरंटर से सतत संपर्क में रहना बहुत फायदेमंद है।

अदालत के बाहर कुछ उपाय हो सकते हैं। इनमें से एक है सुलह की वसूली। इसमें प्रलंबित ब्याज में कुछ छूट देकर, दुर्लभ मामलों में, मूल राशि में भी छूट देकर वसूली करना। इसके संबंध में, रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के संदर्भ में सहकारिता विभाग ने कुछ दिशानिर्देश दिए हैं, उन्हें उनका पालन करना होगा।

जब सुलह से खाता बंद हो जाता है, तो बैंक नुकसान उठाता है। नए सिरे से वसूली का प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लेनदारों को उनको गैरंटरों को पुनः ऋण देते समय दस बार सोचना होगा।

जब ऋण वसूली की संभावना पूरी तरह से नष्ट होती है, तब बैंकों के पास ऋणों का निर्लेखन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। सभी शेष ऋण राशि मुनाफा-घाटा खाते में डालकर वे बैलेंस शीट से निकाल दिए जाते है। इस प्रकार, बैंकों की बैलेंस शीट अधिक पारदर्शी हो जाती है; साफ होती है। प्राप्तिकर से भी कुछ छूट मिलती है।

इस तरह का निर्लेखन बैंकों की अनिवार्यता है। निर्लेखन यानि ऋण माफी निश्चित ही नहीं है। निर्लेखित करने के बाद भी ऋण वसूली के प्रयास जारी रखने पड़ते हैं। बैंक के ऋण वसूली के कानूनी अधिकार जारी रहते हैं। अगर अदालत में वसूली के लिए दावा है, तो इसे भी जारी रखा जा सकता है।

भविष्य में मौका मिलने पर ऋण वसूल किया ही जाता है। निर्लेखित ऋण की वसूली का मतलब है कि बैंक का सौ प्रतिशत लाभ।

***

ghH$mar CÚ‘ - ‘{hbm ge³VrH$aU H$m gdm©Îm‘ gmYZ

1) महिला सशक्तीकरण – समय की माँग

'जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है, किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उडना संभव नहीं है'। विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन भारतीय परिवार की धुरी रूपी महिलाओं को शिक्षित करने, जागरुक बनाकर उनकी समग्र स्थिति में सुधार लाने के महत्त्व को दर्शाता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि किसी भी राष्ट्र, राज्य एवं समुदाय की शक्ति उसके मानव संसाधनों में निहित होती है। हमारे देश के मानव संसाधन में लगभग पचास प्रतिशत महिलाओं का समावेश है। भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति, लिंग भेदभाव एवं महिलाओं का शोषण आज हम सब के लिए प्रमुख चिंता के विषय हैं। महिलाओं को लेकर लैंगिक मुद्दे, महिला विकास एवं महिला सशक्तीकरण पर कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर गहन चिन्तन-मनन चल रहा है। बीते कुछ एक वर्षों से महिलाएं राजनीति, प्रशासकीय सेवा, विज्ञान, उड्डयन, कला, साहित्य, कानून, स्वास्थ्य एवं खेलकूद आदि सभी क्षेत्रों में काफी संख्या में आ रही हैं। महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित की गई विशिष्ट उपलब्धियों हेतु राष्ट्र उन्हें समय-समय पर गौरवान्वित भी करता रहता है। कुछ लोग इसे महिला सशक्तीकरण समझते हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं में आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता प्राप्त करना ही सच्चे अर्थों में सशक्तीकरण है। महिलाओं का सशक्तीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है।

सक्षमता, सामर्थ्य, सम्पन्नता, सबलता एवं सुयोग्यता नारी सशक्तीकरण की प्रमुख पहचान है। महिला सशक्तीकरण में मुख्य रुप से पांच घटकों : 1) महिलाओं का स्वयं के महत्त्व, गौरव, मूल्य के बारे में संज्ञान 2) उनका संपत्ति का अधिकार एवं चयन निर्धारण करने की स्वतंत्रता 3) अवसरों एवं संसाधनों तक पहुंचने का उनका अधिकार 4) घर के अन्दर तथा घर के बाहर स्वयं की जिन्दगी को नियंत्रित करने की शक्ति का अधिकार एवं 5) उनकी सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की योग्यता का समावेश होता है जिससे की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर न्याय संगत आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की रचना की जा सके।

सहकारिता के सिद्धान्तों पर आधारित उद्यम इन सभी उपरोक्त वर्णित महिला सशक्तीकरण के प्रत्येक घटकों को सम्बोधित करता है और विश्व के तमाम देशों में कार्यरत महिलाओं को सच्चे अर्थों में सशक्तीकरण के अवसर प्रदान कराता है। संक्षेप में, महिलाओं की आत्मशक्ति को जगाना एवं खोई हुई क्षमता को प्रदान कराना महिला सशक्तिकरण का एकमात्र लक्ष्य है, इसके लिए सहकारी उद्यम से बढकर कोई दूसरा विकल्प, साधन अथवा माध्यम पूरे विश्व में नहीं है। जब तक महिलाएं आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलंबी एवं सशक्त नहीं बन जाती है तब तक उन्हें वर्तमान पुरुष प्रधान समाज में समानता एवं स्वतंत्रता की अधिकार नहीं मिल सकेगा। भले ही हमारे संविधान में एवं विभिन्न कानूनी प्रावधानों में कुछ भी कहा गया हो एवं लिखा गया हो, उदाहरणस्वरूप संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे कि अनुच्छेद 14 में महिलाओं की कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में महिलाओं के साथ भेदभाव की मनाही, अनुच्छेद 16 (1) एवं 16 (2) में पुरुषों एवं महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के रोजगार के संबंध में समान अवसरों को अधिकार, अनुच्छेद 18 में सार्वजनिक नियोजन के मामले में पुरुष एवं महिलाओं के मध्य रोजगार अवसर समानता की गारंटी अनुच्छेद 39 (क) महिलाओं तथा पुरुषों के लिए समान रूप से आजीविका के एक उपर्युक्त साधन के अधिकार की चर्चा की गई है। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर इन कानूनी प्रावधानों की वास्तविक स्थिति तथा सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और स्थिति से पाठकगण भलीभांति अवगत हैं।

महिलाओं की सहकारिता द्वारा स्थापित उद्यमों में भागीदारी आत्मनिर्भरता की सीढी है। इस पर चढकर वे आर्थिक एवं सामाजिक विकास रूपी सफलता के शिखर पर आसानी से पहुंच सकती है। क्या सहकारी उद्यमों में महिलाओं के सर्वांगीण विकास की ऐसी सभी संभवानाएं विद्यमान है जो महिलाओं को उनके कार्यों के अनुरूप कार्य, रोजगार एवं व्यवसाय के व्यापक अवसर प्रदान कर उनके खाली समय का सदुपयोग करने, आमदनी में वृद्धि करने, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने, अन्याय, शोषण, तिरस्कार, वंचना तथा अनेक अनावश्यक बंधनों से मुक्ति दिलाकर उनके चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस प्रकार सहकारी उद्यमों द्वारा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर ही महिलायें स्वयं को शोषण से मुक्ति, विवशता से छुटकारा प्राप्त कर, अपनी आत्मशक्ति जागृत कर अपनी खोई हुई अस्मिता, क्षमता को पाकर ही अपने को सशक्त बना सकती है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु महिलाओं का सशक्तिकरण करना आज समय की सबसे बडी मांग है।

2) सहकारितायें महिला सशक्तीकरण का श्रेष्ठ विकल्प :

अ) महिला सशक्तीकरण में सहकारितायें - एक साधन एवं साध्य :

सहकारिता मानव के सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास की विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। अत: महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न, सशक्त बनाने का सहकारिता एक श्रेष्ठ एवं सहज साधन है। इसी सत्य को उजागर करते हुए आईसीए के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री डब्ल्यू. पी. वाटिकाय ने वुरेमोथ में आयोजित कांग्रेस (1963) में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि सहकारी आंदोलन महिलाओं के अज्ञानता, गरीबी, जालसाजी तथा सामाजिक हीनता से मुक्ति दिलाने का एक सशक्त साधन है। सहकारिता के माध्यम से महिलायें रचनात्मक कार्यों की ओर अग्रसर होकर अपनी शक्तियों एवं संसाधनों को एकत्रित करके अपनी खोई हुई शक्ति को बढा सकती हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी जी ने भी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी समिति नई दिल्ली (1980) में ङ्कसहकारिता में महिलाओं की भागीदारीफपर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था कि सहकारी समितियों में महिलाओं का स्तर उठाने के लिए अपार संभावनाएं भरी पडी है, यह उनके विकास हेतु एक बहुत ही व्यावहारिक मंच है। अत: महिलाओं को सहकारिता आंदोलन में सदस्य, पदाधिकारी एवं कर्मचारी के रूप में शामिल करना उनके स्वस्थ विकास के लिए साधन एवं साध्य दोनों ही साबित हो

सकता है, वह साधन इसलिए है क्योंकि यह महिलाओं को योजना बनाने तथा सहकारी सेवाओं तक पहुंचने का सुअवसर प्रदान करता है तथा साध्य इसलिए है क्योंकि महिलाओं को अपने विकास के लिए महत्त्वपूर्ण विधायक एवं प्रशासनिक नीतियों पर अपने विचारों को व्यक्त करने का स्व-प्रबंध वाला एक संस्थागत मंच मिल जाता है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम, स्वावलम्बी बनाने में भारतीय सहकारिता आंदोलन एक मुख्य आधार है। इसलिए सहकारिता के लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्वतंत्र सहकारी समितियां देखने को मिलती है एवं यह महिलायें सशक्तीकरण हेतु एक रचनात्मक कदम है। वर्ष 2006-07 के आंकडों के मुताबिक, देश में 12,469 महिला सहकारिता समितियां कार्यरत हैं। यद्यपि देश के सहकारी आंदोलन की तुलना में तथा महिलाओं की लागत 50 प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से वर्तमान में कार्यरत महिला सहकारी समितियों की संख्या बहुत ही नगण्य है जो कि भारत जैसे लोकतांत्रिक एवं समाजवादी संरचना के सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र के लिए तथा जहां विश्व का सबसे बडा सहकारी आंदोलन विकसित है, ऐसे देश के लिए सिर नीचा करने वाली बात है। लेकिन देश में मौजूद कुछ एक महिला सहकारी समितियों ने जिनमें (गुजरात), महिला इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी बंगलौर, वर्किंग वुमन्स फोरम तथा इंडियन कोआपरेटिव नेटवर्क वुमैन्स चेन्नई, अनेक महिला नागरिक सहकारी बैंकों तथा महिलाओं के असंख्य स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्यमों जिनमें लिज्जत पापड गृह उद्योग मुम्बई, मा. अन्ना हजारे जी आदि ने गुणवत्ता एवं सफलता में विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं। इन कुछ एक सफल उदाहरणों से यह सिद्ध हो चुका है कि देश में महिलाओं की सहकारी समितियों तथा सहकारी उद्यमों के विकास की अपार संभवानायें है एवं उचित अवसर एवं समर्थन प्रदान किये जाने पर महिलाएं विकास कार्य के सभी क्षेत्रों में सक्रियता से भाग लेकर दुर्लभ समस्याओं का आसानी से समाधान कर सकती है तथा वे बहुत ही समृद्ध मानव संसाधन साबित हो सकती है, जो राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका अदा कर सकती है।

ब) महिलाएं-सहकारी मूल्यों की प्रतिमूर्ति :

सहकारिता के मूल्य एवं सिद्धान्त महिलाओं के सशक्तीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सहकारिता आन्दोलन में एक सदस्य और सक्रिय भागीदारी के रूप में महिलाओं को शामिल करके सहकारिताएं उनके सर्वांगीण विकास में साधन एवं साध्य दोनों ही भूमिका निभाती हैं। इससे महिलाओं को निर्णय लेने, योजना बनाने एवं सहकारी सेवाओं तक पहुंचने के अवसर मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाओं को महिलाओं से संबंधित वैधानिक और प्रशासनिक नीतियों के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक स्व-प्रबन्धित संस्थागत मंच उपलब्ध होता है। खुली सदस्यता लिंग के आधार पर मतभेद न करना, समुदाय के प्रति निष्ठा एवं लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण के सिद्धांतों से सहकारिता महिलाओं के लिए, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक अत्यंत उपयुक्त व्यवस्था है।

सहकारिता मानवीय मूल्यों से ओत-प्रोत विचारधारा है। आत्म-सहायता, मितव्ययता, ईमानदारी, खुलापन, स्व-उत्तरदायित्व, जनतांत्रिक कार्यप्रणाली, सामाजिक उत्तरदायित्व, अपनत्व एवं भाईचारे की भावना पर हित चिंतन जैसे सहकरिता के आधारभूत मूल्य भारतीय महिलाओं के जीवन के भी मूलभूत मूल्य है। अत: सहकारिता महिलाओं के आधारभूत मूल्यों के एकदम निकट होने के कारण उनके विकास में प्रभावकारी ढंग से सहायक हो सकती है।

स) उद्यमिता विकास हेतु आवश्यकता गुण महिलाओं में जन्मजात :

भारतीय महिलायें शुरु से ही अपने आसपास के परिवेश में कार्य करते हुए प्रबंध कौशल के गुणों से परिपूर्ण होती हैं। इसीलिए यदि इस प्रक्रिया को और आगे बढाते हुये उन्हें एक व्यावसायिक/ औद्योगिक इकाई चलाने का अवसर मिलता है तो संभव है कि ये उसे उतनी ही सक्षमता से चला सकें। कम से कम संसाधनों में कार्य करने की प्रवृत्ति तथा अपने को घर व बाहर के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं में सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने में निपुण होने के कारण वे उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम कर सकती हैं। महिलाओं में अनेक ऐसे गुण, दक्षताएँ, कौशल आदि जन्मजात, परम्परागत एवं स्वभावगत होते है, उनको ध्यान में रखकर सहकारिता के माध्यम से आर्थिक क्रिया-कलाप अपनाकर उन्हें सशक्तीकरण की राह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप महिलाओं में रचनात्मक कार्य करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, अक्सर सभी कार्य मिल जुल कर, पारम्परिक सहयोग से सम्पादन करने की आदत, मितव्ययता तथा बचत करने की प्रवृत्ति एवं संगठन क्षमता महिलाओं में खूब होती है। इसके अतिरिक्त, अनेक प्रबंधकीय गुण जैसे आयोजन करना, निर्दे शन देना, असरकारक सम्प्रेषण करना, दूसरों को प्रेरित करना, प्रामाणिकता, प्रतिबद्धता, विश्वसनीय, संवेदनशीलता, अनुशासन एवं विद्धता आदि में वे हमेशा पुरुषों से आगे होती हैं।

यदि महिलाओं के इन स्वभावगत, जन्मजात गुणों को निखरते, तरासने का सार्थक प्रयास/अवसर, परिवार माता-पिता अथवा सहकारी संस्था एवं किसी अन्य रचनात्मक संगठन आदि द्वारा किये जाते हैं तब ही अनेक सफल महिलाएँ राष्ट्र के पटल पर उभर कर आ पाती है एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी, महामहीम श्रीमती प्रतिभा ताई पाटिल, श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती वसुंधता राजे, कुमारी शैलजा, सुश्री जयललिता, श्रीमती शीला दीक्षित, कु. मायावती, सुश्री ममता बॅनर्जी, डॉ. किरण बेदी, श्रीमती इलाबेन भट्ट, श्रीमती शकुन्तला देवी आदि जैसे अनेकों मानव रत्न राष्ट्र को मिलते हैं।

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक उद्यमों का सहारा लेकर जब महिलाओं में छिपी हुई प्रतिभाओं को तराशकर, निखारकर एवं विकास करके उनके सर्वांगीण विकास हेतु सार्थक प्रयास किए जायेंगे तभी उन्हें अपने आत्म-गौरव, स्वाभिमान का अहसास होगा, तभी वे समाज में मौजूद विभिन्न अवसरों का, संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेंगी, अपने जीवन की स्वयं निर्देशिका, नियंत्रिका बनकर सही समाज, राष्ट्र के सार्थक निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगी।

3) सहकारी उद्यमों के द्वारा महिला सशक्तीकरण हेतु कुछ सुझाव :

अत: देश के विभिन्न भागों में महिलाओं द्वारा सहकारिता के माध्यम से शुरु किए गये विविध आर्थिक क्रिया-कलाप, उद्यमों द्वारा न केवल अपनी क्षमताओं, दक्षताओं, कौशल्यों, नेतृत्व एवं प्रबंधकीय गुणों का विकास किया है। बल्कि वे अपने भाग्य एवं भविष्य की स्वयं निर्णायक बन गई है एवं सहकारिता के माध्यम से आर्थिक उद्यम उनके सशक्तीकरण का एक श्रेष्ठतम विकल्प उभर कर सामने आया है। महिला सशक्तीकरण के इस विकल्प को सहकारी क्षेत्र में व्यापक बनाने हेतु जहां एक ओर महिलाओं के सशक्तीकरण में बाधक, अडचन डालने वाले अनेक नीतिगत, वैधानिक, आर्थिक, मनोसामाजिक आदि अवरोधों को शीघ्रतम दूर करना आवश्यक है।

वहीं दूसरी ओर महिलाओं को आर्थिक क्रिया कलापो, उद्यम अपनाने हेतु तैयार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा महिला सहकारी समितियों, संघों का ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक गठन करने, देश में विद्यमान सभी प्रकार की एवं सभी स्तरों पर मौजूद सहकारी समितियों में आधी से ज्यादा सदस्यता अनिवार्य रूप से महिलाओं हेतु निर्धारण करने तथा उन्हें सक्रिय सदस्य बनाने हेतु प्रबंधकीय एवं नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करने, ङ्गसहकारी माध्यम से चलाया जाने वाले आर्थिक उद्यम ही महिलाओं के सशक्तीकरण का श्रेष्ठतम विकल्प हैफविषय पर राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं पंचायत स्तर पर सम्मेलन, गोष्ठियों का आयोजन करने, इस विषय पर जागरुकता लाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने, महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सहकारी

शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने, महिलाओं में सहकारी उद्यमिता विकास हेतु डिप्लोमा कार्यक्रम, नियमित एवं दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत प्रारम्भ करने आदि कदम अनिवार्य रूप से उठाने होंगे। सहकारी आन्दोलन की शीर्षस्थ संस्थाओं द्वारा उठाए जाने वाले उपरोक्त वर्णित सुझावों के साथ-साथ अधोवर्णित सुझावों पर अविलम्ब कदम उठाने की भी सख्त आवश्यकता है :-

क) महिलाओं हेतु उद्यमिता विकास की सार्थक शिक्षा का प्रबंध करना : महिलाओं को सहकारिता के द्वारा राष्ट्रीय विकास की धारा में, सक्रिय भूमिका अदा करने हेतु उन्हें उद्यमिता विकास हेतु शिक्षित एवं जागरुक करना अति आवश्यक है। इसके लिए सभी प्राथमिक, प्रखण्ड (तालुका) एवं जिला स्तर की सहकारी संस्थाओं/संघों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी महिलाओं के लिए सहकारी उद्यमिता शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने हेतु विशेष उपाय करें जिससे महिलाओं में उद्यमिता विकास के साथ-साथ अपने अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में जागरुकता पैदा होगी। अन्याय, शोषण से लडने की नैतिक शक्ति पैदा होगी। उनमें सरकार की विभिन्न योजनाओं, कानूनी सुविधाओं के लाभों को उठाने की योग्यता विकसित होगी।

ख) महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता पैदा करना : महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता का विकास करना परम आवश्यक है। महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए सहकारिताओं को महिलाओं में कौशल विकास करके उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना, रोजगारान्मुखी व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, लघु एवं कुटीर उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना, स्व-रोजगार प्रवृत्तियों को बढावा देना, छोटी-छोटी बचत करने की आदत विकसित करना, पुरुषों के समकक्ष पारिश्रमिक प्रदान करना, कृषि, पशुपालन सेवा क्षेत्र से जुडना एवं उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करने की सानुचित व्यवस्था करना आदि क्रिया-कलापों को अपनाने, कार्यान्वित करने की सख्त जरुरत है।

ग) महिलाओं में कौशल विकास एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना : महिलाओं के सशक्तीकरन हेतु उनकी क्षमताओं, कौशलों एवं विभिन्न प्रकार की योग्यताओं आदि को विकसित करना अति आवश्यक है। महिलाओं को जीवन के प्रारंभिक वर्षों में घरेलू कामकाज सिखाने प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है लेकिन उनके बाहरी क्रिया-कलापों में भाग लेना, विभिन्न उद्यमों को सीखने तथा विभिन्न मानसिक, संवेगात्मक योग्यताओं, दक्षताओं को बढाने पर, विकसित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार यद्यपि सहकारिताओं में कोरम पूर्ति हेतु महिलाओं की भागीदारी का प्रावधान है लेकिन सहकारी संस्थाओं/संघों के संचालन, प्रबंधन आदि में उन्हें पूरे देश में कहीं भी समता एवं समान अवसर प्राप्त नहीं कराये जाते है। विभिन्न सहकारी संघों/समितियों का प्रबंध महिलाओं द्वारा करने पर ही उनमें सुशासन, ईमानदारी, मितव्ययता, निष्ठा, लगन, उत्तरदायित्व जैसी योग्यताएं, दक्षताऐं विकसित होगी तथा सहकारी समितियों के गठन, संचालन, बैठकों में भाग लेने, परस्पर विचार-विमर्श करने, योजनाएं बनाने, उनका क्रियान्वयन करने जैसी अनेक कार्य करने पर ही उनमें विभिन्न कौशल्यों तथा निर्णय करने की क्षमता आदि का विकास होगा जिससे उनमें आत्मविशास, आत्मनिर्भरता तथा आत्मगौरव की भावना विकसित होगी। सहकारिताओं में महिलाओं की अहम भागीदारी को देखकर पुरुषों की रुढीगत सोच तथा मानसिकता में भी बदलाव आयेगा।

घ) महिला उद्यमिता विकास में बाधक विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक अडचनों को समाप्त करना। : सदियों से महिलाओं को पुरुष प्रधान, अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक बंधनों में जकड कर रखा है। महिलाओं की उपेक्षा जन्म से ही प्रारम्भ हो जाती है। परिवार एवं समाज, कार्य करने की स्थलों पर सब जगह ही उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है। उनके किसी भी प्रकार के सकारात्मक कार्य योगदान एवं उपलब्धि आदि को न तो परिवार द्वारा, न समाज द्वारा, न अधिकारियों द्वारा तथा न तो नेतृत्व द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। सब तरह से महिलाओं को सत्ताहीन, अधिकारहीन तथा शक्तिहीन बनाकर रखा जाता है। उनके साथ अमानवीय, अन्यायपूर्ण व्यवहार कदम-कदम पर किया जाता है। इन सभी गलत, रुढिगत एवं घटिया स्तर की मान्यताओं, विश्वासों, सोच के कारण महिलाओं को लाभकारी उद्यमों को प्रारंभ करने की इजाजत ही नहीं दी जाती है।

अत: महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु उपरोक्त वर्णित समाज की सोच, दृष्टिकोण एवं मानसिकता में बदलाव लाने की सख्त जरुरत है। बिना इस बदलाव के महिला सशक्तीकरण की कल्पना एक मृग मरीचिका की भांति रेगिस्तान (मरुस्थल) में दौडना जैसा है। सहकारिताएं इस नजरिया में बदलाव लाने में अपने कुछ संगठनात्मक विशेषताओं के कारण अहम भूमिका निभा सकती है।

ड) देश की शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं/संघों द्वारा सहकारिता के माध्यम से महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्यमों को गठन एवं संचालन करने पर उन्हें मदद, प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देना अति अनिवार्य है। महिला उद्यमियों का सम्मान करना, उन्हें ढांचागत सुविधाऐं प्रदान करने, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में मदद करने, उनके क्रिया-कलापों का प्रचार एवं प्रसार करने आदि से सहकारिता के क्षेत्र में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। सहकारी समितियां महिलाओं के स्व-सहायता समूहों का गठन कर, उन्हें स्थानीय आधार पर उपलब्ध रोजगार, उद्यम के साथ जोडकर महिलाओं को पुरुषों की बैसाखियों के सहारे न चलकर स्वयं आत्मनिर्भर, स्वतंत्र बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। सक्षम सहकारी संस्थाओं/संघों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर ही देश की महिलाएं, जो आज जनसंख्या की आधी आबादी है, का सार्थक विकास हो सकेगा।

च) महिला स्व-सहायता समूहों का गठन करना : महिलाओं को सहकारी उद्यमों में संगठित करने के लिए उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता एवं अनुभव के विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजन हेतु समूह बनाये जाने चाहिये, जो एक टीम के रूप में कार्य करें। इन समूहों का ग्राम, विकास, खंड, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर पर नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए। इस नेटवर्क का नियंत्रण महिलाओं के स्वतंत्र सहकारी शीर्ष संघ को सामाजिक, शासकीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिये। महिलाओं के इस तरह के सहकारी शीर्ष संगठन को महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

अलग-अलग महिला उद्यमी स्व-सहायता समूहों में कार्य करने एवं विविध भूमिका एवं जबाबदारी लेने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढेगा, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, निर्णय लेने एवं समस्याओं को हल करने के कौशल में वृद्धि होगी। विचारों एवं अनुभवों के आपसी आदान-प्रदान से उनका बौद्धिक विकास होगा। समूह में कार्य करने से ऊंच-नीच की भावना में कमी आयेगी जिससे महिलाओं को आपस में बराबरी का दर्जा प्राप्त होगा। सामुहिक रूप से उनमें बुराईयों से लडने की क्षमता का विकास होगा।

4) उपसंहार

महिलाओं के लिए सहकारिताएं बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है क्योंकि इनके द्वारा महिलाओं की दैनिक प्रयोग तथा व्यावहारिक दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। भले ही केवल महिला सहकारिताएं हो अथवा पुरुष एवं महिलाओं की मिश्रित सहकारिताएं हो, यह महिला सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों के लिए एक प्रभावशाली संगठनात्मक साधन, उपलब्ध कराती है जिसके द्वारा कार्य करने के उत्तम अवसर उपलब्ध कराकर, बचत एवं ऋण की सुविधाएं प्रदान कर, स्वस्थ, आवास, सामाजिक सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था कर

उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाती है। सहकारिताएं महिलाओं को अनेक क्रियाकलापों में सहभागिता अदा करने तथा उनकी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करती हैं।

इस प्रकार की सहभागिता द्वारा महिलाओं में आत्मगौरव तथा आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होती है। सहकारिताएं महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में सुधार लाने में भी अपनी अहम भूमिका अदा करती है जिसके परिणामस्वरूप समाज समानता की भावना बढती है तथा संस्थागत भेदभाव में परिवर्तन आता है।

महिला उद्यमियों के लिए, सहकारिताएं विशेष रूप से एक आकर्षक उद्यम हैं। अपनी पूंजी को एकत्रित कर, महिलाएं आय सृजक क्रियाकलापों में आसानी से जुड सकती है एवं समाज में उनके द्वारा निभाई जा रहीं दोहरी कार्य भूमिका के संदर्भ में भी वे अपने दैनिक क्रियाकलापों को लचीले पूर्ण ढंग से संगठित कर सकती है। भारत के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों जैसे कि बरकींनी कासो, जापान, होन्डूराश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आदि देशों की महिलाओं के सहकारिताओं से संबंधित अनुभव यह बताते हैं कि सहकारिताओं द्वारा महिलाओं को आत्मविश्वास की प्राप्ति हुई है, उन्होंने अपने व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाया है, अपने कौशल्यों को समुन्नत किया है, स्वयं अपना कार्य करके आमदनी कमा कर उन्होंने अपने जीवन स्तर में सुधार किया है तथा अनेक तरह की सेवाओं का लाभ उठाया है ।

अतएव, महिलाओं का आर्थिक-सामाजिक विकास, उनके जीवन की गुणवत्ता में आमूलचूल परिवर्तन तथा उनका सच्चे अर्थों में सशक्तीकरण केवल सहकारी उद्यमों के माध्यम से ही संभव है। महिलाओं में उद्यमिता हेतु वांछित गुण जन्मजात होते हैं। उद्यमिता के साथ सहकारी संगठनों / संस्था का सामंजस्य माणिकांचन के संयोग जैसा है। यद्यपि महिला सहकारी उद्यगों के विकास में वर्तमान समय में अनेकानेक अडचनें हैं। अतएव महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु इन अवरोधक कारक को अविलम्ब दूर करने, कम करने हेतु हम सबको मिलजुलकर समयानुकूल एवं सार्थक रणनीति अपनाने की जरुरत है। महिलाओं के सशक्तीकरण से आशय है कि शिक्षा, स्वतंत्रता को समाहित करते हुए रोजगार, सामाजिक सेवाओं के समान अवसर राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन का अधिकार आदि मुद्दों के इसमें समावेश किया जाता है। आज के समय की सबसे अहम आवश्यकता है कि महिला स्वसहायता समूह अथवा सहकारिता के माध्यम से संगठित होकर, रोजगारपूरक उद्यमों को अपनाकर स्वयं की क्षमताओं कौशल्यों, योग्यताओं, शक्तियों से परिचित हों, उन्हें निखार कर, तराशकर विकास की पूर्ण ऊँचाईयों पर ले जायें।

महिला जब तक अपनी शक्ति, क्षमता एवं आत्मविश्वास को सहकारी उद्यम रूपी कसौटी पर कसकर जागृत नहीं करेंगी तब तक कोई बाह्य कारक उन्हें सशक्त नहीं कर सकता है। अत: इस दिशा में हम सभी सहकारी बंधुओं को अपने देश में कार्यरत सफल महिला सहकारी समितियों, महिला स्वसहायता समूहों आदि से अनुभव एवं प्रेरणा ग्रहण कर मनसा, वाचा, कर्म से समर्पित होकर, महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु सार्थक, समयबद्ध एवं सुनियोजित प्रयास करने होंगे। तभी सही मायनों में सहकारिताओं द्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण हो सकेगा एवं इस पहल में पुरुषों को ही नहीं, बल्कि महिलाओं को जागृत एवं सशक्तीकरण करने के बारे में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु के कथन पर पुन: जोर देते हुए यहां अपनी बात पूरी करता हूँ। पंडित नेहरु जी ने कहा था 'यदि जनता में जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं में जागृति पैदा करो, एक बार जब वे आगे बढती है तो परिवार आगे बढता है, गाँव एवं शहर आगे बढता है, सारा देश आगे बढता है।'

– गुलाब सिंह 'आजाद'

– भूतपूर्व निदेशक, एनसीसीआई, नई दिल्ली

***

ਦੀ ਬੁੱਟਰ ਕਲ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਿਮ: ਬੁੱਟਰ ਕਲ੍ਹਾਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ

ਇਹ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਪਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1030 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ 100% ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ 90% ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਸਭਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਦੀ ਬੁੱਟਰ ਕਲ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਿਮ: ਬੁੱਟਰ ਕਲ੍ਹਾਂ।

n¶©QZ ghH$m{aVm

पर्यटन

पर्यटन यात्रा का वह स्वरूप है जो मनोरंजन के साथ-साथ किसी उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। जिसका स्वरूप व्यावसायिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक आदि हो सकता है। अधिकांश व्यक्ति अपने समय को व्यतीत करने के लिए पर्वतों, रेगिस्तानों, समुद्र तटों, धरोहर एवं ऐतिहासिक स्थलों, नदियों, प्राचीन स्थलों, सौन्दर्यीकृत स्थलों, जंगलों, वनों आदि स्थानों पर मनोरंजन की दृष्टि से जाने की जिज्ञासा रखता है। साथ ही अनेक बार व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति भी की जाती है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही पर्यटन को विशेष महत्त्व दिया गया है। जिसमें आमोद-प्रमोद के लिए, ज्ञान के लिए, उत्तरोत्तर उन्नति के लिए, मानसिक सुख और शान्ति के लिए भी पर्यटन का विशेष महत्त्व है। प्राचीन काल से पर्यटन करने वाला यात्री पर्यटक के रूप में वक्त परिस्थिति अनुसार भ्रमण करता रहा है। परिणामस्वरूप अनेक आविष्कारों की खोज स्वत: ही हो गई। यहां तक कि विश्व के मानचित्र पर कई नये राष्ट्रो का उदय भी यात्रा में भटकाव के कारण खोज के रूप में हुआ था।

प्रारम्भ से ही मानव प्रवृत्ति एवं स्वभाव से भ्रमण एवं घुमने का शौकिन रहा है। साधनों का अभाव रहते हुए भी पैदल यात्राओं से भी पर्यटकों ने जिज्ञासा के कारण ऐतिहासिक धरोहरों को खोजा और विकसित किया जो कालान्तर में प्रचार-प्रसार के कारण पर्यटन के केन्द्र बन गए। पर्यटन में धीरे-धीरे विकास के कारण अनेक तथ्यों का स्वत: ही उदय हो गया। जिसमें सामाजिक और आर्थिक उन्नति बहुत महत्त्वपूर्ण रही है। अवकाश मनाने के प्रचलन में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों ने कई नये पर्यटन स्थलों को खोज डाला। जो बहुत दूरस्थ स्थानों पर थे, पहुंच आसान नहीं थी फिर भी मानव स्वभाव की जिज्ञासा ने उसे और रोचक बना दिया।

धीरे-धीरे पर्यटन स्थलों पर दो प्रकार के पर्यटकों का आवागमन प्रारम्भ हुआ। एक वे घरेलू पर्यटक जो उसी देश के थे और दूसरे वे पर्यटक जो विदेशों से आये तो वे पर्यटन स्थल अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन गए।

ऐसे पर्यटक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के अलग-अलग स्वभाव एवं रूचि के कारण एक-दूसरे देश की संस्कृति के साथ नई भाषाओं की खोज तथा धर्मशाला-होटलों का विकास हुआ एवं अलग-अलग स्वाद के व्यंजनों को चखने की प्रवृत्ति भी सामने आई जिससे नये स्वादिष्ट व्यंजनों की शृंखलाएं प्रारम्भ हुई।

विशेषकर मनोरंजन के साथ-साथ सृजनात्मक एवं स्वास्थ्य पर्यटन विशेष रूप से उभर कर सामने आया। कई राष्ट्रों में जल की विशेष प्रवृत्ति जिसमें स्नान का विशेष महत्त्व झरनों एवं जल प्रपातों के कारण बना। झीलों-समुद्रों के किनारे एवं रेतीले स्थानों पर सूर्य की किरणों से स्वास्थ्य लाभ भी हुआ एवं पर्यटक केन्द्र भी विकसित होते गए।

किसी देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर ने सृजनात्मक पर्यटन के रूप में अनेक नये प्रयोग और सफल क्रियान्विति पर्यटन के क्षेत्र में की है। विविध स्थल प्रवृत्ति के कारण अनेक प्रकार का पर्यटन आवागमन के साधनों, जनसंचार के माध्यमों एवं जल-थल-नभ पर परिवहन व्यवस्था के कारण संभव हुआ और पर्यटन को नई ऊंचाईयां दी। जिससे विशेष रूप से ध्यान एवं योग पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, कृषि पर्यटन, जल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, काला पर्यटन, वायु पर्यटन, पर्वतीय पर्यटन, खेल पर्यटन, वन्य-जीव पर्यटन, भू पर्यटन, धरोहर पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन आदि प्रारम्भ हुआ। ऐसे पर्यटक स्थलों पर तरूण, युवा, प्रौढ़ सभी व्यक्तिश:, सामूहिक रूप में पहुंच कर मनोरंजन, विश्राम एवं खेलकूद के साथ-साथ व्यवसाय, तकनीकी, सांस्कृतिक, धार्मिक, सम्मेलनात्मक आदि विविध रूपों में एकत्र होकर आने-जाने से वह स्थल और भी रोचक बन गए।

विभिन्न देशों के उत्सव, मेले, त्यौहार, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों ने भी पर्यटकों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। वन्य क्षेत्र में अभयारण्य, फूलवाड़ी, पक्षी विहार, राष्ट्रीय उद्यान आदि क्षेत्र विकसित हुए जिनमें पशुओं के नाम से उत्सव एवं विभिन्न पशुओं के माध्यम से मनोरंजन विकसित हुआ। पर्यटन केन्द्र के विकास में साहित्य, भाषा साहित्य, लोक कथा एवं काव्य, लोक कला, चित्रकला एवं उसके विविध रूप संगीत, गीत, वाद्य, लोक नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य, लोकनाट्य, कठपूतली आदि विशेष रोचक होकर आकर्षण के केन्द्र बने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल रहे।

पर्यटन सहकारिता

पर्यटन स्थलों की सौन्दर्यता, रमणीयता, सुन्दरता, भव्यता, प्राचीन एवं पुरातत्वस्वरूप से पर्यटक सदैव आकर्षित हुए हैं। उत्तरोत्तर प्रवृत्ति-उन्नति एवं विकास की प्रचुर सम्भावना से पर्यटक स्थल ही उन्नत नहीं होंगे अपितु सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन स्थलों के साथ-साथ पर्यटकों हेतु अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को महसूस किया जाने लगा। जिसमें पर्यटक स्थल की वृद्धि एवं विकास से जुड़े बिन्दु, पर्यटक स्थलों का प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, पर्यटन स्थल तक के परिवहन एवं यातायात एवं आवास व्यवस्था ने जहां एक ओर ध्यान आकर्षित किया वहीं विदेशी एवं अन्य प्रान्तीय पर्यटकों हेतु भाषा व्यवधान ने दूभाषियों की आवश्यकता

को भी महसूस किया।

पर्यटन स्थल की जानकारी, वहां तक पहुंचने के संसाधन एवं वहां पर मनोरंजन, दूभाषिये (गाइड), आवास व्यवस्था, सुरक्षा, आहार व्यवस्था आदि अनेक प्रकार की आवश्यकताओं से अनेक प्रकार के नये रोजगारों की विपुल संभावनाएं दिखाई देने लगी। व्यक्तिगत एवं व्यापारिक स्तर पर अनेक अच्छे कार्य होने के बावजूद भी पर्यटक स्थलों पर दलालों एवं बिचौलियों ने लूट-खसौट की प्रवृत्ति से आम पर्यटकों में भय का वातावरण पैदा किया।

वर्तमान के प्रतिस्पर्धात्मक युग में अनेक पर्यटन स्थल एवं पर्यटक सुरक्षित नहीं है। बिचौलियों एवं दलालों से परिवहन, आवास एवं भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अनावश्यक लूट एवं शोषण से शोषित पर्यटक जहां पर भी जाता वहां पर उस बारे में वर्णन करता है एवं कुछ समाज कंटकों की वजह से सम्पूर्ण पर्यटन स्थल बदनाम होता है और इस कारण से पर्यटन स्थलों के बारे में समाज एवं जनता में उचित धारणा नहीं बन पाती है। इसका असर मुख्य रूप में स्थानीय निवासियों पर पड़ता है जो पूर्ण रूप से पर्यटन पर निर्भर रहते हुए पर्यटन से जुड़े हुए रोजगार से अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं।

सहकारिता के माध्यम से पर्यटन स्थलों की सुरक्षा, विकास एवं पर्यटकों को सही दिशा की जानकारी दी जा सकती है। कम बजट में पूर्ण सुरक्षा के साथ उचित दाम से परिवहन व्यवस्था एवं उचित मूल्य पर वस्तुओं को क्रय करने हेतु तथा लोक कलाओं एवं लोकवाद्यों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु सहकारिता ही सबसे उचित माध्यम है।

पर्यटन सहकारिता का गठन कर पर्यटन सहकारिता के माध्यम से हम इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान एवं भूमिका निभा सकते हैं।

✻ पर्यटन के क्षेत्र में मार्गदर्शन हेतु गाइड तैयार करना उन्हें शिक्षित करना एवं प्रशिक्षित कर मान्यता प्राप्त करना तथा पर्यटक स्थलों पर उन्हें आने-जाने हेतु सूचीबद्ध करना, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में गाइड की वाजिब दरें समिति के माध्यम से तय करना एवं शारीरिक रूप से पारदर्शिता के साथ प्रदर्शित करना। गाइड को सहकारिता के माध्यम से आने वाले पर्यटकों हेतु पैकेज के रूप में तय करना।

✻ ऐसे गाइड को समूह के रूप में भी भाषा ज्ञान प्रदान करना, प्रशासन में भी नाम से परिचित करने के साथ-साथ विशेष रूप से अनेक बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना।

✻ पर्यटन सहकारी समिति के माध्यम से धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातत्व, सांस्कृतिक आदि पर्यटन स्थलों पर प्रशासन एवं स्थानीय व्यवस्था समिति से स्वीकृति लेकर उसी स्थान पर हस्तशिल्प एवं हस्तकला की वस्तुएं स्मृति एवं प्रतीक चिहन शुद्ध एवं वाजिब दाम पर प्रसाद एवं धार्मिक वस्तुएं आदि उपलब्ध करा विक्रय केन्द्रों की स्थापना करना।

✻ पर्यटन सहकारिता समिति के माध्यम से होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेन्ट, होली डे होम, अतिथि ग्रह, पेईंग गेस्ट हाउस आदि सुविधा स्वयं समिति के स्तर पर या अनुबन्ध के आधार पर बिना किसी दलाल एवं बिचौलियों के उपलब्ध कराई जा सकती है।

✻ पर्यटन स्थलों के सम्बन्ध में तीर्थ साहित्य, गाइड बुक, परिवहन बुक, कैलेण्डर, तस्वीर आदि विक्रय हेतु केन्द्र स्थापित करना।

✻ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जल-थल-नभ तीनों मार्गो की सुलभ परिवहन व्यवस्था अनुबन्ध पर या एजेन्ट के रूप में उपलब्ध करना।

✻ आने वाले पर्यटकों के समूह हेतु भोजन, अल्पाहार, विश्राम व्यवस्था की पैकेज के रूप में व्यवस्था करना।

✻ परिवहन क्षेत्र नोकायन, ऊँट, हाथी, घोड़ों की सवारी, ताँगा-बकरा गाड़ी, जल क्रीड़ा एवं मनोरंजन के साधन आदि की व्यवस्था करना।

✻ मेले में शिविर सम्मेलन, प्रदर्शिनी, गोष्ठियां, व्याख्यान के माध्यम से पर्यटन स्थलों की सम्पूर्ण जानकारी देना एवं कैम्प आयोजित करना।

✻ पर्यटकों हेतु व्यक्तिगत, समूह या संस्थागत, पैकेज टूर की व्यवस्था करना।

✻ लोक कलाकारों को एकत्र कर पर्यटकों के सामने मनोरंजन करना एवं ऐसे कलाकारों को शिक्षित, प्रशिक्षित कर देश-विदेश में भेजना।

✻ लोक वाद्य एवं कठपूतली, लकड़ी, तांबा, जिंक, धातु से निर्मित वस्तुओं को समूह द्वारा खरीद कर पुनः उचित मूल्य पर पर्यटकों को उपलब्ध करवाना।

✻ पर्यटकों के मार्गदर्शन हेतु अन्य स्थानों पर भी संस्थाओं का विस्तार करना।

✻ सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग के परिवहन हेतु यात्रा एजेन्ट के रूप में कार्य करना।

✻ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु समूह या संस्था में जाकर प्रचार-प्रसार कर उन्हें मार्गदर्शित करना।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर सारांश में यह कह सकते हैं कि पर्यटन सहकारिता के माध्यम से हम हजारों नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में शोषण एवं भय मुक्त वातावरण निर्मित कर सकते हैं। पर्यटकों हेतु उचित दाम पर भोजन, परिवहन, आवास आदि व्यवस्था की जा सकती है। पर्यटक को यात्रा एवं भ्रमण में पूर्ण मार्गदर्शन दिया जा सकता है। इस प्रकार की अनेक व्यवस्थाओं में समिति अग्रणी रहकर समिति के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनका आर्थिक, सामाजिक स्तर ऊपर उठाने में पूर्ण सहयोगी हो सकती है। पर्यटन सहकारिता को बढ़ावा देने पूर्ण लोकतांत्रिक एवं पादर्शिता हेतु आवश्यक है कि हम अपने-अपने स्तर पर धरोहर, पुरातत्व, संस्कृति को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी संस्थाओं का पंजीयन कराएं एवं ऊर्जावान तथा पर्यटन के क्षेत्र में रूचि रखने वाले व्यक्तियों को सदस्य बनाकर कार्य करें।

पर्यटन सहकारी समिति पर्यटकों के हितों की रक्षार्थ एवं पर्यटकों मार्गदर्शक के रूप में दलाल एवं बिचौलियों से बचाव करते हुए सही एवं उचित मूल्य पर सम्पूर्ण व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना तथा समिति के माध्यम से नौजवानों को अधिकाधिक रोजगार प्रदत्त करना लक्ष्य होना चाहिए।

– **प्रमोद सामर,** उदयपुर
अध्यक्ष, जिला पर्यटन सहकारी समिति
प्रकोष्ठ प्रमुख, ग्रामीण सहकारिता, राजस्थान

✻✻✻

"ghH$mar gñWmAm| H$m à~YZ' ‘| {d{^Þ AJm| Ed ñVam| H$s ^{‘H$m

भारत में सहकारिता को विकास की प्रक्रिया का इंजन माना गया था। यह व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतंत्र आधार पर नियंत्रित उद्यम के जरिए अपनी सामान्य, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। इस अनूठे संगठन में व्यक्तिगत उत्तरदायित्त्व की जगह सामूहिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन दिया जाता है। संस्था का विकास विभिन्न अंगों तथा स्तरों की आपस में सामंजस्य के साथ प्रबन्ध करने पर निर्भर करता है।

सहकारिता में लोकतांत्रिक, समाजवादी व आर्थिक नियोजन एक दूसरे से गृहस्थ संबंध रखते हैं। सहकारिताओं के विकास में अर्थव्यवस्था कोई भी हो, उसका मूल उद्देश्य अपने पास उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि करना तथा नई तकनीक अपनाकर संस्था को आर्थिक रूप से सुदृढ करना होना चाहिए, जिससे समिति अपने सदस्यों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर उनका विकास करने में सक्षम हो। इन कार्यों को संपन्न करने में सदस्य, संचालक मंडल एवं कर्मचारी आधारभूत स्तंभ हैं। समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन तीनों के सामंजस्य से ही एक सुदृढ श्रृंखला का निर्माण होता है। यदि सहकारिता की विफलताओं के कारणों को देखा जाए तो विदित होता है कि प्रबन्धन का कोई स्तम्भ कमजोर हो गया है। सहकारिता आंदोलन के शुभचिंतकों ने सर्वदा इन तीनों आधारभूत स्तंभो की विकास में अहम् भूमिका बताई है। कुछ विचारकों का मत है कि सहकारी आंदोलन के तीन प्राणदायी तत्व हैं।

जागरूक सदस्य व प्रबन्ध समिति, प्रशिक्षित कर्मी तथा विनियोजन व परिचालन पूंजी। सहकारी समिति में कोई भी सदस्य बिना सक्रिय भाग लिए इसके प्रबंध अर्थात निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि अधिनियम के अनुसार :

1) कोई भी सदस्य समिति की बैठक में भाग लिए बिना अपना वोट नहीं दे सकता, क्योंकि सहकारी कानून के अंतर्गत प्रोक्सीवोट का उपयोग निषेध है।
2) सहकारी समिति द्वारा एक निर्धारित सीमा से अधिक शेयर नही ले सकता। अर्थात कोई भी सदस्य समिति के व्यवसाय में योगदान दिये बिना केवल पूंजी के आधार पर एक सीमा से अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।
3) समिति द्वारा किए गए व्यवहार पर आधारित बोनस पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है। जो सदस्य संस्था के साथ जितना अधिक व्यापार करेगा समिति उससे उतना ही अधिक लाभ कमायेगी और उसी अनुपात में लौटायेगी।
4) समिति के प्रबन्धन अर्थात व्यावसायिक निर्णय, पॉलिसी निर्णय, वर्ष में समिति द्वारा आयोजित कार्यों की समीक्षा आदि निर्णय विभिन्न बैठकों में सदस्यों द्वारा ही लिये जाते हैं। यह बैठकें विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं।

1) साधारण आम सभा :

सहकारी संस्था में सर्वोच्च निर्णय साधारण सभा का होता है। बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार यदि सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक है, तो समिति प्रतिनिधियों की साधारण सभा बनाकर उनकी संख्या कम कर सकती है। जिसे आर.जी.बी. कहते है।

साधारण सभा समस्त सदस्यों की उपस्थिति में की जानी चाहिए जिससे निर्णयों में अधिक लोगों के विचार समाहित हो, परंतु वास्तव में नहीं हो पाता इस हेतु अधिनियम के अनुसार एक निश्चित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह संख्या उपनियमावली में दी जाती है, जो साधारणत: कुल सदस्यों की 1/5 होती है जिसे कोरम कहते है। यह मुख्यत: यह दो प्रकार की होती है- 1. वार्षिक आम सभा 2. विशेष आम सभा

1. वार्षिक आम साधारण सभा :

सहकारी संस्था में साधारण सभा के द्वारा लिये गये निर्णय सर्वमान्य होते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य इसका एक इकाई होता है। जिसमें सदस्य

अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं तथा अधिनियम की परिसीमाओं में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। नियमानुसार यह सभा वर्ष में एक बार करना अनिवार्य है।

3) साधारण सभा की बैठक के मुख्य तत्व :

1. साधारण सभा की बैठक संचालक मंडल तत्व आवश्यकतानुसार बुलाई जाय, किंतु प्रतिवर्ष ऐसी एक बैठक बुलाई जानी चाहिए जो वार्षिक साधारण सभा कहलाये। जिसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को कम से कम 14 दिन पहले भेजनी अनिवार्य है। जिसके साथ एजेण्डा की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट आदि भेजना भी आवश्यक है।
2. साधारण सभा की बैठक की गणापूर्ति (कोरम) उस समय एक प्रमुख सदस्यों (ओरडीनरी) की संख्या के 1/5 सदस्यों की उपस्थिति या समिति के उपनियमों में निर्दिष्ट संख्या के अनुसार होनी चाहिए। यदि नियत समय पर गणपूर्ति नहीं हुई तो 30 मिनट सभा स्थगित की जा सकती है।
3. कुछ उपयुक्त विषय जो एजेण्डे में नहीं हो, फिर भी अध्यक्ष की स्वीकृति लेकर साधारण सभा में विचार विमर्श किया जा सकता है।
4. यदि बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार प्रबन्ध समिति / अधिकारी साधारण सभा को समय पर आयोजित नहीं करते, तो वे उस पद हेतु अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति संस्था का कर्मचारी हो तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही यदि साधारण सभा नहीं बुलायी जाती तो रजिस्ट्रार यह बैठक स्वयं बुला सकता है और इसमें की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से वैध मानी जाती है।

- साधारण सभा की प्रमुख शक्तियाँ एवं कार्य
- बीते वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा।
- आगामी वर्ष के लिए संचालक मंडल द्वारा तैयार किये गए कार्यकलापों व कार्यक्रमों पर विचार करना तथा निर्णय लेना।
- उपनियम के अनुसार अध्यक्ष तथा अन्य निर्वाचित होने वाले संचालन मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करना।
- संचालन मंडल के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को हटाना।
- संस्था के आय तथा व्यय पर विचार व स्वीकृत करना।
- कर्मचारियों को एक्स ग्रेषियों का निर्धारण करना।
- संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना।
- उपविधियों में संशोधन पर विचार करना।
- समिति में विभिन्न कोषों की जैसे समुदाय विकास कोष, कर्मचारी कल्याण कोष आदि की स्थापना करना।
- शुद्ध लाभ का वितरण।
- वर्ष में संचालक मंडल व मुख्य कार्यकारी के संबंधी की समिति में की गई नियुक्ति पर विवेचना करना।
- अन्य निर्णय जो आवश्यक हो।

2. विशेष साधारण सभा

सहकारी अधिनियम के अंतर्गत संस्था की विशेष साधारण सभा निम्न परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है :

1) कार्यकारिणी के स्वयं के निर्णय से।
2) रजिस्ट्रार के आदेश पर।
3) कम से कम 1/5 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर।

यदि रजिस्ट्रार के आदेश पर अथवा सदस्यों के अनुरोध पर विशेष बैठक एक माह के अंदर नहीं बुलाई जाती तो रजिस्ट्रार ऐसी बैठक स्वयं बुला सकता है एवं उसका खर्चा संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। इस खर्च की क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति से भी करवायी जा सकती है, जो बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार था और जिसने इस दायित्व का निर्वाह नहीं किया। इस सभा में विचार विमर्श उन्हीं विषयों पर केन्द्रित होगा जिन कारणों से सभा बुलाई गई है। इस सभा में यदि गणपूर्ति नहीं होती तो यह सभा निरस्त कर दीं जाती है। विशेष आम सभा सदस्यों को 7 दिन के सूचना पर बुलाई जा सकती है।

संचालक मंडल के कार्य एवं शक्तियाँ समस्त सदस्यों के द्वारा समिति के कार्यों का सम्पादन करवाना संभव नहीं होता। अत: आम सभा अपने में से कुछ सदस्यों (जैसा उपनियमावली में निर्दिष्ट) को संचालक मंडल के रूप में चुनते हैं।

मल्टिस्टेट सहकारी समितियों में इनकी संख्या अधिकतम 21 होती है। यह मंडल समिति के कार्यों को सुचारु रूप से संपादित करते है। संचालक मंडल सदस्यों के लिए जबाबदेह होता है तथा यह समिति के कार्यों को साधारण सभा द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार सुचारु रूप से संपादित कराता है तथा समिति के प्रबंधन का एक प्रमुख अंग है। साधारण सभा अपनी कुछ शक्तियाँ संचालक मंडल को स्थानांतरित कर देती है। जिसके कार्य निम्न प्रकार हैं :-

1) संस्था उद्देश्यों के अनुसार संस्था के संपूर्ण विकास हेतु योजनाएँ तैयार करना एवं उनको क्रियान्वित कराना।
2) संस्था के व्यवस्थापन हेतु मार्गदर्शन, नीति का निर्धारण करना एवं प्रबंधन का समय समय पर मूल्यांकन करना।
3) संस्था के संचालन हेतु आवश्यक पूंजी, अमानती एवं ऋणों के रूप में प्राप्त करने हेतु प्रयास करना।
4) समय समय पर रजिस्ट्रार द्वारा ऋण समितियों में निर्धारित सीमा व शर्तों पर सदस्यों को अल्पकालीन, मध्यकालीन ऋण एवं अग्रिम धन राशि देने हेतु अधिकतम साख सीमा निर्धारित करना एवं आवश्यक व्यवस्था करना।
5) संस्था कोष से विनियोजन के लिए स्वीकृति देना।
6) सदस्यों की हिस्सा राशि एवं अमानतों की वृद्धि हेतु कार्यक्रमों को निर्धारित करना व समीक्षा करना एवं हिस्सों के हस्तांतरण की स्वीकृति देना।
7) प्राथमिक कृषि समिति में स्वयं के गोदाम निर्माण करने व किराये के गोदामों को लेना, कृषि पर आधारित उद्योगों के माल, कृषि आदानों (इनपुट्स) उपभोक्ता वस्तुओं आदि की खरीदारी तथा सामायिक विक्रय की समुचित व्यवस्था करना।
8) संस्था के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा लगाये गये आरोपों का निराकरण करके रिपोर्ट तैयार करवाकर वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत करना।
9) संस्था का वार्षिक बजट तैयार करवाना जिससे कि समय पर स्वीकृति के लिए साधारण सभा में प्रस्तुत किया जा सके।
10) संस्था के व्यवस्थापन के लिए खर्चा की स्वीकृति देना।
11) ऋण समितियों में वितरित ऋणों के उपयोग की उपर्युक्त देखरेख की व्यवस्था करना तथा ऋण लेने वाले सदस्यों से लागातार संवाद बनाये रखना।
12) बकाया मामलों की जांच करना एवं रकम की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाना।

13) संबंधित वित्तीय संस्था से स्वीकृति धन राशि समय समय पर प्राप्त कराने एवं समिति में प्राप्त ऋण राशि को समय पर वितरण की व्यवस्था करना तथा यह सुनिश्चित करना कि राशि का सदुपयोग हुआ है या नहीं।
14) अन्य सहकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने एवं आवश्यकता पडने पर मत देने के लिए संस्था के नियमानुसार पात्रता धारक सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्रतिनिधि नियुक्त करना।
15) संस्था को एक आदर्श सहकारी संस्था बनाते हुए सदस्यों को सहकारी शिक्षा उनकी आर्थिक उन्नति हेतु कार्यक्रम तथा सामाजिक कृतियों के हटाने की योजनाएँ बनाकर क्रियान्वित कराना।
16) सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्रों पर विचार करके सदस्यता देना।
17) समिति - वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना, उनका वेतनमान निर्धारित करना तथा अन्य भत्ते निर्धारित करना।
18) कर्मचारियों को नियुक्त करना व सस्पेंड करना, दण्ड देना आदि।
19) अन्य कार्य जो आवश्यक हों एवं आम सभा निर्णय लेकर निर्दिष्ट किए हों।

4. संस्था के अध्यक्ष के कार्य एवं भूमिका :

संचालक मंडल अथवा आम सभा अपने में से एक मुखिया/अध्यक्ष का चुनाव करती है जो समिति में अधिक योगदान देकर उसकी देख-रेख कर सकें। अध्यक्ष के मुख्य कार्य व दायित्व निम्न है।

1. आम सभा व संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. सभा का कार्य विवरण लिखवाना व व्यवस्थापक के साथ उसके सही होने के प्रमाणस्वरूप किताब कार्यवाही में हस्ताक्षर करना।
3. आवश्यकतानुसार संस्था की ओर से लिखे जाने वाले दस्तावेजों पर व्यवस्थापक के साथ-साथ हस्ताक्षर करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि संचालक मंडल के निर्देशों एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं।
5. कमजोर वर्गों के सदस्यों को सरकार या रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार ऋण व अन्य सुविधायें दिलवाने का प्रबंध करना।
6. समिति के समस्त कार्यों में योगदान देना जिसमें सदस्यों का हित निहित हो।
7. संचालक मंडल द्वारा हस्तांतरित शक्तियों के अनुसार निर्णय लेना या स्वीकृति देना।

5. प्रबन्धक (मुख्य कार्यकारी) के कर्तव्य एवं दायित्व :

1. मुख्य कार्यकारी संचालन मंडल के नियंत्रण एवं देख-रेख में कार्य करेगा व इसके प्रति उत्तरदायी होगा। संस्था की साख बढाने हेतु ऐसे कार्य भी करेगा, जिससे सदस्यों की आस्था संस्था में बढे एवं संस्था के गौरव की अभिवृद्धि हो। इस हेतु संस्था के कार्यक्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु लघु एवं दीर्घकालीन योजनाएं बनाना एवं संचालक मंडल/आम सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। संस्था का दैनिक प्रशासन देखना।
2. संस्था के कार्यालय को सुव्यवस्थित रखना, कार्यालय समय पर खोलना व समय से सदस्यों को संस्था सेवायें उपलब्ध कराना। उनके आर्थिक मामलों में सहायता व मार्गदर्शन करना, संस्था के समस्त रिकार्ड को सुरक्षित व पूर्ण रखना। संपत्ति व रोकड राशि की सुरक्षा करना।
3. पेक्स में संचालन मंडल के निर्णय के अनुसार बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से धनराशि प्राप्त करना, समय पर सदस्यों में ऋण राशि की प्राप्ति से 7 दिन की अवधि में वितरित करके वितरण प्रपत्र एवं शेष अवितरित राशि बैंक में जमा कराना। संस्था की प्रतिदिन की शेष रोकड बही खाते पर हस्ताक्षर कर उसको सुरक्षित रखना, अधिकृत अधिकारी गण को उनके चाहने पर रोकड राशि का भौतिक सत्यापन करवाना। निर्धारित रोकड राशि एवं वसूली की समस्त वित्तीय बैंक में तत्काल जमा करवाना।
4. संस्था के उद्देश्यों के अनुसार सामग्री, आदान व अन्य साज-समान संबंधित उच्च संस्था के माध्यम से प्राप्त करना, उसका सामायिक विक्रय करना, स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन प्रविष्टि करना, शेष स्टॉक को सुरक्षित रखना एवं स्टॉक का सामायिक भौतिक सत्यापन करवाना।
5. अधिकृत विभागीय/वित्तीय बैंक/उच्च संस्था के अधिकारी द्वारा अंकेक्षण/निरीक्षण के समय पूर्ण सहयोग देना एवं मांगे गए रिकार्ड को प्रस्तुत करना व वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराना। अंकेक्षण/निरीक्षण पत्रों की सामायिक पूर्ति करना एवं पूर्ति प्रतिवेदन संचालक मंडल से अनुमोदित करवाना।
6. ऋण समितियों के सभी सदस्यों को पासबुक देना, उनसे लेन-देन करते ही तत्काल वांछित पुस्तकों में अंकित करना, वसूली हेतु मांग का नोटिस समय पर तैयार कर सभी सदस्यों को निर्धारित तिथियों से पूर्व ही भेजना, वसूली के कानूनी मामले तैयार कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं पारित आदेशों के निष्पादन हेतु समिति की ओर से समस्त पैरवी/कार्यवाही करना।
7. आम सभा व संचालक मंडल की बैठकें बुलाना व उसमें उपस्थित रहना। बैठकों की कार्यवाही समय पर लिखना तथा बैठकों के अध्यक्ष के साथ किताब कार्यवाही में हस्ताक्षर करना।
8. संस्था की प्रतिभूतियों हिस्से प्रमाणपत्र आदि प्राप्त करना, रिकार्ड में दर्ज करना तथा पूर्ण सुरक्षा से रखने की व्यवस्था करना।
9. ऋण स्वीकार करना, वित्तीय बैंक का आहरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना, राशि प्राप्त कर वितरित करना।
10. संस्था की ओर से दावे प्रस्तुत करना, पैरवी करना, समझौता करना अथवा दावे वापस लेना।
11. संचालक मंडल की स्वीकृति बजट के अंतर्गत व्यय करना।
12. समिति का आय-व्यय बजट तैयार करना व संचालक मंडल के समक्ष करना।
13. वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक आय-व्यय आदि तैयार करना व बैठक में प्रस्तुत करना।
14. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
15. नए सदस्य बनाने हेतु कार्यवाही करना एवं निर्देशानुसार समिति के निर्धारित कार्य पूर्ण करना।
16. पैक्स में संस्था के समस्त सदस्यों की भूमि का सही वितरण रजिस्टर में अंकित करना, उसकी राजस्व तथा सिंचाई विभाग के पटवारी से तसदीक करवाना, सदस्यों की भूमि

में समयसमय पर होने वाले परिवर्तन संबंधी सूचनाएं अंकित करना।

17. अध्यक्ष एवं संचालक मंडल के किसी सदस्य द्वारा चाहे जाने पर संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करवाना।
18. संचालक मंडल द्वारा हस्तांतरित शक्तियों का उपयोग कर निर्णय लेना जैसे संस्था के प्रबंधन में कर्मचारियों को मार्गदर्शन व दण्ड देना, नियुक्त करना आदि।
19. अन्य ऐसे समस्त कार्य करना जो संचालक मंडल, पंजीयक अथवा वित्तीय बैंक द्वारा सौंपे जावें या समिति की कार्यप्रणाली के अनुसार आवश्यक हो।

समिति के अन्य समस्त कर्मचारी, प्रबन्धक के दिशानिर्देशन के अनुसार कार्य करते हैं। कुशल प्रबन्धक समय के महत्त्व को जानता है। अपने सहकारियों, सदस्यों तथा अधिकारियों से भी समय पर कार्य एवं सहयोग की अपेक्षा करता है। विचारशील व्यवस्थापक यह भी भलीं भांति जानता है कि समिति में स्वच्छ व शांत वातावरण होने से सदस्य अपने समिति पर गर्व करेंगे तथा कर्मचारियों की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी। मुख्य कार्यकारी को यह भी अध्ययन करना चाहिए कि कौन सा कर्मचारी किस कार्य को अच्छी तरह कर सकता है तथा उन्हें प्रोत्साहित कर किस प्रकार समिति के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।

अगर मुख्य कार्यकारी, कर्मचारी व संचालक मंडल आपस में तालमेल के साथ सदस्यों के विचारों को समाहित करते हुए नवीनतम सूचनाओं एवं तकनीक का उपयोग करके उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण दोहन कर व्यावसायिक प्रबन्ध अपनाकर समिति का संचालन करे, तो समिति निश्चय ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगी।

※ सेवा कर्मियों की भूमिका :

सहकारी समिति में कर्मचारियों की भूमिका मशीन में कलपुर्जों की तरह होती है और मशीन के सभी कलपुर्जे सही काम करतें है तभी मशीन उत्पादन करती है। सभी कर्मियों को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, लगन व तल्लीनता के साथ सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। प्राइवेट या सरकारी संस्थानों की तरह सहकारी समिति के कर्मचारी अनशन, हठता, आंदोलन का सहारा लेकर यह मांग नहीं कर सकते हैं कि मेरी मांगे पूरी हो; चाहे जो मजबूरी हो, क्योंकि उनके दैनिक कार्य में सेवा की भावना जुडी होती है इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है :- एक सडक पर दो मजदूर कार्य कर रहे थे। एक व्यक्त ने प्रथम मजदूर से पूछा, 'आप क्या कर रहे हैं?' तो उसने जवाब दिया, 'गिट्टी तोड रहा हूं। शाम को जो पैसा मिलेगा उससे घर का अच्छा अच्छा सामान खरीदूंगा एवं आनंद करुंगा।' यही प्रश्न दूसरे से किया तो उसका जवाब था, कि सामान गिट्टी तोड रहा हूँ, जिससे यह सडक बनेगी। देश में यातायात के साधन बढेंगे। मेरा दायित्व पूरा होगा। शाम को मजदूरी दूसरे को भी मिलेगी, लेकिन उसे अधिक गिट्टी तोडने पर गर्व होगा, खुशी होगी, थकान नहीं होगी-शांति मिलेगी, यहीं दूसरा आदमी सहकारिता की मनोवृत्ति का है कि इसी प्रकार सहकारी कर्मचारी मेहनत इसलिए नहीं करता कि उत्पादन अधिक होगा, बल्कि इसलिए करता है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को सामान की प्राप्ति होगी तथा उन्हें संतुष्टि मिलेगी और उसका समाज के प्रति दायित्व पूर्ण होगा। अत: इसी समाज के लिये सहकारी कर्मचारियों को दूरदृष्टि ये कडी मेहनत करके अपने दैनिक कार्य के लक्ष्यों को समय से अनुशासन में रहकर पूरा करना चाहिए।

6. शीर्ष सहकारी संघों की भूमिका :

शीर्ष संस्थायें अपनी संबंधित संस्थाओं की सेवाओं के लिए अपने उपनियमों के अनुसार कार्य करती हैं। प्रत्येक शीर्ष संस्था से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने से संबंधित संथाओं को सुदृढ बनाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें एवं उनकी विकास योजनायें बनवाने के अतिरिक्त उनकी संरक्षक की तरह देख-रेख भी करें। इस प्रकार प्रत्येक शीर्ष संघ की संबंधित सदस्य समितियों को सुदृढ़ बनाने में विशेष भूमिका होती है। सहकारी शिक्षा एवं अनुसंधान, मार्गदर्शन, उपयोगी सलाह, प्रगति हेतु प्रयास करके शीर्ष संघ प्रमुख दायित्व निभाकर निम्न कार्यों में योगदानन देते हैं।

1. सहकारी सिद्धान्तों का पालन हो, इसके लिए समुचित उपाय करना।
2. सहकारी समितियों को सहयोग करना और संगठित करना तथा विशेष प्रयोजन ले लिए आदर्श उपविधियां बनाना और समितियों के विवरण हेतु विभिन्न विनियम और नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शक सिध्दान्त बनाना।
3. सहकारिताओं के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था और सहकारी सिध्दान्तों का प्रचार-प्रसार करना।
4. अनुसंधान और मूल्यांकन करवाना तथा सदस्य समितियों के लिए भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना एवं इस हेतु नवीनतम आकडे एकत्र करना।
5. सदस्य तथा समितियों के बीच सामंजस्य एवं पूर्ण संबंध विकसित करना।
6. सदस्य समितियों के बीच आपस में तथा समिति और उसके सदस्यों के बीच के विवादों को निपटाने में सहायता करना।
7. सदस्य समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और समितियों के अनुकूल नीतियों और विधान (एक्ट) परिवर्तन हेतु प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार पर दबाव बनाना।
8. बोर्ड के सम्मेलनों में, जिनमें सदस्य समितियां आमंत्रित की जाती है, में भाग लेने के साथ ही सदस्य समितियों को सहयोग एवं प्रबंध कार्य में विकास संबंधी जानकारी / नियमावली प्रदान करना।
9. सदस्य समितियां के साधारण सम्मेलनों के नियमित संचालन हेतु सहायता करना।
10. सदस्य समितियों के सफल संचालन हेतु आचार संहिता विकसित करना।
11. सदस्य समितियों की क्षमता का मापदण्ड विकसित करना।
12. सदस्य समितियों के व्यवसाय में वृद्धि करवाना।
13. सदस्य समितियों के हित में कोई भी अन्य सेवा प्रदान करना।

7. समिति के सदस्यों की भूमिका :

सभी सदस्यों को अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए संस्था में योगदान देना चाहिए। प्रत्येक सदस्य अंश पूंजी में योगदान करने के साथ ही समिति के सहस्वामित्व के हक को प्राप्त करता है और इस प्रकार वे समिति के लाभ-हानि में भागीदार रहते हैं। वर्तमान में बदलती आर्थिक परिस्थितियों में सदस्य अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए संस्था के विकास में योगदान कर सकते हैं। सहकारी अधिनियम के अनुसार सदस्यों को निम्न अधिकार दिए गए हैं -

1. कोई भी सदस्य संस्था की प्रबंध समिति में संचालक बनकर समिति का विकास कर सकता है।
2. सदस्य कभी भी संस्था के अभिलेखों को देखकर तथा उसकी

प्रतिलिपि लेकर अपनी संस्था की स्थिति का अवलोकन कर सकता है, जो विकास के लिए अति आवश्यक है।
3. संस्था द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का उपयोग ईमानदारी से कर सकता है।
4. आम सभा में रखे विषयों पर अपना विचार व्यक्त कर सकता है।
5. संचालकों के चुनाव में अपना वोट देने का अधिकार सदस्यों को प्राप्त है।
6. सदस्यता छोडने, हिस्सा पूंजी वापिस लेने, तथा हिस्सा पूंजी को अन्य सदस्यों में हस्तांतरित कर सकता है।
7. सदस्य आम सभा में संचालक मंडल पर अविश्वास लाकर उसे भंग कर सकता है।

8. सहकारिताओं में सदस्यों का स्थान :

जिस प्रकार मकान एक-एक ईंट को मिलाकर बनता है, जिसमें आधार की ईंटों का मकान की मजबूती से गहरा संबंध होता है; उसी प्रकार सहकारिता में सदस्यों का स्थान नींव के ईंट समान है। सहकारिता का विकास पूर्ण रूप से सदस्यों की सक्रियता पर निर्भर करता है। परंतु वर्तमान में कुछ अनुसंधानों तथा स्वयं का अनुभव यह बताता है कि ज्यादातर सदस्य सहकारिता के कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग नहीं ले रहा है। उसका परिणाम यह है कि जो प्रगति सहकारिता के माध्यम से अपेक्षित थी वह नहीं हो सकी। अत: सदस्यों को अपना दायित्व समझना होगा। अपने दायित्वों को ध्यान में रखकर कार्य पडेगा तथा उन्हें सजग दायित्व समझाना होगा। अपने दायित्वों को ध्यान में रखकर कार्य पडेगा। तथा उन्हें सजग रहना है कि संस्था का विकास कैसे हो इसी में उनका विकास निहित है।

9. सदस्यों के कर्तव्य :

यदि किसी संस्था के सदस्य अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन करतें हैं, तो संस्था का विकास संभव है। आज जब उद्योगपति व विदेशी उद्योग तरह तरह के प्रलोभन देकर भारतीय समाज का शोषण कर रहे है, तब सहकारिता का विकास करना आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में सदस्यों को अपने कर्तव्यों का पालन करना अति आवश्यक है। सहकारी अधिनियमों के अनुसार सदस्यों के निम्न कर्तव्य हैं :-

1. संस्था का प्रबंधन अच्छा चलाने हेतु सदस्यों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। अत: सदस्यों को चाहिए कि वे संस्था की प्रत्येक बैठक में सक्रिय रूप से भाग लें तथा बैठक में विचारशील विषयों पर अपना विचार संस्था के विकास हेतु दें तथा आगामी योजनाओं पर गंभीरता से सोचें।
2. प्रबंध समिति एवं कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार सुझाव दें तथा प्रबंध समिति की कार्य प्रद्धति पर यथायोग्य ध्यान दें।
3. अंकेक्षण प्रतिवेदन का गंभीरता से अध्ययन करें, आवश्यकतानुसार 'पूछताछ' करें तथा उचित सुझाव दें।
4. संस्था से अधिक व्यावसायिक व्यवहार रखें जिससे संस्था की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी रहे और उनके कार्यक्रमों में समय से सुझाव दें।
5. संस्था के पदाधिकारियों का चुनाव उसकी योग्यतानुसार करें क्योंकि, सहकारी संस्थाओं का वर्तमान में इतना विस्तार हो चुका है जिससे नए-नए आयाम व क्षेत्रों का चुना जो सकता है। अत: यह आवश्यक है कि योग्य व्यक्ति को ही संचालक मंडल के लिए चुनें।
6. संस्था के विकास का मुख्य आधार धन का आदान-प्रदान है। अत: सदस्यों को चाहिए कि संस्था से लिया गया ऋण समय से संस्था को वापिस करें जिससे धन का आदान-प्रदान चक्र सही रहे। सदस्यों का परोक्ष रूप से यह भी कर्तव्य है कि दूसरे सदस्यों की ऋण अदायगी पर भी ध्यान रखें तथा उसमें सहायता करें।
7. यदि कुछ सदस्यों द्वारा संस्था के साधनों का दुरुपयोग हो रहा हो तो सामूहिक रूप से उसे रोकें तथा संस्था के विकास का संदर्भ देते हुए उसे उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं एवम मीटिंग में भी सुधारक नियम बनवाते हुए सुधारने का प्रयास करें।
8. संस्था में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या गलत तरीके से राजनैतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने का प्रयास करें तथा इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दें।
9. संस्था की संपत्ति की रक्षा करें तथा संपत्ति सृजन करें, जिससे संस्था सुदृढ हो सके।
10. संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लें, जिससे देश-विदेश के सहकारी आंदोलन में हो रहे क्रियाकलापों की जानकारी हो सके तथा इस क्षेत्र में हुए नवीनतम सुधारों तथा नए कार्यक्रमों की भली भांति जानकारी हो सके।
11. संस्था द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का सदुपयोग अवश्य करें।
12. संस्था द्वारा आयोजित समाज सेवा के कार्यों में यथासमर्थ सहयोग करें।
13. सदस्य आपस में एक दूसरे को सहयोग करें तथा समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें।
14. अन्य कार्य आवश्यकतेनुसार करें।

उल्लेखित वर्णन से स्पष्ट है कि सदस्य सहकारिताओं की मान्यताओं व सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार व कर्तव्यों को समझें तथा ईमानदारी निष्ठा के सहयोग की भावना से कार्य करें। तभी बदलते आर्थिक परिवेश में संस्था का विकास संभव है। क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं तथा आवश्यकताएं अधिक है। इसलिए नई आर्थिक नीतियों से सहकारिताओं के सामने चुनौतियां हैं उनके बारे में सदस्यों, प्रबन्धकों तथा अधिकारियों सभी को मिल बैठकर सोचना होगा कि आगामी समय में हम सहकारी आंदोलन को कैसे आगे बढाएं तथा उसका स्वरूप क्या होगा। समिति में सदस्यों, प्रबन्ध समिति एवं अधिकारियों का योगदान सहकारिता को नया रूप दे सकता है। इसके लिए सहकारी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जानकारी की कमी भी इनको उदासीन बनाती है। अत: सहकारी शिक्षा का और अधिक प्रसार करना पडेगा, जिससे समिति अपनी व्यवसायिक कार्यप्रणाली अच्छे तरीके से चलाकर आर्थिक रूप से सुदृढ बन सके। आवश्यक जानकारी होने पर सहकारिताओं में अपनी भूमिका निभा रहे प्रमुख अंग अपना दायित्त्व सही रूप से निभा सकेंगे। परिणामस्वरूप देश में सहकारी आंदोलन मजबूत होगा।

– डा. बी. के. दुबे

***

ghH$ma ^maVr - ñWmnZm g AmOVH$ H$ nXm{YH$mar

H$.	df	A{YdeZ ñWmZ	‘hmamï´ àXe AÜ¶j	àXe ‘hm‘§Ir	gKQZ‘§Ir
1	1981	सांगली	माधवराव गोडबोले	वसंतराव देवधर	--
2	1984	राहुरी	माधवराव गोडबोले	हरिभाऊ बागडे	--
3	1986	नागपूर	माधवराव गोडबोले	सतीश मराठे	--
4	1990	डोंबिवली	अध्यक्ष - मधुकरराव भागवत कार्याध्यक्ष - बापूसाहेब पुजारी	सतीश मराठे	
5	1994 (22-23 जनवरी)	पुणे	अध्यक्ष - मधुकरराव भागवत कार्याध्यक्ष - बापूसाहेब पुजारी	सतीश मराठे	(1990 से 1999) अच्युत माधव तथा तात्या इनामदार
6	1997	जळगाव	अध्यक्ष - दि. मो. राजे कार्याध्यक्ष - आबासाहेब देशपांडे	विष्णू बोबडे	
सन 2000 से राष्ट्रीय स्तर पर सहकार भारती का कार्यविस्तार प्रारंभ					
1	2000	--	वसंतराव देवपुजारी	सतीश मराठे	
2	2003 (27-28 दिसंबर)	मुंबई (महाराष्ट्र)	डॉ. अविनाश आचार्य	कंकोडी पद्मनाभ	सूर्यकांत केळकर
3	2006 (10-11-12 नवम्बर)	दिल्ली	ज्योतिंद्रभाई मेहता	विष्णू बोबडे	
4	2009 (31 अक्तुबर- 1/2 नवम्बर)	भोपाळ (मध्यप्रदेश)	सतीश मराठे	सुभाषचंद्र मांडगे	
5	2013 (17-18-19 जनवरी)	बेंगळूरु (कर्नाटक)	सतीश मराठे	जितुभाई व्यास	विजय देवांगण
6	2015 (20-21-22 नवम्बर)	अहमदाबाद (गुजरात)	ज्योतिंद्रभाई मेहता	डॉ. उदय जोशी	
7	2018 (21-22-23 दिसंबर)	पुष्कर (राजस्थान)	रमेश वैद्य	डॉ. उदय जोशी	
8	2021 (17-18-19 दिसंबर)	लखनौ (उत्तरप्रदेश)	दिनानाथ ठाकूर	डॉ. उदय जोशी	संजय पाचपोर
9	2024 (6-7-8 दिसंबर)	अमृतसर (पंजाब)			

gZhar ¶mX...

मुंबई विश्वविद्यालय और 'सहकार भारती' द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लक्ष्मणराव इनामदार स्मृति व्याख्यान में उपराष्ट्रपति श्री वेंकेया नायडू जी ने अपने विचार व्यक्त किये

श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जन्मशताब्दि समारोह 26 सितंबर 2018 को अहमदाबाद के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्य के दिग्गजों ने अहमदाबाद में समापन किया।

सहकार सुगंध प्रथम अंक विमोचन समारोह भोपाल में सम्पन्न

सहकार भारती के संरक्षक मा. सतिश मराठे जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक चुने गए

gZhar ¶mX...

सहकार भारती आयोजित श्रद्धेय श्री लक्ष्मणराव इनामदार जन्मशति कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली में 21 सितंबर 2017 को हुई।

ghH$m[aVm EH$ ñd^md {de f h, gaMZm Zhr … àYmZ ‘ Ìr ‘m. ZaÐ ‘mXr

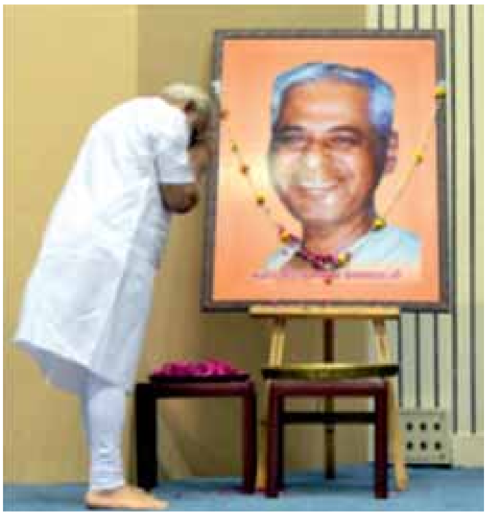

गुरुग्राम में स्व. लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी का उद्घाटन

दी फरीदाबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 फरीदाबाद

स्थापना वर्ष — 1979

Financial Position as on 31.03.2024 (In Lacs)		Rate of Interest (Starting)	
Share Capital	9428.45	Home Loan	8.10%
Working Capital	129643.30	RCC	11.00%
Deposits	51072.18	Personal Loan	10.00%
Advancement	95247.87	CC Traders	11.50%
Accumulated Profit	583.98	SHG/JLG	11.50%
CRAR	13.78%	Personal Car Loan	8.00%

(प्रशान्त यादव)
महाप्रबन्धक

दी रेवाड़ी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 रेवाड़ी

स्थापना वर्ष 1922

Position As on 31.03.2024		Facilities	Rate of Intt. Starting
		Home Loan	7.50%
Share Capital	4543.69	Vehicle Loan	8.00%
Working Capital	83154.15	Personal Loan	10%
Deposit	52290.64	C.C.Traders	12%
Advancement	50024.51	Micro Finance	10.50%
NPA	1324.35 or 2.65%	Loan Against Property	9.5%
CRAR	12.74%	Personal Car Loan	9%

फोटो

हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा दी रेवाड़ी केन्द्रीय सहकारी बैंक को पुरस्कृत किया गया। सम्मान ग्रहण करते हुए बैंक के महाप्रबन्धक श्री प्रशान्त यादव।

महाप्रबन्धक

(प्रशान्त यादव)

दी जींद केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०,जींद

संयुक्त देयता समूह (JLG) ऋण योजना

क्या आप एक छोटे पैमाने के उधमी किसान या एक समान लक्ष्य वाली महिलाओं का समूह है ? सयुक्त देयता समूह (जेएलजी) ऋण योजना आपकों अपने व्यवसाय या कृषि-आधारित गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आसान सस्ती और लचीली वित्तीय सहायता पहुचाने के लिए है ।

(जय प्रकाश सोनी)
महाप्रबंधक सी०बी० जींद

(JLG) ऋण योजना के साथ अपने सपनों को साकार करें ।

JLG ऋण योजना के तहत इस बैंक ने 2185 समूहों की 8540 महिलाओं को मू० 43.00 करोड़ रूपये ऋण जारी किया है ।

पात्रता मानदंड :	ऋण राशि :
• महिलाएं (किसान, कारीगर, छोटे व्यवसाय की मालिक) 4 सदस्यों का समूह बनाना है । • समूहों का उदेश्य समान होना चाहिए । • ऋण का उदेश्य : कार्यशील पूंजी, सम्पति निर्माण, व्यवसाय विस्तार, कृषि-सम्बन्धी खर्च आदि । • अदायगी : अधिकतम 3 वर्ष (36 महीने) ।	पहली बार 2 लाख दूसरी बार 3 लाख (पहले ऋण की न्यूनतम 24 महीने में नियमित बदायगी के बाद) तीसरी बार 4 लाख (दुसरे ऋण की न्यूनतम 24 महीने में नियमति अदायगी के बाद) **ब्याज दर- सिर्फ 12% मासिक आधार पर**

सहकारी बैंक का एक ही नारा, स्वावलंबी बने महिला समाज हमारा

जळगाव जनता सहकारी बँकेच्या
अर्थमय जगात सामील होऊ या !
Digital
Banking
मोबाईल बँकिंग
कर्ज, विमा, ठेवी
लॉकर सुविधा
सहकारात् वर्धते धनम् !
JSB
जळगाव जनता सहकारी बँक लि. जळगाव
(शेड्यूल्ड बँक)
मुख्य कार्यालय : 'सेवा' 117/119, नवी पेठ, जळगाव. 0257-2223699 jjsbl_jal@jjsbl.co.in www.jjsbl.com
सब समाज को लिए साथ में आगे है बढते जाना ।

देश में
नंबर वन
उत्तर प्रदेश
एक्सप्रेसवे प्रदेश
उत्तर प्रदेश
सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य
6 क्रियाशील, 7 निर्माणाधीन
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे : लखनऊ से गाजीपुर (341 किमी.)
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे : चित्रकूट से इटावा (296 किमी.)
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे : आगरा से लखनऊ (302 किमी.)
यमुना एक्सप्रेसवे : ग्रेटर नोएडा से आगरा (165 किमी.)
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे : मेरठ से दिल्ली (82 किमी.)
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे (25 किमी.)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

देश में
नंबर वन
उत्तर प्रदेश
स्वरोजगार से
स्वावलंबन की ओर
18 लाख+ स्ट्रीट वेंडर्स
₹3,000 करोड़+
पीएम स्वनिधि से लाभान्वित
10 हजार रुपए तक सिक्योरिटी फ्री लोन
नियमित भुगतान पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी
डिजिटल लेन-देन पर साल में 1,200 रुपए तक कैशबैक
समय से भुगतान पर अगली बार बड़ा लोन
PM SVANidhi
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

देश में
नंबर वन
उत्तर प्रदेश
कनेक्टिविटी को रफ्तार
डबल इंजन की सरकार
कुशीनगर KUSHINAGAR
सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य
16 संचालित, 5 निर्माणाधीन
▪ संचालित अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट : लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या
▪ निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
▪ संचालित डोमेस्टिक एयरपोर्ट : आगरा, बरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सहारनपुर
▪ निर्माणाधीन डोमेस्टिक एयरपोर्ट : सोनभद्र, ललितपुर, मेरठ, पलिया
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

देश में
नंबर वन
उत्तर प्रदेश
हर घर जल
बेहतर कल
घर-घर पहुंच रही पेयजल की सुविधा
2.28 करोड़+
परिवारों को नल कनेक्शन
हर घर जल
जल जीवन मिशन
▪ जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण
▪ जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड की महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट से पानी जांच का प्रशिक्षण
▪ जलजनित बीमारियों पर 98 प्रतिशत तक नियंत्रण, जापानी बुखार पर पूर्ण नियंत्रण
▪ बुंदेलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के सभी घरों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य पूर्ण
▪ उत्तर प्रदेश के 85 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण घरों को मिली नल से जल की सुविधा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

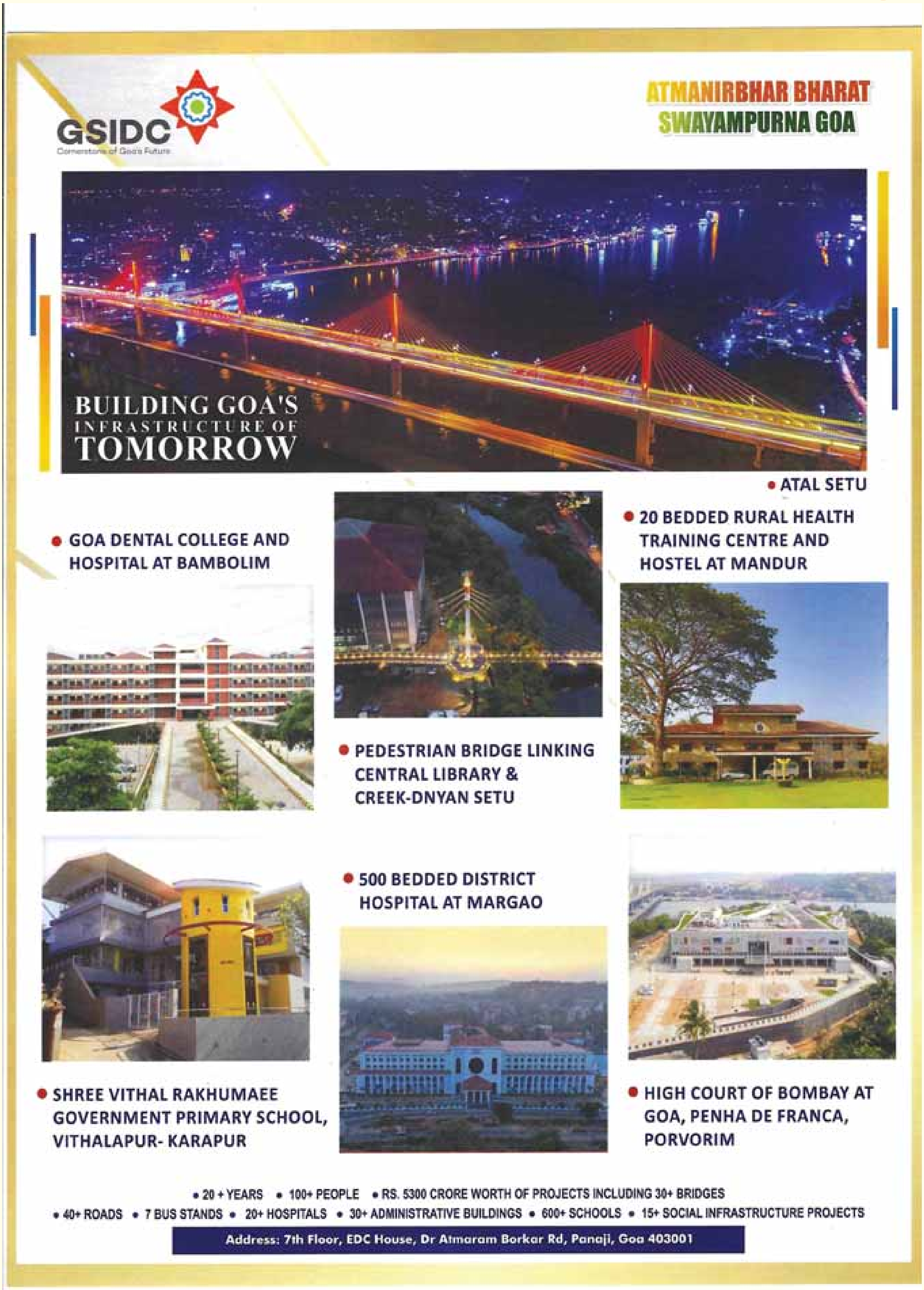
GSIDC
Cornerstone of Goa's Future
ATMANIRBHAR BHARAT
SWAYAMPURNA GOA
BUILDING GOA'S
INFRASTRUCTURE OF
TOMORROW
• ATAL SETU
• GOA DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL AT BAMBOLIM
• PEDESTRIAN BRIDGE LINKING CENTRAL LIBRARY & CREEK-DNYAN SETU
• 20 BEDDED RURAL HEALTH TRAINING CENTRE AND HOSTEL AT MANDUR
• SHREE VITHAL RAKHUMAEE GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL, VITHALAPUR- KARAPUR
• 500 BEDDED DISTRICT HOSPITAL AT MARGAO
• HIGH COURT OF BOMBAY AT GOA, PENHA DE FRANCA, PORVORIM
• 20 + YEARS • 100+ PEOPLE • RS. 5300 CRORE WORTH OF PROJECTS INCLUDING 30+ BRIDGES
• 40+ ROADS • 7 BUS STANDS • 20+ HOSPITALS • 30+ ADMINISTRATIVE BUILDINGS • 600+ SCHOOLS • 15+ SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS
Address: 7th Floor, EDC House, Dr Atmaram Borkar Rd, Panaji, Goa 403001

GOVERNMENT OF GOA,

Water Resources Department,

Sinchai Bhawan, 2nd Floor, Alto Porvorim, Bardez-Goa 403 521

Phone No. 0832-2412047 visit: www.goawrd.gov.in

"NITAL GOEM NITAL BAIM"

"नितळ गोंय, नितळ बांय"

Nital Goem Nital Baim Scheme is introduced for repairs and renovation of existing wells in the state by individuals/groups of Individuals or farmers. The scheme is by extending them grant-in-aid in the form of subsidy. The objective is to promote conjunctive use and maintain ground water structures. This is a beneficiary oriented programme to benefit the multi-users of a well for drinking or irrigation purposes.

The terms and conditions of Scheme:

1. Well should be registered with Water Resources Department.
2. Benefit once availed cannot be re-availed for next five years.
3. Reimbursement of the repairs which include construction of parapet, plastering with glazed tile pieces, repairs of electric equipment if necessary, cleaning of well including de-watering.
4. Upper limit of reimbursement shall be Rs. 50,000/- per well.

To apply scheme download and go through the notification attached on above web site and make an application to the Department in the prescribed format. The application should be made to the Assistant Engineer of WRD in each taluka as notified.

You can also apply for this subsidy online by visiting the online services section of the website.

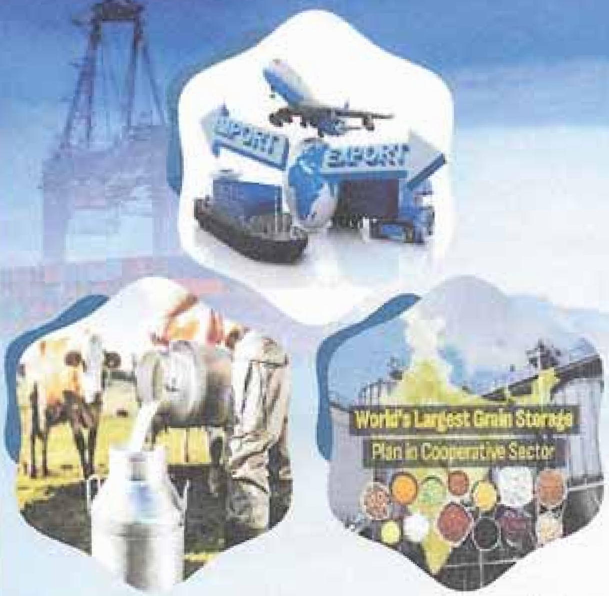

Department of Cooperation

Government of Goa, Panaji-Goa.

The Department of Cooperation has brought - out various welfare schemes for the development of Cooperation movement in the State of Goa. It is the movement of mass people in Cooperative field whereby all round progress can be achieved through the Cooperative Societies by availing all the facilites for improvement of their economic and social conditions.

The various types of Cooperative Societies are being provided with the financial assistance through the Registrar of Cooperative Societies to strengthen their financial base in the form of:

1) Govt. Share Capital and interest free loan.
2) Managerial Subsidy.
3) Loan/subsidy for construction of Godown.
4) Loan/subsidy for purchase of furniture and fixtures.
5) Loan/subsidy for purchase of computer and transport vehicles.

Recently **Ministry of Cooperation, Government of India (MOC)** have come out with various initiatives for **Primary Agricultural Cooperative Society (PACS)** and has prescribed model Bye Laws which are universally accepted/ adopted by the Cooperative Societies throughout the entire country. These model bye laws give scope to increase the source of income of **Primary Agricultural Cooperative Society (PACS) / Large Area Multipurpose Cooperative Society (LAMP)** and create new employment opportunities in more than 25 new sectors like dairy, fisheres, consumers, Janaashadi, Petrol pump, grain, fertilizers, organic products etc..

Seven Salient features of Cooperation

1) **Know your own cooperative soceity.**
2) **Use the services of your cooperative society.**
3) **Trust in your cooperative society.**
4) **Be honest and sincere to share the responsibilities in the cooperative societies.**
5) **Mutual Support and benefits to every member is the corner stone of cooperation.**
6) **Contribute your efforts for development of cooperative societies keeping the basic principle of "One for all & All for One".**
7) **Develop your Village, City through cooperative society.**

Issued by:

REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

Government of Goa, Panaji-Goa.

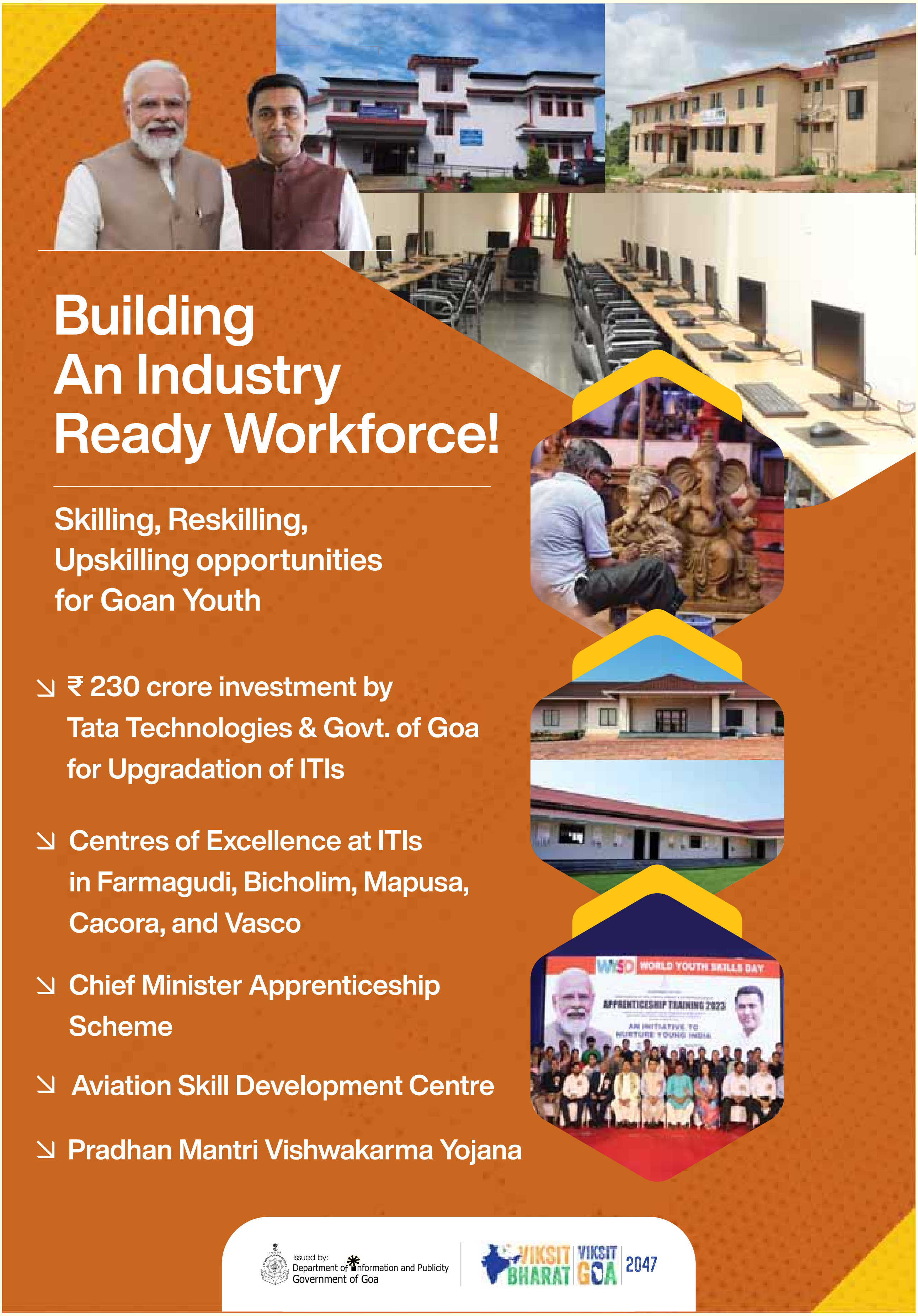
Building
An Industry
Ready Workforce!
Skilling, Reskilling,
Upskilling opportunities
for Goan Youth
₹ 230 crore investment by
Tata Technologies & Govt. of Goa
for Upgradation of ITIs
Centres of Excellence at ITIs
in Farmagudi, Bicholim, Mapusa,
Cacora, and Vasco
Chief Minister Apprenticeship
Scheme
Aviation Skill Development Centre
Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana
WYSD WORLD YOUTH SKILLS DAY
APPRENTICESHIP TRAINING 2023
AN INITIATIVE TO
NURTURE YOUNG INDIA
Issued by:
Department of Information and Publicity
Government of Goa
VIKSIT BHARAT
VIKSIT GOA
2047

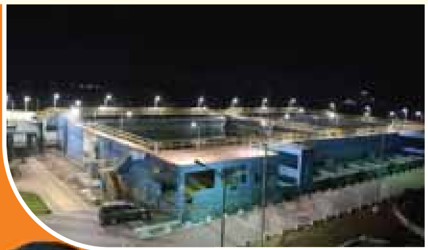

Giant Leap Towards New Technology

- Use of latest trenchless technology. (H.D.D., Micro tunneling)
- Rehabilitation of Old Sewer Network by pipe bursting, C.I.P.P.
- Use of latest technology for STP SBR, MBBR, MBR & Phythorid.
- Recycle & reuse of treated effluent.

Issued by

Sewerage & Infrastructural Development Corporation of Goa Ltd.

(A Government of Goa Undertaking)

2nd Floor, Ishan Building,
Opp. C.C.P. Panaji - Goa 403001

Phone No. : 6641477/78

website : www.sidcgl.com

Email : info@sidcgl.com

VIKSIT BHARAT | VIKSIT GOA | 2047

VPK URBAN CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

"VPK BHAVAN", Mardol Goa

Website: www.vpkurban.in, Email: vpkurban.ho@gmail.com

Ph.(0832)2343422/2343011

Financial figure as on 30/11/2024 are as follows:-

1) Paid up Share Capital	Rs. 41.22 Crores
2) Reserve Fund	Rs. 58.70 Crores
3) Total Deposit	Rs. 619.20 Crores
4) Loans & Advances	Rs. 587.65 Crores
5) Investmentand Deposit	Rs. 207.12 Crores
6) No. Of Branches	39
7) No. of Shareholders	124131
8) Net Profits (2023-24)	Rs. 31.62 Crores]
9) Audit Classification	"A" Grade

Name of the Director	Designation
Shri. Durgadas L. Gaude	Chairman
Shri. Suryakant P. Gawade	Vice-Chairman
Shri. Anand B. Kerkar	Director
Shri. Rama Alias Surya J. Gaude	Director
Shri. Hiru S. Khedekar	Director
Shri. Dina B. Bandodkar	Director
Shri. Rohidas A. Gaude	Director
Shri. Hemant D. Gaude	Director
Shri. Chirag V. Gaude	Director
Smt. Savitri R. Velingkar	Director
Smt. Sushma J. Gaude	Director
Shri. Ashok D. Gaude	Managing Director
Shri. Santosh S.Kerkar	General Manager

Azadi Ka Amrit Mahotsav
SINCE 1966
HAFED
The Haryana State Cooperative Supply & Marketing Federation Ltd.
MAKE IN INDIA
बूँद-बूँद में शुद्धता, दाने-दाने में स्वाद
Newly LAUNCHED
FOR ALL KINDS OF BULK AND INSTITUTIONAL QUERIES CALL 0172-2590520-26 EXT. 204
AMBALA: 1) Hafed Bazaar: Nicholsons Rd. Ambala Cantt, 2) Hafed Retail Store: Jain College Road, Ambala city; BHIWANI: 3) Hafed Bazaar: Luxmi Tower, Dinod Gate, Bhiwani, 4) Hafed Sale Point, Hansi Road Bhiwani; PALWAL : 5) Hafed Bazaar: Agra Chowk, Main Delhi Mathura Road, Palwal, BALLABHGARH 6) Hafed Retail store: New Anaj Mandi, Ballabhgarh; CHANDIGARH: 7) Hafed Retail Store: Sector-7 C, SCO-18, Madhya Marg, Chandigarh, 8) Hafed Retail Store, Haryana Civil Secretariat (Reception Area), Sector-1 Chandigarh; DELHI: 9) Hafed Warehouse Complex, Near Wazirpur DTC Depot, New Delhi; YAMUNA NAGAR: 10) Hafed Bazaar: Jagadhari Road, Near SBI Bank, Yamuna Nagar 11) Hafed Retail Store: Panchayat Bhawan, Jagadhri ; SONEPAT: 12) Hafed Retail Store: Indl. Area, Bypass Rohtak Road, Sonepat; SIRSA: 13) Hafed Bazaar: PNB Street, Rori Bazaar, Sirsa, 14) Hafed Bazaar: Shop No 42, Huda Complex, Complex, Opposite Town Park, Sirsa; REWARI: 15) Hafed Bazaar: Shop No. 26, 27, 28, Bawal Rd. Opp. Brass Market, Rewari, 16) Hafed Retail Store: Hafed Complex, Konsiwas Road, Rewari ; PANIPAT: 17) Hafed Retail Store: Distt. Office Complex, Near Khadi Ashram, GT Road Panipat; PANCHKULA: 18) Hafed Corporate Office, Sec-5, Panchkula; NARNAUL: 19) Hafed Complex: Nizampur Road, Narnaul; KURUKSHETRA: 20) Hafed Bazaar: SCO 31, Sec-13, Kurukshetra, 21) Hafed Retail Store: Haryana Tourism Parakeet Complex, Pipli; KAITHAL: 22) Hafed Retail Store: Jind Road, Kaithal; JIND: 23) Hafed Bazaar: Near Surya Resort and Police Thana, Jind, 24) Hafed Retail Store: Hafed Sale Point DRDA, Jind; HISAR: 25) Hafed Bazaar: Behind Jain Children Hospital, Red Square Market Hisar, 26) Hafed Retail Store: Hafed District Office, Near Madhuban Park, Hisar; FATEHABAD: 27) Hafed Bazaar: Near Thara Ram Sweets, Jawahar Chowk, Fatehabad, 28) Hafed Retail Store: Near Power House, Bhattu Road, Fatehabad; KARNAL: 29) Hafed Bazaar: Vishal Complex, Azad Nagar, Karnal, 30) Hafed Retail Store: SCO-19-20, Sector-12, Urban Estate Karnal, 31) Hafed Retail Store: Shop No. 6 & 7, Minar Road, Karnal, 32) Hafed Sugar Mill, Phaprana Assandh, 33) Hafed Retail Store at Hafed Rice Mill, G.T Road, Haryana; ROHTAK: 34) Hafed Retail Store at Hafed Cattle Feed Plant, Near Sukhpura Chowk, Rohtak; GURGAON: 35) Hafed Retail Store: Shop No 10, Vikas Sadan, Near Mini Secretariat , Gurgaon
hafed@hry.nic.in http://hafed.gov.in Like & Follow us on @HAFED Haryana @hafedharyana @hafed_haryana

KARNATAKA STATE SOUHARDA FEDERAL COOPERATIVE Ltd.,

A leader in development of souharda Cooperative Movement in Karnataka

A Statutory Body in Cooperative Sector

"Souharda Sahakari Soudha" 18th Cross, Margosa Road, Malleswaram, Bengaluru - 560 055

The Model Cooperative Act (Liberal Cooperative Act) has been adopted in Karnataka state by the name Karnataka Souharda Sahakari Act of 1997, which came into force on 01.01.2001 by the consent of President of India and Government of Karnataka.

Souharda Cooperatives enjoy functional autonomy in design and implementation of their business plans, customers service activities based on the needs of their members. The aim of this Souharda Cooperative Movement is to achieve "autonomy, self-administration and self-control" Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd" (KSSFCL), Bengaluru, is a statutory cooperative Federal body formed by the Karnataka Souharda Act to look after the growth and development of souharda cooperatives in the state with unique feature of elected body for its management which is first of its kind in India.

KSSFCL MAIN ACTIVITIES

Diploma in cooperation and Banking Management : The said course has been started under the joint collaboration of **Karnataka State RDPR University Gadag Government of Karnataka and KSSFCL Bengaluru** 632 candidates are being benefited from this course. The second batch started with 294 candidates.

Souharda Cooperative Court : To finalize the disputes of souharda cooperatives Karnataka Govt has sanctioned a separate court to the KSSFCL Till today 11989 Cases have been registered and 7923 cases have been settled and 4066 cases are under Process.

E-stamping : It is a matter of great pride for KSSFCL that for the first time in India, E-stamping facility has been given to Karnataka State Souharda Federal Cooperative ltd, in the cooperative sector. It is pride to KSSFCL

Swabimani Sahakari Monthly Magazine : A monthly Magazine of is being published printed and circulated to all souharda cooperative both hard copy and digital copy.

Statutory Duties : Karnataka state souharda federal cooperative is a unique Feature of having a non official elected Board of management to regulate the activities of souharda coopertive socitiecies in addition to the education, training, and publicity activities.

Vision , Mission and Values

Vision : Our vision is to emerge as world class model Cooperative by our Statutory, educational, training, research and development activities.

Mission : Our mission is to contribute to build a strong cooperative system which works on Autonomous, Professional, Transparent , Accountable & Economic viability.

Values : Our values are : Service - Knowledge- commitment- involvement & Accountability

Progress of Souharda Cooperatives in karnataka as an 31.03.2024

No of Cooperative	6259
E-stampting Centre	1631
Members	72 lakh
Share capital	1610 crore
Deposit	43,704 crore
Loans	34,030 crore
Working Capital	49,393 crore
Profit	626 crore
Reserves	3690 crore
employees	75000

G Nanjangouda
President

A R Prasanna kumar
Vice President

Sharanagouda G. Patil
Managing Direcor

Autonomy, self administration and self control is our concept

"we are proud to be souharda cooperatives"

The Coopeartive movement in the country has taken progressive steps with formation of New Cooperative Ministry in the central with the concept of **"Sahakar se Samriddhi"**. It has lauched 54 various program for the overall development of Cooperative Movement.

Lokmanya
DurgaShakti
Yojana
SAFE INVESTMENT, PROMISING PROGRESS
Best Interest Rate
10.25%*
inimum Investment
10,000/-
Tenure
18 Months
Extra 0.50%
Interest For Women
Extra 0.50% Interest
For Senior Citizens
Free Personal
Accidental Death Insurance
(Policy Cover of 1 Lakh, Age Limit 18-65)
*For Members only *Terms & Conditions Apply
Hinjewadi Branch :
Sr. No. 28, Showroom No. 2A, Suratwala Mark Plazzo, Hissa No. 1,4,5,6, opp. Hotel Courtyard Marriott, Hinjawadi, Pune, Maharashtra - 411 057 Mobile : 9156356439
Since 1995
Lokmanya
Multipurpose Co-op. Society Ltd. (Multi-State)
Head Office - Pune, Maharashtra
Maharashtra • Karnataka • Goa • Delhi Reg. No. M.S.C.S./C.R./140/2002
Founder Chairman : Shri. Kiran Thakur, Advisory Editor, Tarun Bharat, Belgaum
Call 1800 212 4050 | lokmanyasociety.org

किसान समृद्धि
के सूत्रधार
KRIBHCO
Cooperative and beyond...
कृषि, किसान एवं सहकारिता विकास के प्रति समर्पित
कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANISATION)
4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016
Phone: 26567475, 26567026, 26567202, 26567140
Fax: 0091-011-26962370, 26516032
Website: www.ncdc.in

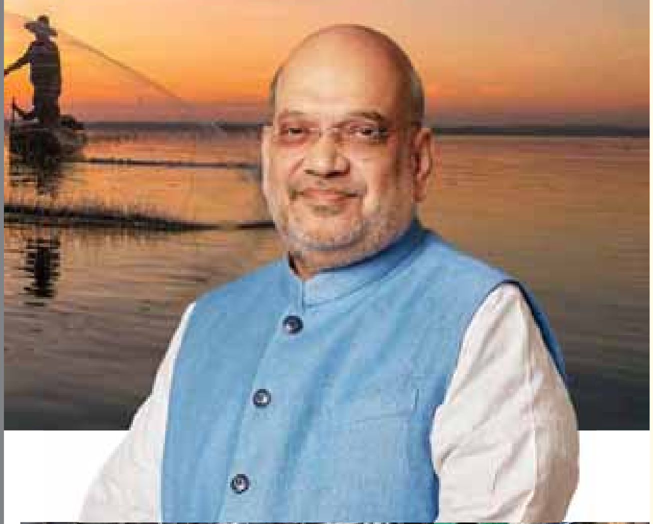

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

Under Ministry of Cooperation, Government of India

COOPERATION TO PROSPERITY

SAHAKAR SE SAMRIDHI

- Disbursed more than Rs. 60,000 Crores in FY 2023-24.
- Net NPA at zero. About Rs.3.32 Lakh Crores disbursed to cooperatives till date.
- Rs. 10,000 Crores in FY 2023-24 to Sugar Cooperatives.
- PACS as Common Service Centres to improve their viability, provide e-services at village level and to generate employment.
- Promotes FPOs and FFPOs.
- 'Swayamshakti Sahkar' for SHG; 'Deerghavadhi Krishak Sahkar' for long term agricultural credit; 'Dairy Sahkar' for dairy and 'Neel Sahkar' for fisheries.
- New National Multi-State Cooperative Seed Society under MSCS Act, 2002 as umbrella organization for quality seed cultivation, production and distribution under a single brand.
- New National Multi-State Cooperative Organic Society under MSCS Act, 2002 as umbrella organization to produce, distribute and market certified and authentic organic products.
- New National Multi-State Cooperative Export Society under MSCS Act, 2002 as umbrella organization to give thrust to exports from cooperative sector.
- World's Largest Grain Storage Plan has been prepared to set up decentralized grain storage facilities in every PACS.
- Capacity development of cooperators through our training centers.

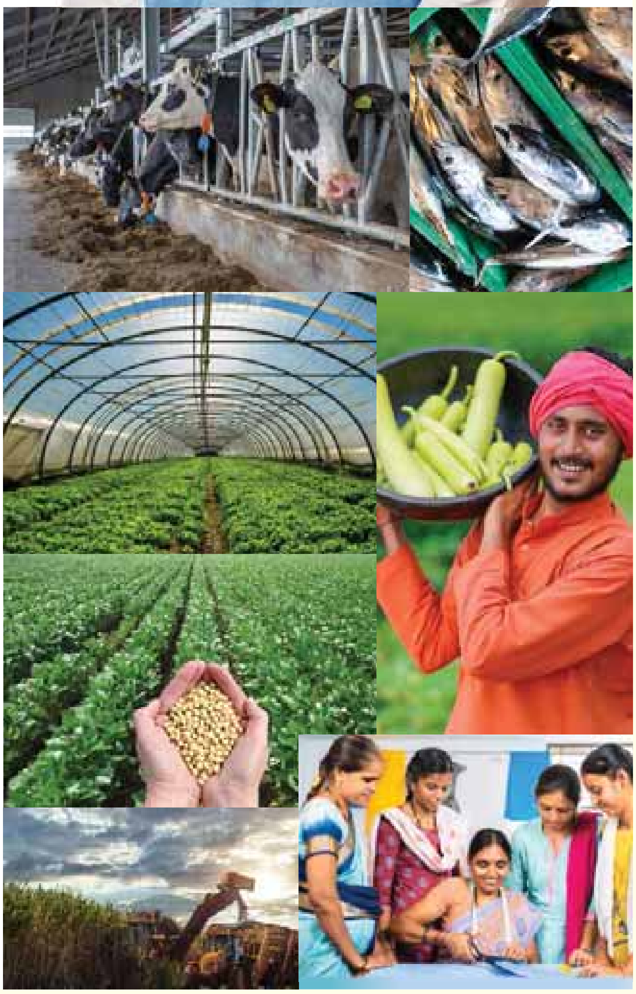

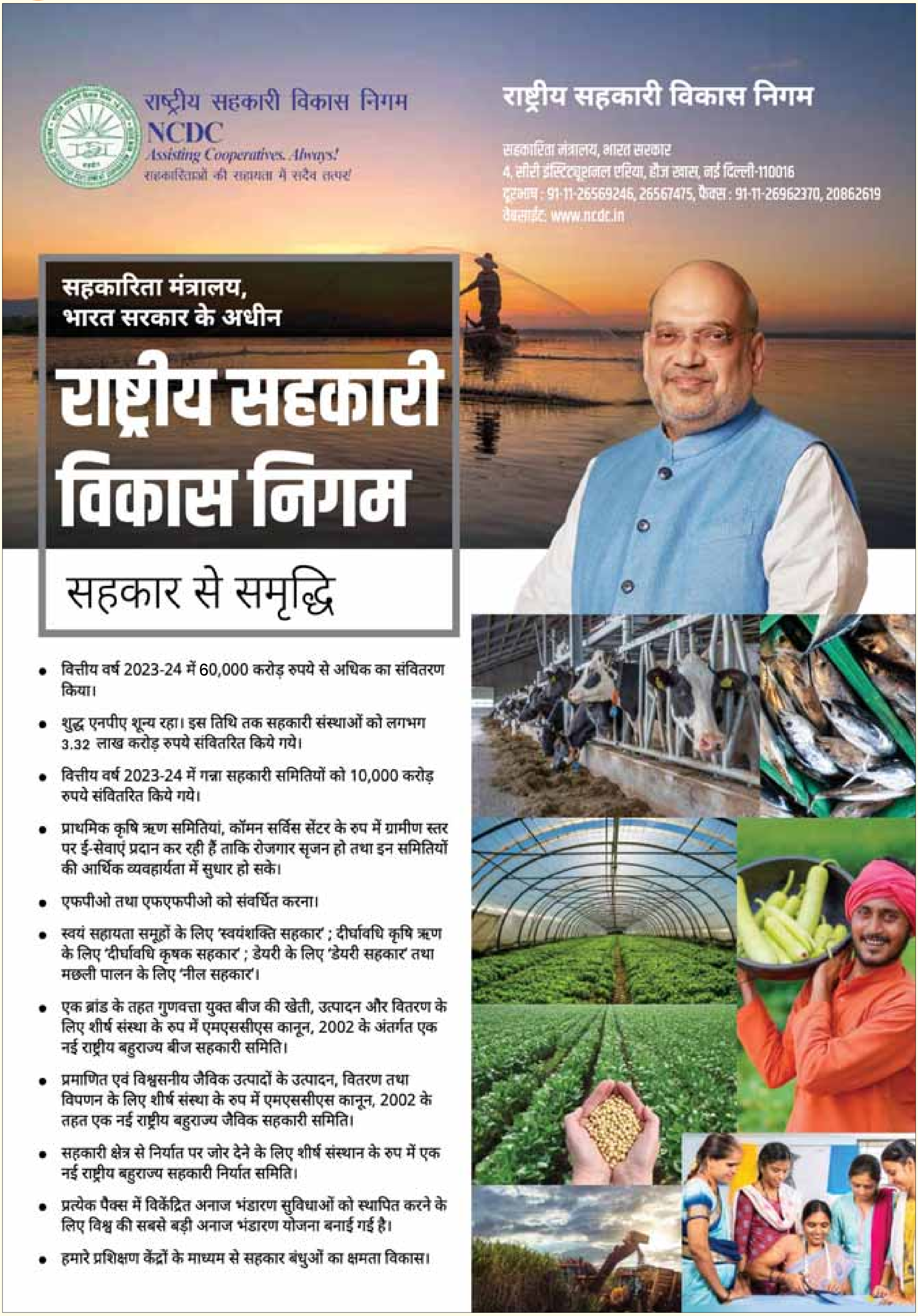
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
4, सीरी इंस्टिट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 91-11-26569246, 26567475, फैक्स : 91-11-26962370, 20862619
वेबसाईट: www.ncdc.in
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
सहकार से समृद्धि
• वित्तीय वर्ष 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का संवितरण किया।
• शुद्ध एनपीए शून्य रहा। इस तिथि तक सहकारी संस्थाओं को लगभग 3.32 लाख करोड़ रुपये संवितरित किये गये।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 में गन्ना सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये संवितरित किये गये।
• प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, कॉमन सर्विस सेंटर के रुप में ग्रामीण स्तर पर ई-सेवाएं प्रदान कर रही हैं ताकि रोजगार सृजन हो तथा इन समितियों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार हो सके।
• एफपीओ तथा एफएफपीओ को संवर्धित करना।
• स्वयं सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घावधि कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' तथा मछली पालन के लिए 'नील सहकार'।
• एक ब्रांड के तहत गुणवत्ता युक्त बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए शीर्ष संस्था के रुप में एमएससीएस कानून, 2002 के अंतर्गत एक नई राष्ट्रीय बहुराज्य बीज सहकारी समिति।
• प्रमाणित एवं विश्वसनीय जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण तथा विपणन के लिए शीर्ष संस्था के रुप में एमएससीएस कानून, 2002 के तहत एक नई राष्ट्रीय बहुराज्य जैविक सहकारी समिति।
• सहकारी क्षेत्र से निर्यात पर जोर देने के लिए शीर्ष संस्थान के रुप में एक नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति।
• प्रत्येक पैक्स में विकेंद्रित अनाज भंडारण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना बनाई गई है।
• हमारे प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से सहकार बंधुओं का क्षमता विकास।

Cosmos!

For more than eleven decades, Cosmos Bank has been a leader in enhancing lifestyles through banking. This commitment has led to an enriched journey of over a century with 170 branches across the country, nearly 1 lakh share holders, more than 20 lakh satisfied customers and ranking second in the list of co-operative banks of India...! During this quest for excellence, Cosmos Bank carries eternal dream to create hope for future and a bond of trust in every heart and mind.

170 BRANCHES ACROSS 7 STATES WITH

BUSINESS SET UP OF

₹350000000000+

(₹35 THOUSAND CRORE) AS ON MARCH 2024

THE LEADING CO-OPERATIVE BANK

THE COSMOS CO-OP. BANK LTD.

(Multistate Scheduled Bank)

Enriching Life!

Maharashtra | Gujarat | Andhra Pradesh | Telangana | Tamil Nadu | Karnataka | Madhya Pradesh

Registered Office : Cosmos Bhavan, Plot No. 6, ICS Colony, University Road, Ganeshkhind, Pune - 411 007. Maharashtra (INDIA) Tel. : 020-67086708

https://www.cosmosbank.com | E-mail : customercare@cosmosbank.in | Follow Us On :

Toll Free No. : 1800 233 0234

Vita®
वही शुद्धता वही स्वाद
पिछले 50 सालों से
@Haryanavita
@hddcfvita
@vitaharyana
HARYANA DAIRY DEVELOPMENT CO-OPERATIVE FEDERATION LIMITED
Bay Nos. 21-22, Sector- 2, Sahkarita Bhawan, Panchkula, Haryana, India
Milk • Ghee • Butter • Sweets (Kaju Pinni, Ladoo , Milk Cake & Kheer) • Dahi • Paneer • Lassi • Ice Cream